खण्ड–501, अंक–02
गुरुवार, 29 आषाढ़, शक संवत् 1939
(20 जुलाई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 501 में 06 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–7
मा0 नेता विरोधी दल द्वारा नेता सदन (मा0 मुख्यमंत्री) द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2017 का सदन में की गई टिप्पणी पर विरोध ...	8–19
प्रश्नोत्तर	19–52
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	53–56
जनपद जौनपुर में बलुवा हिम्मतपुर मार्ग के चकरियावां घाट पर पीली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां अन्तर्गत कछवा टाउन एरिया में सीवर लाइन के उचित पानी निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	56–57
उत्तर प्रदेश राज्य व हरियाणा राज्य सीमा विवाद का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र चुनार के गंगा नदी पर चुनार घाट पर पावर चार्ज/मोटर बोट की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58
फिरोजाबाद के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा हेतु निर्देशित भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद लखनऊ महानगर में लालबाग में मेनरोड से बेल्दारी लाइन तक सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58–59
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के अन्तर्गत जानवरों की वजह से उत्पन्न स्थिति के निवारण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	59
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के विकास खण्ड हलिया के न्याय पंचायत बड़ौहा व उमरिया को सिंचाई सुविधा हेतु बाणसागर नहर से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत	59–60

विषय	पृष्ठ–संख्या

सूचना ... ...

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र पटियाली के ग्राम मझोला में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 60

जनपद मथुरा के बल्देव ब्लाक, राया ब्लाक तथा फरह ब्लाक में ट्यूबवेल विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 60

जनपद चित्रकूट के जिला चिकित्सालय में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरे जाने जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 60–61

गावों में तालाब के किनारे आवास बनाकर रह रहे गरीबों को बिना उचित व्यवस्था दिये वहां से विस्थापित न करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 61

जनपद बदायूं के तहसील दातागंज का निर्माणाधीन तहसील भवन पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 61

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा में रामपुर धोवियाहार को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 61–62

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 62

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–07 सार्वजनिक उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) 62–74

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) (जारी) 74–82

भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दिये जाने का प्रस्ताव ... 82–83

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) 83–84

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) 84–89

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) 89–91

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर 92–94

विषय	पृष्ठ–संख्या
मतदान, अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	
वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु), अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़क) (स्वीकृत)	94–102
वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	102–103
मध्याहन भोज की सूचना	103–104
वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	104
वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–22 खेल विभाग (स्वीकृत)... ...	105
105	105
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	105–106
जनपद लखनऊ स्थित पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला विद्यालय में एम0एस0सी0 की कक्षायें आरम्भ कराने एवं अन्य मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य	106–108
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्रामों में फ्लोराइड एवं लवण की मात्रा अधिक होने के कारण पेयजल पूरी तरह से दूषित होने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	108–110

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के ग्राम पूरे बहोरी में तालाब पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश्वर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	110–111
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल में विद्युत क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल पाराशर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ...	111–112
जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैसड़ी कढ़ौवा पुल से प्रेम नगर तिराहे तक रोड मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	112–113
जनपद शाहजहांपुर से अलग हुये जनपद पीलीभीत से सम्बद्ध राजस्व गांवों से क्षेत्र पंचायतों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य	113–114
जनपद फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में यातायात नगर योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	114–116

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–362

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
5. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'' कुंवर गोण्डा
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
7. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
9. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार मौर्य, श्री सोनभद्र
11. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
12. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
13. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 बुलन्दशहर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
16. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
18. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
19. अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
20. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
21. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
22. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
23. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
24. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
25. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
26. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
27. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
28. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
29. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
31. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
32. अशोक कुमार राणा, श्री बिजनौर
33. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
34. असलम अली, श्री हापुड़
35. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
36. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
37. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
38. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
39. आलमबदी, श्री आजमगढ़

40. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
41. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
42. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
43. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
44. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
45. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
46. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
47. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
48. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
49. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
50. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
51. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
52. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
53. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
54. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
55. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
56. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
57. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
58. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
59. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
60. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
61. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
62. काली प्रसाद, श्री देवरिया
63. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
66. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. केसर सिंह, श्री बरेली
69. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
70. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
71. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
72. गंगा, श्री कुशीनगर
73. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
74. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
75. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
76. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
77. गौरी शंकर, श्री जालौन
78. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
79. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
80. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
81. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
82. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
83. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
84. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
85. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
86. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
87. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
88. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
89. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
90. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
91. जयमंगल, श्री महाराजगंज
92. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
93. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
94. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
95. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
96. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज

97. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
98. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
99. तेजपाल सिंह नागर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
100. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
101. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
102. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
103. दल बहादुर, श्री रायबरेली
104. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
105. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
106. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
107. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
108. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
109. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
112. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
113. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
115. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
116. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
117. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
118. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
119. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
120. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
121. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
122. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
123. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
124. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
125. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
126. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
127. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
130. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
131. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
132. निर्मला संखवार, श्रीमतीकानपुर देहात
133. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
134. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
135. नीलम करवरिया, श्रीमतीइलाहाबाद
136. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
137. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
138. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
139. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
140. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
141. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
142. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
143. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
144. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमतीकानपुर देहात
145. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
146. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
147. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
148. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
149. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
150. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
151. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
152. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
153. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज

154. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
155. फागू चौहान, श्री मऊ
156. बजरंग बहादुर सिंह, श्रीमहाराजगंज
157. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
158. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
159. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
160. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
161. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
162. बावन सिंह, श्री गोण्डा
163. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
164. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
165. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
166. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
167. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
168. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
169. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
170. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
171. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
172. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
173. भगवती प्रसाद सागर, श्रीकानपुर नगर
174. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
175. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
176. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
177. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
178. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
179. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
180. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
181. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्रीरायबरेली
182. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
183. महबूब अली, श्री अमरोहा
184. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
185. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
186. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
187. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
188. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
189. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
190. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
191. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
192. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
193. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
194. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
195. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
196. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
197. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
198. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
199. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
200. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
201. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
203. योगेश धामा, श्री बागपत
204. योगेश वर्मा, श्री खीरी
205. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
206. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
207. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
208. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
209. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
210. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा

211. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
212. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
213. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
214. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
215. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
216. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
217. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
218. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
219. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
220. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
221. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
222. राकेश सिंह बघेल, श्रीसन्तकबीर नगर
223. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीसिद्धार्थनगर
224. राज करन कबीर, श्री बांदा
225. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
226. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
227. राजबाला, श्रीमती रामपुर
228. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
229. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
230. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
231. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
232. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
233. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
234. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
235. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
236. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
237. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
238. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
239. राम अचल राजभर, श्रीअम्बेडकर नगर
240. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
241. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
242. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
243. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
244. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
245. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
246. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
247. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
248. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
249. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
250. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
251. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
252. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
253. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
254. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
255. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
256. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
257. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
258. लाखन सिंह, श्री औरैया
259. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
260. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
261. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
262. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
263. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
264. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
265. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
266. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

267. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
268. विजय कुमार कश्यप, श्रीमुजफ्फरनगर
269. विजय मिश्र, श्री भदोही
270. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
271. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
272. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
273. विनय शाक्य, श्री औरैया
274. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
275. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
276. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
277. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
278. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
279. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
280. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
281. वीरेन्द्र, श्री एटा
282. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्रीबुलन्दशहर
283. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
284. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
285. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
286. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
287. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
288. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
289. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
290. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
291. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
292. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
293. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
294. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
295. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
296. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
297. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
298. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
299. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
300. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
301. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
302. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
303. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
304. संजय, श्री बुलन्दशहर
305. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
306. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
307. संजय यादव, श्री बलिया
308. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
309. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
310. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
311. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
312. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
313. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
314. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
315. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0सिद्धार्थनगर
316. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
317. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
318. सत्यपाल सिंह बघेल, श्रीफिरोजाबाद
319. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
320. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
321. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
322. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
323. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
324. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली

325. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
326. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
327. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
328. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
329. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
330. सुनील कुमार शर्मा, श्रीगाजियाबाद
331. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजरफर्रुखाबाद
332. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
333. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
334. सुरेन्द्र, श्री बलिया
335. सुरेश कुमार, श्री शामली
336. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
337. सुरेश कुमार खन्ना, श्रीशाहजहांपुर
338. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
339. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
340. सुरेश राही, श्री सीतापुर
341. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
342. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
343. सुशील कुमार शाक्य, श्रीफर्रुखाबाद
344. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
345. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
346. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
347. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
348. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
349. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
350. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
351. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
352. सौरभ सिंह, श्री खीरी
353. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
354. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
355. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
356. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
357. हरीराम, श्री सोनभद्र
358. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
359. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
360. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
361. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
362. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :—उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह), परिवहन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पंचायती राज एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक, मुलिस्म वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00] मा0 नेता विरोधी दल द्वारा नेता सदन (मा0 मुख्य मंत्री) द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2017 का सदन में की गई टिप्पणी पर विरोध

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपापूर्वक मुझे 2 मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नोत्तर के बाद हो सकता है क्या ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

केवल 2 मिनट सुन लें। क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप बोलें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, कल इस सदन में जो कुछ भी हुआ उसकी हम लोग जिन्दगी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लगता है कि हम चुनाव हार गए हैं विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष लोकतंत्र की दो धुरी हैं। श्रीमन् कार्यवाही निकालकर देख लें मैनें कभी भी जान–बूझकर असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया, अगर किया है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने टोका तो मैंने खुद आपसे कहा कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए, मैंने खुद कहा।

श्री अध्यक्ष–

आपका कथन कभी कार्यवाही से निकाला भी नहीं गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने आपसे खुद आग्रह किया लेकिन श्रीमन् जो कल हुआ और जैसा बर्ताव हुआ, जैसा एक्शन और जैसी बात हुई उससे ऐसा लगा कि पूरे विपक्ष को यह सरकार जेल में डालना चाहती है। आपसे हम लोगों को संरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है। आपकी इच्छा तो है। भरपूर हम आपका सहयोग कर रहे हैं। माननीय पुराने सदस्य भी यहां बैठे हुए हैं। हमने कभी सदन को स्थगित कराने का प्रयास नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपका सहयोग मिला है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

कभी हमने सदन में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई उलझन की स्थिति पैदा हो। इतना शांत विपक्ष और अपने तरीके से बातचीत कहने के बावजूद भी हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल में भेजने की बात कही जा रही है। खानदान को जेल में भेजने की बात कही जा रही है। लगातार विधान सभा की प्रतिष्ठा को धूमिल किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके अधिकार को भी सरकार अपने

हाथ में ले रही है, जो कथित पाउडर मिला उसमें भी आपको अंधेरे में रखा गया और उसको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। विधान सभा की गरिमा, माननीय पीठ की गरिमा, माननीय सदस्यों की गरिमा, जितने भी माननीय सदस्य चुनकर आते हैं, उनका भी एक अपना सम्मान है और आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों को अधिकार है कि हम किसी भी जनरल नागरिक के चरित्र प्रमाण–पत्र को प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसे माननीय सदस्यों को इस तरह से सदन में अपमानित करना, यह बहुत ही लोकतंत्र का हनन है। हमें 40 वर्ष का समय इस सदन में बिताने का मिला है। हमने ऐसा नजारा कभी जिन्दगी में देखा नहीं इसलिए आप की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, पीठ के सम्मान को बचाने के लिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग सदन से बाहर रहे और सत्तापक्ष जैसा चाहे वैसा सदन को चलाये।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप निर्णय न करिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इतना ही हमको कहना है कि हम लोग अब और अपमानित होने के लिए नहीं बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बोले हैं तो हमारी भी सुन लीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, पहले वर्मा जी को सुन लीजिए।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले दिन से ही हम लोगों ने इस बात को आपके समक्ष जब आप अध्यक्ष चुने गए उस दिन भी इस बात को कहा कि हम सब लोग ऐसे लोग हैं जो सदन को चलाने के लिए संकल्पित हैं और चाहते हैं कि सदन में वाद–विवाद की बातों पर चर्चा करें। नियमों में प्रक्रिया है कि किस तरह से सदन चलेगा। जब मान्यवर, हम लोग खड़े होते हैं तो नियम का हवाला दिया जाता है और सत्तापक्ष के लोग जब खड़े होते हैं तो नियम नहीं रह जाता। मान्यवर, यहां आय–व्ययक की चर्चा जब हो रही थी उस साधारण चर्चा में यह व्यवस्था है कि सभी लोगों के बाद अंतिम उत्तर वित्त मंत्री देंगे। वित्त मंत्री के बाद उसमें कहीं मुख्य मंत्री का या नेता सदन का बोलने का औचित्य नहीं बनता। अगर नेता सदन बोल सकते हैं तो नेता विपक्ष क्यों नहीं बोल सकते ? एक के लिए अगर नियम को स्थगित किया गया तो दूसरे के लिए क्यों नहीं होना चाहिए, दो संवैधानिक पद हैं, दोनों के लिए होना चाहिए। मान्यवर, उसी तरह से इस नियमावली में इस बात की व्यवस्था है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया जायेगा तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी लेकिन उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है चाहे जो कुछ भी कह दिया जाता है, लूट–खसोट, वगैरह–वगैरह। एक सामान्य सदस्य कहे तो उसमें हमें कोई

आपत्ति नहीं हो सकती इसलिए कि उसकी उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह का आचरण करें तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है। निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि इस सदन की मार्यादा रहे, आपको भी किसी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। निश्चित रूप से बड़ी बहुमत है और उसका अहंकार है। जैसा कि कल नेता सदन ने इस बात को प्रदर्शित भी किया कि आप लोग नहीं रहेंगे तो 325 सदस्य हैं हम तब भी सदन को चला लेंगे। निश्चित रूप से उस अहंकार के कारण जो बातें आ रही हैं जिस तरह से अधिनायकवाद की तरफ ले जाने की बात की जा रही है और मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं निश्चित रूप से हमारी यह चाहत है कि आपकी मर्यादा और सदन की मर्यादा बनी रहे, इसलिए मैं भी इस पक्ष का हूं कि निश्चित रूप से अगर वाद–विवाद नहीं हो सकता, हम उत्तर नहीं दे सकते, हम उसमें अपनी बात रख नहीं सकते तो निश्चित रूप से इस सदन में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मान्यवर, आपसे कोई हमारी नाराजगी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप यह निर्णय स्थगित कर लीजिए यह बात हो जाये फिर उसके बाद।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, ठीक है, हम लोग आपसे कोई अलग नहीं हैं। आपका सम्मान करने के लिए और आपका सम्मान हम लोगों के मन में पूरी तरह से है। इसलिए हम सब लोगों का निश्चित रूप से यह मत है कि अगर विधान सभा में अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल रहा है या नियम केवल हमारे ऊपर लागू होगा, सत्तापक्ष नियमों से बंधा हुआ नहीं है तो निश्चित रूप से अहंकार में जैसे चलाना चाहते हैं, जितना चलाना चाहते हैं चलाएं। बहुमत मिला हुआ है, जनादेश मिला हुआ है उसके अनुसार चलाना चाहे तो चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन लोकतंत्र का मन्दिर है और उस मन्दिर में सदैव मर्यादित ढंग से और अच्छे आचरण के साथ पूजा की जाती है। महोदय, कल जिस तरह का यहां नजारा देखने को मिला माननीय प्रतिपक्ष का, मैंने आज तक पिछले 5 सालों में कभी देखा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का माइक ऑफ कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा मैंने निर्देश नहीं दिया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, आपने भले ही न दिया हो लेकिन कल ऐसा हुआ। महोदय, जितना समय नेता सदन को मिलता रहा इस सदन में, उतना ही समय नेता प्रतिपक्ष को सदैव मिलता रहा है। काट देना, डण्डा चलेगा ऐसी असंसदीय बातों का प्रयोग इस सदन में हुआ। पिछले समयों में कभी भी अगर असंसदीय बातों का प्रयोग हुआ है तो हमारे

संसदीय कार्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, जब इधर थे तो तुरन्त हल्ला के लिए उठ जाते थे और उस असंसदीय भाषा पर टिप्पणी करने का काम करते थे, महोदय, जो परिस्थितियां हैं उसमें लगातार सरकार और सत्ता में बैठे लोग विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। हमने पहले दिन ही कहा था कि विपक्ष सरकार का आईना होता है। हम जन–समस्याओं को लेकर इस सदन में आएं हैं, हम किसानों की बात पर चर्चा करना चाहते हैं, हम कानून व्यवस्था पर चर्चा कराना चाहते है, हम मजदूरों पर चर्चा कराना चाहते हैं, हम रोजगार पर चर्चा करना चाहते हैं, हम शिक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की तमाम जन–समस्याओं को विधान सभा के पटल पर रख कर सरकार से यह बराबर मांग करते रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से कि सरकार उसका संज्ञान ले और उस समस्या का निस्तारण करे लेकिन जिस तरह का प्रतिउत्तर लगातार अनुपूरक प्रश्नों में आता है वह स्पष्ट प्रश्नों का भी उत्तर नहीं आता और पक्ष लगातार विपक्ष पर ऐसे हमलावर की स्थिति में होता है जब नेता प्रतिपक्ष बोलने को उठते हैं, नेता बसपा बोलने को उठते हैं, या हमारे सदस्य बोलने को उठते हैं तो लगातार माननीय मंत्री जी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, लगातार संसदीय कार्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे लोग टीका–टिप्पणी उधर से शुरू कर देते हैं। महोदय, यह कहीं न कहीं इस लोकतंत्र के लिए बहुत गम्भीर विषय है और कहीं न कहीं लोकतंत्र का गला दबाने जैसा और विपक्ष को पूरी तरह समाप्त करने जैसा विषय है। महोदय, आज सब लोग समूचा विपक्ष यही निर्णय लेकर आया है।

श्री अध्यक्ष–

आप भी कहीं यह निर्णय न लीजिए, आप हम लोगों की प्रार्थना के बाद निर्णय लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, हम सब लोग सत्ता पक्ष के इस आचरण और व्यवहार के नाते, आज हम सब लोगों का इस सदन से बहिर्गमन करने का निर्णय है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, बराबर सदन में पिछड़े और दलितों को चाहे यहां हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्य सभा में हो दलित और पिछड़ों की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है, हम लोग सदन से बहिष्कार करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम गोविन्द जी, माननीय राम गोविन्द जी।

(श्री राम गोविन्द चौधरी समस्त विपक्ष के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सुनना चाहिए इनको भी, इनको सुनने की आदत डालनी चाहिए। जहां तक दलित और पिडड़ों को बात है।

श्री अध्यक्ष–

हमारी बात को सुनना चाहिए, हमारी प्रार्थना को न सुनना।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमने तो यह साबित कर दिया कि एन0डी0ए0 ने भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित को हिन्दोस्तान के सर्वोच्च पद पर प्रत्याशी बनाकर यह साबित कर दिया कि हमारी मानसिकता क्या है, हमारी नीति क्या है, हमारी दिशा क्या है। मान्यवर, चूंकि बात हमारी नेताओं की आई है सपा के, बसपा के और कांग्रेस के तो मान्यवर, हमारी बात भी आना जरूरी है। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी कल माननीय नेता सदन ने कहा उसमें न तो कहीं अहंकार था और न किसी का नाम लिया गया था। नेता विरोधी दल ने जितना चाहा उतना बोला, नेता बसपा ने जितना चाहा उतना बोला और नेता कांग्रेस ने भी जितना चाहा उतना बोला, आज तक कार्यवाही निकालकर देख लें मैं भी इस सदन में 8 बार से हूं। मान्यवर, कभी भी दूसरे नम्बर की पार्टियों को और तीसरे नम्बर की पार्टियों को इतना समय नहीं दिया गया जितना इस बार नेता बसपा और नेता कांग्रेस को दिया गया, जितना चाहा उतना बोला। मान्यवर, नेता विरोधी दल का तो अधिकार है लेकिन नेता बसपा को और नेता कांग्रेस का इनका समय हमेशा सीमित होता है तो यह कहना कि सदन में आवाज दबाई जाती है, सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, यह आरोप पूर्णतया मिथ्या और निराधार है इसमें कोई दम नहीं है। मान्यवर, किसी भी प्रकार का, आप अगर कार्यवाही देख लेंगे एक भी शब्द माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी के ऊपर नहीं कहा। सवाल यह हुआ माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी टिप्पणी की, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार से नियुक्तियां हुई अगर उसके ऊपर सी0बी0आई0 की जांच कराने के लिये घोषणा कर दी तो उसमें क्या बुरा किया, उसमें क्या बुरा किया यह पूरा प्रदेश जानता है नौजवानों के हितों की हकतलफी उसमें हुई और वह जांच का विषय है इसलिये जांच के लिये कहा गया कि जांच उसमें होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि वह एक तरीके से न्याय के प्रति एक ऐसा कदम है जो उठाया जाना चाहिये और इसीलिये माननीय योगी जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में यह घोषणा की कि उसमें जांच कराई जायेगी और मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से न्यायोचित है जिन लोगों का हक इसमें मारा गया मान्यवर, उन लोगों की पीड़ा न तो देखी जाती है और न सुनी जाती है और जितनी भी संवैधानिक संस्थायें हैं उस समय जब यह हो रहा था उन लोगों ने तब इस पर आपत्ति भी उठायी थी लेकिन उस वक्त किसी की सुनी नहीं गयी और वह प्रक्रिया लगातार जारी रही। मान्यवर, अंततोगत्वा आज जब जनता ने जनादेश दिया है तो जनता ने जनादेश इसलिये दिया है कि हम प्रशासन को चुस्त–दुरुस्त करें, हम न्याय दिलायें लोगों को और जहां कहीं पर भी अन्याय हुआ उसके खिलाफ हम खड़े हों, लोगों में एक संदेश भी जाये कि यह सरकार न्यायप्रिय है और लोगों को न्याय देना चाहती है। मान्यवर, जहां तक असंसदीय भाषा का प्रश्न है आप देख लें कार्यवाही, एक भी शब्द असंसदीय नहीं है लेकिन जिस तरीके से

नेता विरोधी दल ने एक उदाहरण देकर मैं कहना नहीं चाहता लेकिन जिस तरह से नेता विरोधी दल ने कल जो उदाहरण दिया।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा बैठे–बैठे बोलने का प्रयास करने पर)

अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर हमारा बैठ जाना ही अच्छा होगा। जिस तरह नेता विरोधी दल ने कल एक उदाहरण यहां पर दिया। मान्यवर, मैं पूरे सदन से निहायत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं और आप भी संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं, विद्वान भी हैं, इतने बड़े वेदों के भी ज्ञाता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह संसदीय था। किसी हालत में मान्यवर जो उन्होंने उदाहरण दिया, वह विधान सभा के स्तर का नहीं था। उन्होंने असंसदीय आचरण किया, ऐसा आचरण उनकी तरफ से हुआ, उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग करके असंसदीय तरीके से एक जैसी इक्जाम्पिल मान्यवर, पेश की, जो इस सदन में किसी भी हालत में उचित नहीं है। मान्यवर, इस सदन की बहुत ही उच्च परम्परायें रही हैं। माननीय गोविन्द बल्लभ पंत से लेकर माननीय पुरुषोत्तम दास टण्डन तक जिन्होंने परम्परायें यहां पर बनाई हैं, स्थापित की हैं। लेकिन जब इनको लोग पढ़ेंगे तो लोग शर्म से कहेंगे कि आखिर यह किस तरीके के नेता विरोधी दल थे। जिस तरीके की इन्होंने इक्जाम्पिल दी। एक बच्चे ने क्या किया, उसके बाप ने क्या किया उसके बाबा ने क्या किया। ऐसा लगता था जैसे कोई चौराहे पर बोल रहे हों तालियां बजवाने के लिये। जैसे चौराहे के ऊपर कोई तमाशबीन नहीं होते हैं ठीक उसी प्रकार से तमाशबीन की हरकत करते हुये नेता विरोधी दल ने कल अपना आचरण किया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कल अशालीन बताया था उसको।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी मान्यवर, आपने कृपापूर्वक उसके ऊपर टिप्पणी भी की थी लेकिन अपने आप असंसदीय आचरण करें और उसके बाद सत्ता पक्ष को दोषी ठहरायें मान्यवर, यह ठीक नहीं है। हमको कोई सत्ता का अहंकार नहीं है, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं और सत्ता तो मान्यवर, कोई पहली बार नहीं मिली है सत्ता 1991 में भी मिली थी, 1991 में भी हम लोग सरकार में थे और आज से लगभग 26–27 वर्ष पहले सत्ता मिली थी और विधान सभा में सदस्यों द्वारा टोकाटाकी, टिप्पणी यह तो विधान सभा की लगातार बरसों की परम्परायें चली आ रही हैं। उसको इस तरह से कोड करके सदन से चले जाना, यह विपक्ष की भूमिका का किसी प्रकार से निर्वाह नहीं है। जो भी जनादेश इनको जनता की तरफ से मिला है उसका भी अपने आप में अनादर है, उसका एक तरीके से प्रतिकार है। मान्यवर, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग दूसरे सदनों में देवी देवताओं पर कमेंट करते हैं, मान्यवर, यह देश आस्थाओं का देश है। यह देश करोड़ों लोगों की आस्था जिन देवी–देवताओं के ऊपर है उन देवी–देवताओं के प्रति दूसरे हाउसेस में कमेंट करते हैं, दूसरे हाउस में टिप्पणी करते हैं। जिनको हम नतमस्तक करके जिनकी पूजा करते हैं, जिनकों हम शीश झुकाते हैं बहुत से लोग अपनी जिदंगी शुरू करने से पहले प्रातः उनको नमन् करते हैं। आज यह लोग उनके प्रति अशोभनीय

टिप्पणियां करते हैं, तो क्या उन लोगों की आस्थाओं के ऊपर ठेस नहीं लगती, जिस प्रकार से इनकी पार्टी के लोग दूसरे हाउसेस में इस प्रकार की टिप्पणी करें। तो जब यह ठेस पहुंचायें और जब यह काम करें तब तो वह ठीक मान्यवर और अगर मान लिया कल किसी तरीके से किसी बात पर, मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर कौन सी ऐसी बात कह दी थी जिसमें इतना बड़ा फैसला विपक्ष ने ले लिया। कोई ऐसी बात नहीं कही गयी, आप कार्यवाही उठाकर देख लें, कोई ऐसी बात नहीं कही गयी। सदन में जिस प्रकार से बोलचाल की भाषा होती है और बहुत प्रभावी तरीके से माननीय योगी जी ने एक–एक विषय के ऊपर बहुत तार्किक तरीके से किसमें क्या–क्या व्यवस्था हमने की, उनकी जो व्यवस्था थी, उसका काट करके तार्किक तरीके से माननीय नेता सदन ने अपनी बात रखी।

मान्यवर, इस कार्यवाही को दिखवा लें, हर तरह से माननीय योगी जी ने उनकी सरकार में किये हुये कामों की एक तार्किक तरीके से जो लोकतंत्र में आलोचना करने का अधिकार है हमारा, वह उन्होंने किया और अपनी नीतियों को भी बताया। तो मैं समझता हूं कि यह तो एक तरीके से अपने आप में सम्पूर्ण विपक्ष की खिसियाहट है, उनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिये। जहां तक सदन चलाने की बात है, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, हमको जनादेश मिला है जनता ने हमको 325 चुना हुआ है और हम आपको फिर से दोहराना चाहते हैं कि हमें न किसी प्रकार का अहंकार है न सत्ता का कभी अहंकार है और न मान्यवर, कभी कोई पद जिदंगी में हावी होगा इसलिये मैं आपसे निहायत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जो कार्यवाही का शेष भाग है उसको पूरा किया जाये और अगर आप चाहे तो सदन थोड़ी देर आप स्थगित कर दें। एक बार फिर से नेता विरोधी दल से, नेता कांग्रेस से, नेता बसपा से बुलाकर बात भी कर लें। हमारी तरफ से किसी तरह का अहंकार नहीं है, सदन में बोलने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है और किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिस पर इतना बड़ा फैसला विपक्ष ले इसलिए हम उनके व्यवहार को किसी प्रकार से उचित नहीं ठहराते हैं और मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि जितनी संख्या भी विपक्ष की आई है यह जनता के फैसले का निरादर है इसलिए अगर आप चाहें तो आप उनसे बात कर सकते हैं। मैंने भी नेता विरोधी दल से आज बात की थी क्योंकि मुझे जब पता चला कि पीठ से मा0 अध्यक्ष जी ने उनको बुलाकर बात करना चाहा तो उन्होंने शायद मना कर दिया। मैंने पौने ग्यारह बजे आज फोन से मा0 नेता विरोधी दल से बात की और हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या स्थिति है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम लोग लिखा–पढ़ी में व्यस्त थे कोई नोटिस देता है, कोई कुछ करता है इसलिए 10 बजे तक व्यस्त थे इसलिए हम नहीं बात कर पाये, अब हम उनसे बात करेंगे। मतलब कि उन्होंने हमसे बिल्कुल नार्मल तरीके से बात की लेकिन हमको यह अस्वाभाविक लगा कि जब विधान सभा अध्यक्ष नेता विरोधी दल को, नेता बसपा को या किसी अन्य नेता को बुलाते हैं तो सामान्यतया पूरे सत्कार के साथ उसको शिरोधार्य भी करते हैं और मा0 अध्यक्ष का जो निर्देश होता है उसका पालन भी करते हैं। यह एक अस्वाभिक घटना मुझे लगी

इसलिए मैंने आज नेता विरोधी दल से आज फोन पर बात की और मैंने चाहा था कि अगर उनके मन में कोई बात हो तो वह मुझसे कहें क्योंकि यह अस्वाभिक घटना हुई थी इसलिए मुझे बात करने की आवश्यकता पड़ी लेकिन उन्होंने अपनी बात को हमसे फोन पर नहीं बताया। मान्यवर, यह भी कोई तरीका नहीं है, जब उन्होंने अपनी बात हमसे कही तो सरकार का पक्ष भी सुनकर जाते, उनको सरकार का पक्ष सुनना चाहिए था, हम अपनी बात कहें और सरकार का पक्ष न सुनें यह कहां का न्याय है, यह भी अपने आप में एक ज्यादती है।

लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि आप एक बार फिर से पहल करें और हम भी यह कोशिश करेंगे विपक्ष के नेता यहां सदन में आयें और चर्चा में उसी तरह से भाग लें जिस तरह से लेते रहे हैं और यहां पर किसी प्रकार का हमारी तरफ से न तो कोई असंसदीय आचरण होगा और न ही किसी प्रकार के अहंकार का कोई प्रदर्शन है और अपनी भूमिका के अतिरिक्त न तो हमारी किसी प्रकार की सोच है। यही सोच हमारे मुख्य मंत्री जी की भी है, योगी जी भी यही चाहते हैं, उन्होंने 10 बार अपने भाषण में कहा होगा कि हम आपका साथ चाहते हैं, आप भी हमारे साथ चलकर आवास का सर्टिफिकेट बांटें, जिनके कर्ज माफ हुए हैं उनके लिए सर्टिफिकेट आप भी बांटें, कम से कम 10 बार उन्होंने कहा होगा तो वह बात उनको याद नहीं रही और पता नहीं किस बात पर नाराजगी है, हमारी तो यह समझ में नहीं आया, इसलिए मान्यवर, हम लोग हाउस चलाना चाहते हैं और पूरा बजट चर्चा के बाद पास कराना चाहते हैं, यह हमारा पक्ष है इसलिए हमने आपसे निवेदन किया अब आप इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लें।

(श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप भी बोलेंगे।

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'–

मान्यवर, दो मिनट हमें भी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है लेकिन कुछ मीठा बोलें। आप जो कहना चाहते हैं वह सुझाव दे दीजिए।

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'–

मा0 अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन, कल यशस्वी मुख्य मंत्री जी के भाषण में ऐसा कोई भी शब्द नहीं था जिसे आचरणविहीन कहा जाए। हमारे विपक्ष के साथी लोग अपनी करारी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि सच को स्वीकार करने में उन लोगों को दिक्कत हो रही है। कल मा0 मुख्य मंत्री जी के भाषण में जो भी विषय आया, प्रदेश की अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति को उन्होंने कहा जो अपराध से

जुड़ा रहा है जो अपराधियों को शरण देने का काम करता है चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का और बुरी बात जो लगी वह आजमगढ़ में जो एक अपराधी मुलायम यादव की बात कही, कोई भी अपराधी हो किसी भी नाम का हो अगर वह अपराधी है तो उसका नाम तो लिया ही जायेगा और मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात उसमें निहित करके कहना चाहूंगा। हिम्मत के साथ सच को उठाने की बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिम्मत के साथ सच को उठाने का काम किया है।

हिम्मत के साथ सच को उठाने की बात है।
दर्पण इन फरेबियों को दिखाने की बात है।
मैं मानता हूं कि सूरज को कोहरे ने ढ़क लिया था,
मगर इस आवरण को हटाने की बात है।

धन्यवाद।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप क्यों बोल रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो अपनी बात रखी है उसी के समर्थन में अपनी बात रखूंगा।

श्री अध्यक्ष–

हम अपनी बात कह दें फिर आप बोलें।

श्री सतीश महाना–

एक मिनट में मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

सब लोग बोलने लगेंगे तो फिर विषय रह जायेगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं अन्यथा नहीं बोल रहा हूं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो बात कही है मैं उससे अपने–आप को सम्बद्ध करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

सब लोग सम्बद्ध करते हैं।

श्री सतीश महाना–

परम्परा है समर्थन करने का। मान्यवर, ये जो कुछ भी मा0 नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं ने किया है ये शायद उचित नहीं था क्योंकि लोकतांत्रिक परम्परा के अन्तर्गत पक्ष और प्रतिपक्ष मिला करके लोकतंत्र बनता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने न तो किसी दल का नाम, न किसी व्यक्ति का नाम लिया है। जैसे कहा गया कि उन्होंने कहा कि 'जो कोई भी होगा', तो मान्यवर, जो कोई भी में, कोई भी हो सकता है, चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। इस प्रकार की कोई विशेष रूप से न तो उन्होंने कोई इंगित

किया, न टिप्पणी की। इसलिए यह करने का औचित्य नहीं था। मैं केवल इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पर बैठे हुए जो लोग थे जिन लोगों ने वाक–आउट किया है। मान्यवर, इनके लिए यह रिकार्ड पर है इसलिए उसको रिपीट करना चाहता हूं, नहीं तो यह रिपीट करने का इश्यू नहीं था कि इस प्रकार की भाषा को न तो हमारे स्वभाव में है, न हमारी परम्परा में है कि हम उसका रिपीट करें। यहां पर बैठे हुए मा0 नेता सदन थे या उनके बगल में बैठे हुए नेता थे उन्होंने इन्हीं में से एक नेता को कहा था, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे उसको रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि यह रिकार्ड पर है। उन्होंने कहा था कि 'गन्दी नाली के गन्दे कीड़े' और व्यक्तिगत रूप से आक्षेप करके व्यक्ति का नाम लेकर कहा था। उस समय नहीं याद आया था कि किसी प्रकार का वाक–आउट करना है, उस समय नहीं याद आया था कि नहीं, परम्परा के विपरीत जाकर 'गन्दी नाली के गन्दे कीड़े' कहने के बाद भी यहां पर बैठे हुए उसको सुन रहे थे। उस समय नहीं याद आया था। उस समय याद आता और उस समय वाक–आउट करते तब तो समझ में आता था कि प्रतिपक्ष की पूरी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं में से थे। क्योंकि मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता और जो लोग उस सदन में थे और वह आज यहां से वाक–आउट करके गये हैं क्या उनको यह बात याद नहीं थी कि यहां पर बैठ करके प्रतिपक्ष को किस भाषा के अन्तर्गत, असंसदीय भाषा के अन्तर्गत कहा जाता था और उस असंसदीय भाषा को, उन शब्दों को हटाने की बात होती थी, तो उसको जस्टीफाई करने का काम किया जाता था। आज वो लोग इस प्रकार की बात करते हैं। श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर, महामहिम राज्यपाल के ऊपरटिप्पणी करने के पश्चात् जिसके ऊपर इस सदन की परंपरा है कि महामहिम राज्यपाल के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। उनके ऊपर टिप्पणी करने के बाद, उनके ऊपर कागज के गोले फेंकने के बाद, वह आचरण होना चाहिए था।

मान्यवर, जो बात माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कही है नेता प्रतिपक्ष और अन्य सभी राजनीतिक दल के साथियों को इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए, कि वह यहां आये, अपनी बहस करें। हम सरकार हैं उसका उत्तर देंगे। एक्चुवली वह यहां से जानबूझकर जाना चाहते थे क्योंकि पिछले 5 वर्षों का उनके पास कहने को कुछ था नहीं। क्योंकि जो कुछ हमें विरासत में मिला है हम उसकी सफाई करेंगे। तभी एक नई इमारत खड़ी करेंगे। अभी हमको कूड़े का ढ़ेर मिला है। अगर हम करेंगे कि कूड़े का ढ़ेर मिला है तो कहेंगे कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। मगर यह सच है और यह सच जनता ने साबित किया है और 325 लोगों को चुनकर जनता ने साबित किया है। (मेजें थपथपायी गयी।) इसलिए उस बात को सुनना नहीं चाहते हैं परन्तु फिर भी मान्यवर, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर एक सरकार होते हैं और जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है आपको उसका निर्णय लेना है। आप हमारे इस सदन के संरक्षक हो, सर्वोच्च पीठ के ऊपर बैठे हो। कोई भी निर्णय आप करेंगे वह बातचीत करके करेंगे, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

हम भारत के लोगों ने संविधान को सर्वोपरि सत्ता माना है। जैसे माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान मुख्य रूप से माननीय न्यायालयों की कृपा पर आधारित है और ब्रिटिश संसदीय परिपाटी संसद को सम्प्रभु मानती है। इन दोनों से ठीक अलग भारत में संविधान की सत्ता है और हम जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों को संविधान के कृपा–प्रसाद से, सत्तापक्ष को चाहे विधायक हम सत्तापक्ष के ही क्यों न हों सरकार को जबावदेह बनाने की जिम्मेदारी मिलती है। प्रश्नों के माध्यम से, औचित्य के प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, कार्य–स्थगन के माध्यम से, बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ऐसे माध्यम से, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए ऐसे माध्यम से, सरकार को सुझाव देना, सरकार को जवाबदेह बनाना, यह अधिकार इस आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य को मिला हुआ है। सदन में स्वाभाविक रूप से कभी गरम कभी नरम, कभी हास्य–विनोद, कभी नोंक–झोंक ऐसा होता है और होना भी चाहिए। भारत की संविधान सभा में भी नोंक–झोंक हुई थी और लम्बे समय तक लगभग 3 साल तक चली संविधान सभा की कार्यवाही के अन्तिम दिन डा0 अम्बेडकर ने भी कहा था कि हां स्वाभाविक रूप से नोंक–झोंक चली और अगर हमारी बातों का विरोध करने वाले माननीय सदस्यगण न होते तो संविधान की कार्यवाही नीरस हो जाती। इधर जो सदन चल रहा था वह पहले दिन के बाद ठीक–ठाक चल रहा था। मेरी कोशिश रही है कि प्रतिपक्ष को अतिरिक्त सम्मान मिले और ऐसा मैंने किया भी है और बजट की सामान्य चर्चा में प्रतिपक्ष के माननीय विधायकों की संख्या, जो उनकी संख्या का अनुपात है उसकी तुलना में बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों की संख्या है, उनकी संख्या के अनुपात में बोलने वालों की संख्या कम है। इस तरह यहां सत्ता पक्ष को, प्रतिपक्ष को, इस अध्यक्ष पीठ से बराबर का सम्मान दिया गया है। हमारी प्राचीन संसदीय परिपाटी में ऐसा कहीं नहीं मिलता कि वाद–विवाद और संवाद, प्रश्न और उत्तर, इनके बीच में कोई पक्ष यूं ही क्षुब्ध होकर, कोई कारण भी हो सकते हैं, अकारण भी हो सकते हैं। क्षोभ का क्या ? क्षोभ हमेशा कारण से ही नहीं आता। हम सब मनुष्य हैं तो अकारण भी आ जाता है लेकिन जो दायित्व निर्वहन करने का उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता ने इस आदरणीय सदन के एक–एक सदस्य को जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मदारी का निर्वहन हम सबको करना चाहिए और हममें से अधिकांश सदस्य, अधिकांश क्या लगभग सब करते हैं।

माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य अपने अब तक का जो मिला अवसर है अगर उसकी समीक्षा करेंगें और हमारी विनम्र विनती है उनसे, अनुरोध है कि इस आदरणीय सदन में भिन्न–भिन्न नियमों में जब–जब वह आये हैं तो अनेक अवसर ऐसे हैं जहां पहले हमने उनकी बात को नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण सुनने से इंकार किया लेकिन उनके अनुरोध पर हमने उनको लगातार सुना है। आज नेता प्रतिपक्ष, हमारे बहुत आदरणीय हैं, सबके आदरणीय हैं, पूरा सदन उनका आदर करता है उन्होंने अपनी बात कही। नेता, बहुजन समाज पार्टी ने, पढ़ाई लिखाई में बहुत उत्कृष्ट मित्र है हमारे, उन्होंने भी अपनी

बात कही। कांग्रेस ने भी अपनी बात कही। मेरा मन था कि वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री की भी बात सुन लेतें। आप घर से बैठकर, मैं घर से बैठकर ही निर्णय बना लूं कि हमसे आज सब माननीय विधान सभा के सदस्य नाराज हैं तो यह ठीक नहीं होगा, जब तक कि मैं यह सुन न लूं कि वास्तव में नाराज हैं। नाराज हैं तो किस बात पर नाराज हैं और इसके पीछे कोई किन्तु परन्तु लेकिन ऐसी चीजें तो नहीं। तो उन्होंने अपनी बातें तो रखीं, सरकार का पक्ष नहीं सुना चलिये सरकार से आपको कहीं कोई आहत हो गये हैं। हमारी बात सुननी ही चाहिए। मैंने कई बार अनुरोध किया आप सबके सामने कि आप अपना निर्णय न पहले सुनायें, अपनी बात रखें फिर निर्णय हमारी बात सुन कर दें। मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और मैं इस आदरणीय सदन के माध्यम से सम्पूर्ण विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वह इस आदरणीय सदन की कार्यवाही में ठीक से हिस्सा लें। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता हमारा हिसाब–किताब रख रही है, सबका हिसाब–किताब रख रही है। प्रत्येक विधान सभा के सदस्य का लेखा–जोखा उसके पास है। जैसा मैंने कहा, मैं उनका आवाह्न करता हूं, उनसे अपील करता हूं, इससे अच्छा कोई मंच नहीं हो सकता है कि वह इस कार्यवाही में वह हिस्सा लें। मुझे इतना ही कहना था कि वह सब इसमें हिस्सा लें और हम सब इस आदरणीय सदन की कार्यवाही को इस सीमा तक सुन्दर, तर्कपूर्ण, तर्कनिष्ठ, तर्क–प्रत्यर्क और संवाद के माध्यम से इस आदरणीय सदन की कार्यवाही को इस सीमा तक उत्कृष्ट और सौन्दर्यपूर्ण बनायेंगे जिससे देश की सबसे बड़ी विधान सभा और उस विधान सभा के भीतर होने वाले श्रेष्ठतम तर्क, इसका संदेश न केवल भारत को, बल्कि सारी दुनिया को जाना चाहिए।

कार्यसूची में पहला विषय प्रश्नों का है और आज की कार्यवाही के सभी प्रश्न और उत्तर उत्तरित माने जाएंगे। इसके बाद मद संख्या–3 है।

(श्री आजाद अरिमर्दन का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी। 12 बजकर 05 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12.20 तक के लिए बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

तारांकित

प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा किसानों की उपज का डेढ़ गुना मूल्य दिये जाने की मांग

(1) श्री नितिन अग्रवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :– उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश स्तर पर कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मूल्य परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया गया है। परिषद् की बैठक करते हुए प्रत्येक वर्ष खरीफ तथा रबी मौसम की फसलों के मूल्यों की संस्तुति कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

मूल्य परामर्शदात्री परिषद् की दिनांक 19 अप्रैल, 2015 की आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि फसलों के संस्तुत मूल्य में फसल की प्रति कुन्तल उत्पादन लागत पर 10 प्रतिशत प्रबंधकीय व्यय को जोड़कर प्राप्त धनाशि पर 50 प्रतिशत लाभांश के रूप में जोड़कर फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु कृषि लागत और मूल्य आयोग को संस्तुत किया जाये।

परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2015–16 के खरीफ एवं रबी मौसम से प्रदेश की प्रमुख फसलों के फसलवार संस्तुत मूल्यों की संस्तुति न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में घोषित करने हेतु कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारत सरकार को प्रेषित की जा रही है।

प्रदेश के नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर बने संस्थानों और कंपनियों में किसानों द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर उनके बच्चों के प्रवेश पर आरक्षण/रियायत देने के सम्बन्ध में

(2) श्री पंकज सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर बने संस्थानों और कंपनियों में, जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी उनके बच्चों को रोजगार के लिए आरक्षण/रियायत देने का कोई नियम लागू है ? यदि हां, तो क्या इस नियम का पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्ष का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

औद्योगिक आवंटियों को जारी किये जाने वाले आवंटन पत्र की बिन्दु सं0–31 में स्पष्ट उल्लेख है कि ''आवंटी नोएडा स्थापित होने वाली इकाईयों में जितने कर्मचारी नियुक्त करेगा उनमें कम से कम 5 प्रतिशत ऐसे होगें जो नोएडा क्षेत्र के गांवों के मूल निवासी अथवा उनके आश्रित हैं तथा जिनकी भूमि प्राधिकरण नोएडा क्षेत्र के विकास लिये अधिकृत की गई है।''

संदर्भित शर्त का कार्यशील कम्पनियों द्वारा यथासम्भव पालन किया जा रहा है।

कम्पनियों/औद्योगिक इकाईयों में रोजगार हेतु इच्छुक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसका रिकार्ड सम्बन्धी कम्पनियों द्वारा रखा जाता है। इस सम्बन्ध में 05 वर्ष की सूचना कम्पनियों से संकलित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कताई मिलों को चालू किये जाने की मांग

(3) श्री उमाशंकर सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बंद पड़ी कताई मिलों को चालू किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन मिलों को तकनीकी व्यावसायिक दृष्टिोण से चलाया जाना लाभकारी एवं व्यावहारिक नहीं है। अतः सभी कताई मिलों में बन्दी घोषित है एवं इनके समस्त कर्मिकों को शासन की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत वी0आर0एस0 का लाभ देकर सेवानिवृत्त किया जा चुका है। वर्तमान परिस्थितियों में मिलों को चलाये जाने के सम्बन्ध में कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रभावी नीति बनाने की मांग

(4) डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को व्यवसाय, लघु कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण, प्रशिक्षणोपरान्त ऋण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार किसी प्रभावी नीति को बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)–

जी नहीं।

प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले युवक–युवतियों को व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की शर्तों के अनुरूप उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु आसान ब्याज दर पर ऋण प्रदान किये जाने की योजना विभाग में पूर्व से संचालित है।

उक्त के अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले इण्टरमीडिएट पास शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी में लाभ एवं स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। उक्त योजना वर्ष 2007–2008 से संचालित है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में पात्रता की आय सीमा रु0 1.00 लाख वार्षिक तथा प्रशिक्षण हेतु प्रतिपूर्ति की धनराशि रु0 15,000/– प्रति प्रशिक्षार्थी निर्धारित है।

प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना की दर 500 रु0 से बढ़ाकर 1000/– करने की मांग

(5) श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत समाजवादी पेंशन योजना की दर 500 रु0 से बढ़ाकर 1000/– रु0 करने पर सरकार विचार करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ करने पर भी विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में दर वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

योजनान्तर्गत लाभार्थियों के सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लक्ष्य वृद्धि (यदि किया जाना है, तो) के सम्बन्ध में सत्यापनोंपरान्त निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों के लिये समयबद्ध कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध में

(6) श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की दशा–दिशा सुधारने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र के लिए एक समग्र समेकित एवं लक्ष्य परक समयबद्ध कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां।

उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा–दिशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में समग्र समेकित एवं लक्ष्य परक समयबद्ध कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम निम्नवत् क्रियान्वित किये जा रहे हैं :––

कृषि–

प्रमाणित बीजों/अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों की सभी विकासखण्डों पर बुवाई से पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

कृषि में लागत कम करने की तकनीक को अपनाते हुए फसलोत्पादन में वृद्धि करना–

(1) मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर रासायनिक उर्वरकों/खादों के संतुलित प्रयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जाना।

(2) सामान्य यूरिया के स्थान पर नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग पर विशेष बल देना।

सिंचाई संसाधनों को बढ़ावा–

(1) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई (टपक सिंचाई) तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार।

(2) प्रदेश के ''डार्क'' विकास खण्डों में खेत–तालाब का निर्माण।

जैविक खेती को प्रोत्साहन।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आच्छादन वृद्धि हेतु कृषकों को मिनी किट (बीज) का वितरण।

सस्ती एवं पर्यावरण अनुकूल सिंचाई हेतु अनुदानित दर पर सोलर पम्प उपलब्ध कराना।

एग्री–जंक्शन केन्द्र के माध्यम से कृषकों को एक ही छत के नीचे बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन तथा कृषि यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराना।

कृषि विकास दर में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य पालन, औद्यानिकी, रेशम एवं मण्डी व्यवस्था पर भी विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

ग्राम्य विकास विभाग–

विभाग द्वारा भारत सरकार से प्रायोजित ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार परक ग्रामीण आवास और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि दर निर्धारित किये जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में

(7) श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की अन्य राज्यों की तुलना में कृषि विकास दर कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह कृषि विकास दर बढ़ाये जाने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत निर्धारित है। प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ाने हेतु सरकार की मुख्य रणनीति निम्नवत् है :––

1–प्रदेश के रेन फेड क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा।

2–मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण।

3–पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों को कम करने हेतु प्रयास।

4–खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग)।

5–किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य दिलाये जाने का प्रयास।

6–फसल बीमा।

7–औद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन आदि हेतु प्रोत्साहन।

8–कृषि विविधीकरण।

निर्धारित रणनीति की प्राप्ति हेतु कृषि विभाग द्वारा प्रमुख संचालित योजनाएं–

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन–खाद्यान एवं दलहन उत्पादन वृद्धि हेतु।

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम–तिलहनी फसलों के उत्पादन हेतु।

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर–मृदा एवं जल संरक्षण तथा मृदा परीक्षण का कार्यक्रम।

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्सन–प्रसार एवं कृषि यंत्रीकरण के कार्यक्रम।

परम्परागत कृषि विकास योजना–जैविक खेती को प्रोत्साहन।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की हरित क्रांति की योजना।

सोलर पम्प की योजना।

विशेष रूप से कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

कृषि विकास दर में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा कृषि कार्यक्रमों के अतिरिक्त औद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम एवं मण्डी व्यवस्था पर भी विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा एवं चित्रकूट के अति पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराने की कार्ययोजना की मांग

(8) श्री संजय गर्ग–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अति पिछड़े जनपद बांदा एवं चित्रकूट में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराने की सरकार की कोई कार्ययोजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

प्रदेश सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र जिसमें जनपद बांदा एवं चित्रकूट भी सम्मिलित हैं, के विकास हेतु नई औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने हेतु कई प्रोत्साहन अनुमन्य हैं, जिससे भारी/मध्यम/लघु तथा सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गम्भीर रोगी जिनकी किडनी, हार्ट वाल्व, कूल्हा तथा घुटना प्रत्यारोपित रोगियों को दिव्यांग श्रेणी में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में

(9) श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऐसे गंभीर रोगी, जिनकी किडनी, हार्ट वाल्व, कूल्हा तथा घुटना प्रत्यारोपित हुआ है तथा उन्हें आजीवन इलाज एवं दवा पर ही निर्भर रहना है, को सरकार दिव्यांग श्रेणी में सम्मिलित करते हुए उन्हें दिव्यांग पेंशन प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर–

जी नहीं।

प्रदेश में दिव्यांगता की श्रेणी में अब तक उन्हीं दिव्यांगताओं को सम्मिलित किया गया है, जिनका भारत सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–2 की अनूसूची में उल्लेख है। वर्तमान में दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम–2016 प्रवृत्त है। उक्त अधिनियम–2016 में भी कतिपय अन्य दिव्यांगताओं को सम्मिलित किया गया है।

कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण के पश्चात् अगर शारीरिक विकृति पूर्णतः ठीक नहीं होती है और दिव्यांगता स्थायी रूप से बनी रहती है तो ऐसे दिव्यांगजन की जांच/परीक्षण कर मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का प्राविधान है। ऐसे न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र धारी पात्र दिव्यांगजन को दिव्यांग पेंशन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। किडनी एवं हार्ट वाल्व प्रत्यारोपित रोगी दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतएव उन्हें दिव्यांग श्रेणी में सम्मिलित करते हुए दिव्यांगजन पेंशन प्रदान किये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद जौनपुर के वि0ख0 मुंगरा बादशाहपुर व सुजानगंज में पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को 2016–17 में लाभान्वित के सम्बन्ध में

(1) श्रीमती सुषमा पटेल–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगरा बादशाहपुर व सुजानगंज में वित्तीय वर्ष 2016–17 में शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत पिछड़ी जाति के चयनित कितने लाभार्थियों को अनुदान दिया गया तथा कितने शेष रह गए हैं ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2016–17 के शेष लाभार्थियों को भी इस वित्तीय वर्ष 2017–18 में लाभान्वित करेगी ? यदि हों, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर–

जनपद जौनपुर में वित्तीय वर्ष 2016–17 में शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के विकास खण्ड मुंगरा बादशाहपुर में 58 लाभार्थियों को शादी अनुदान दिया गया एवं 27 लाभार्थियों को समयान्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण शादी अनुदान से लाभान्वित नहीं किया जा सका तथा विकास खण्ड सुजानगंज में 79 लाभार्थियों को शादी अनुदान दिया गया एवं 08 लाभार्थियों को भी समयान्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण शादी अनुदान से लाभान्वित नहीं किया जा सका।

अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शासनादेश संख्या–21/2016/396/64–2–2016–1(66)/2006, दिनांक 18 जुलाई, 2016 के प्रस्तर–4(ग्टप) में स्पष्ट प्राविधान है कि 'विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जायेगी'। अतः नियमानुसार वर्ष 2016–17 के अवशेष लाभार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सीतापुर में पारिवारिक लाभ के कुल स्वीकृत फार्मों की संख्या तथा लाभार्थियों को भुगतान कराने के सम्बन्ध में

(2) श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में वर्ष, 2017 में पारिवारिक लाभ के कुल कितने फार्म स्वीकृति हेतु लम्बित हैं ? क्या सरकार समयबद्ध रूप में पात्र पारिवारिक लाभार्थियों को भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद सीतापुर में वर्ष 2017 में पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 1656 आवेदन पत्र स्वीकृत हेतु लम्बित हैं।

योजनान्तर्गत सत्यापन में पात्र पाये गये लाभार्थियों का भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पात्रों की लड़कियों की शादी अनुदान प्रदान करने की मांग

(3) श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शादी अनुदान में आवेदक द्वारा एक वर्ष में एक पुत्री से ज्यादा दो या तीन लड़कियों की शादी हेतु आवेदन करके

बैंक खाता नम्बर एक ही लगाये जाने पर शादी अनुदान का फार्म अस्वीकार कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक वर्ष में एक से ज्यादा पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान एक ही बैंक खाते पर स्वीकृत करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

शासनादेश दिनांक 10–06–2016 द्वारा शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिये अनुदान अनुमन्य किया गया है।

लाभार्थियों का बैंक खाता पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर से सत्यापित कराने के उपरांत शासकीय अनुदान की धनराशि ई–पेमेन्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में अन्तरित की जाती है। उक्त व्यवस्था में यदि किसी वित्तीय वर्ष में एक परिवार के एक से अधिक पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान सम्बन्धित आवेदन–पत्र दिया जाता है। तो आनलाइन व्यवस्था में पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर द्वारा लाभार्थी का बैंक खाता एक ही होने पर तकनीकी कारणों से आवेदन–पत्र को दुबारा रिस्पान्स नहीं दिया जाता है जिससे लाभार्थी पात्रता रखने के बाद भी लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है।

निदेशक, समाज कल्याण के पत्र दिनांक 05–07–2017 द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुये संशोधन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जौनपुर के वि0ख0 क्षेत्र केराकत में प्रतिभावान बच्चों के विकास हेतु स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में

(4) श्री दिनेश चौधरी–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में युवाओं व खेल में प्रतिभावान बच्चों को विकासोन्मुख बनाने हेतु सरकार एक स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल, युवा कल्याण तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री चेतन चौहान)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या–10(4)/35–आ–1/2011–97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना शासन द्वारा ड्राप कर दी गयी है।

प्रदेश की दोसर, केसरवानी, बरनवाल, अग्रहरि एवं अन्य जातियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के सम्बन्ध में

(5) डा0 नीरज बोरा–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े दोसर, केसरवानी, बरनवाल, अग्रहरि, अयोध्यावासी, ओमर गुलहरे, कमलापुरी आदि जातियों का सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का पहल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर–

जी हां (गुलहरे का छोड़कर)।

प्रश्न ही नहीं उठता।

क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची में सम्मिलित करने के इन जातियों के प्रतिनिधियों के प्रतिवेदनों का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 द्वारा किये गये सर्वेक्षण/संस्तुति के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों को अस्वीकार करते हुए निस्तारित कर दिया गया है।

प्रदेश में 2015–16 एवं 2016–17 में कितने लाभार्थियों को कृषि, पारंपरिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग में प्रशिक्षण कर आत्मनिर्भर बनाने की जानकारी की मांग

(6) डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कितने लाभार्थियों को कृषि, पारंपरिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त वित्तीय वर्षों में कितने लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपरान्त निगम की सामान्य ऋण योजनान्तर्गत व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर–

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के शत–प्रतिशत आर्थिक सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्लास्टिक मशीन आपरेटर, सिलाई, कढ़ाई व्यवसाय में 135 लाभार्थियों एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में बढईगीरी, मॉड्यूलर फर्नीचर, प्लास्टिक मशीन आपरेटर व्यवसाय में 667 लाभार्थियों अर्थात कुल 802 लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराकर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया गया है।

निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से आसान ब्याज दर पर ऋण लेकर किया जाता है। राष्ट्रीय निगम द्वारा निगम को ऋण की धनराशि राज्य सरकार की गारण्टी पर उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप न हो पाने के कारण राष्ट्रीय निगम के देयों का भुगतान नहीं किया जा पा रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय निगम द्वारा इस निगम की योजनाओं के संचालन हेतु ऋण देना बन्द कर दिया गया है, निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण का कार्य बन्द होने कारण उक्त प्रशिक्षित लाभार्थियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।

जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को तकनीकी एवं उद्यमिता प्रशिक्षण दिये जाने की जानकारी की मांग

(7) डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा पिछड़े वर्ग के कितने लाभार्थियों को तकनीकी एवं उद्यमिता दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षणोपरांत कितने लाभार्थियों को सामान्य ऋण योजनान्तर्गत व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर–

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के शत–प्रतिशत आर्थिक सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2015–16 में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में गारमेन्ट्स टेक्नीक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करायी गयी है।

निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से आसान ब्याज दर पर ऋण लेकर किया जाता है। राष्ट्रीय निगम द्वारा निगम को ऋण की धनराशि राज्य सरकार की गारण्टी पर उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप न हो पाने के कारण राष्ट्रीय निगम के देयों का भुगतान नहीं किया जा पा रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय निगम द्वारा इस निगम की योजनाओं के संचालन हेतु ऋण देना बन्द कर दिया गया है, जिससे निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण का कार्य पूर्णतः बन्द है। निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण का कार्य बन्द होने के कारण उक्त प्रशिक्षित लाभार्थियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।

जनपद बागपत में खेल स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में

(8) श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए खेल स्टेडियम की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में खेल स्टेडियम खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

जनपद बागपत में खेकड़ा, बागपत व बड़ौत तीन तहसीलें हैं। बागपत व खेकड़ा तहसीलों पर पहले से ही खेल विभाग द्वारा निर्मित स्टेडियम हैं तथा बड़ौत तहसील में स्टेडियम निर्माणाधीन अवस्था में है जिसका कार्य वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या–10(4)/35–आ–1/2011–97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना शासन द्वारा ड्राप कर दी गयी है।

प्रदेश के शासनादेश संख्या 171/12–3–2014–100(61)2012 टी0सी0, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के सम्बन्ध में

(9) श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के आनलाइन अनुश्रवण, शासनादेश संख्या–171/12–3–2014–100(61)2012 टी0सी, दिनांक 13 फरवरी, 2015 के अनुसार 16 फरवरी, 2015 को सर्विस प्रोवाईडर मेसर्स अग्रवाल भार्गव ऐसोसियेट के प्रस्ताव पर शासन ने अनुबन्ध किया है कि यदि हां, तो लगभग 1 वर्ष पूर्व की इस फर्म ने कृषि निदेशक के पत्रांक कम्प्यूटर/2467, दिनांक 19 फरवरी, 2014 को ही किस आधार पर कार्य प्रारम्भ कर दिया ? क्या सरकार इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेन्सी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं। कृषि विभाग की योजनाओं के ऑनलाइन अनुश्रवण एवं वित्तीय प्रबन्धन हेतु निविदा समिति की संस्तुतियों के अनुरूप सर्विस प्रोवइडर मे0 अग्रवाल भार्गवा एण्ड एसोसिएट के साथ अनुबन्ध किया गया है। कृषि निदेशक के पत्र संख्या–कम्पयूटर–2467, दिनांक 19–02–2014 द्वारा निविदा की शर्तों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए कार्य आरम्भ करने के आदेश दिये गये थे। निविदा की शर्त के अनुसार जमानत की धनराशि एवं अनुबन्ध पत्र पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराये जाने की औपचारिकता शेष थी। यह औपचारिकतायें दिनांक 16–02–2015 को पूर्ण की गयीं। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या–171/12–3–2014–100 (61)/2012टी0सी0, दिनांक 23–02–2015 द्वारा कृषि निदेश को अग्रतर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तदोपरांत ही कृषि निदेशक द्वारा दिनांक 23–03–2015 को मे0 अग्रवाल भार्गवा एण्ड एसोसिएट को कार्य प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि की गयी कार्यवाही नियम संगत है।

प्रदेश में 2012 से अब तक वर्षवार नकली खाद बिक्री के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

(10) श्री दलवीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 से 11 मई, 2017 तक वर्षवार प्रदेश में नकली खाद बिक्री के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं एवं कितने प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि नकली खाद बिक्री के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

प्रदेश में वर्ष 2012 से दिनांक 11 मई, 2017 तक उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रहित नमूनों के अधिसूचित प्रयोगशालाओं में विश्लेषणोपरान्त अमानक पाये गये नमूनों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :––

क्र0सं0	वर्ष	ग्रहित नमूनों की सं0	अमानक नमूनों की सं0	अमानक प्रतिशत
1	2012–13	10302	557	5.41
2	2013–14	10848	722	6.66
3	2014–15	13413	921	6.87
4	2015–16	10324	529	5.12
5	2016–17	10362	825	7.96
6	2017–18	193	10	5.18

उपरोक्त समस्त प्रकरणों में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्राविधानुसार कार्यवाही की गयी है। प्रदेश में अमानक उर्वरकों की बिक्री को रोकने एवं कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु उर्वरक गुण–नियंत्रण की कार्य योजना बनाते हुए उर्वरक व्यवसाय पर छापे एवं नमूना ग्रहित करने के जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसके क्रम में उर्वरक निरीक्षिकों द्वारा छापे मारकर उर्वरक नमूनें ग्रहित करते हुए विश्लेषण हेतु अधिसूचित प्रयोगशालाओं को प्रेषित किए जा रहे हैं एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा भी खरीफ एवं रबी में प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डलवाये गये।

वर्तमान वर्ष 2017–18 में दिनांक 05 जून, 2017 तक प्रदेश में उर्वरक प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए 4903 छापे आयोजित कर कुल 1002 नमूनें ग्रहित किए जा चुके हैं जिनके प्रयोगशालाओं में विश्लेषणोंपरान्त 18 नमूनें अमानक पाये गये। 18 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त किए गए,02 उर्वरक प्रतिष्ठान सील किए गए एवं आवश्यक

वस्तुअधिनियम, 1955 की धारा–3/7 के अन्तर्गत उर्वरक व्यवसाईयों के विरुद्ध 02 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 के कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को महंगी दवा के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 18–3–15 पर कार्यवाही की मांग

(11) श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव कृषि को सम्बोधित पूर्व सदस्य विधान सभा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई का पत्रांक 782/2015, दिनांक 18–03–2015 जो किसानों को मंहगी दवा की राजकीय आपूर्ति की जांच विषयक है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

पूर्व सदस्य विधान सभा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई का पत्रांक 782/2015, दिनांक 18 मार्च, 2015 के साथ श्री महेन्द्र सिंह, निवासी अन्देउरी, पो0 रुद्रनगर, जनपद बस्ती का किसानों को मंहगी दवा की राजकीय आपूर्ति की जांच विषयक शिकायती पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की प्रति कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करते हुये शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराकर जांच आख्या अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये जिसके क्रम में कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र दिनांक 03 जून, 2015 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी। जांच आख्या का परीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रश्नगत शिकायत को साक्ष्य के अभाव में निक्षेपित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र मेजा, बारा, करछना में नील गाय द्वारा किसानों की फसलों को पहुंचाये जा रहे नुकसान को कृषि बीमा या किसी अन्य योजना के तहत जोड़ने के सम्बन्ध में

(12) श्रीमती नीलम करवरिया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र (मेजा, बारा, करछना) में नीलगायों द्वारा नुकसान पहुंचायी जा रही फसलों का कृषि बीमा या किसी अन्य योजना के तहत जोड़कर क्षतिपूर्ति किसानों को मुहैया सरकार करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में संचालित फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

नीलगायों द्वारा नुकसान पहुंचायी जा रही फसलों को फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत कवर नहीं किया जाता है।

प्रदेश में पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखण्ड की भांति कृषि दर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

(13) श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि दर पिछले एक दशक से 3.2 के आस–पास ही है जबकि निकटवर्ती राज्य पंजाब, मध्यप्रदेश, बिहार तथा झारखण्ड में पिछले 10 वर्षों में उससे अत्याधिक वृद्धि हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में भी कृषि दर बढ़ाये जाने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हॉ।

प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ाने हेतु सरकार की प्रमुख योजनायें/कार्यक्रम निम्नवत् है–

प्रमाणित बीजों/अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों की सभी विकास खण्डों पर बुवाई से पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

कृषि में लागत कम करने की तकनीक को अपनाते हुये फसलोत्पादन में वृद्धि करना–

(1) मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर रासायनिक उर्वरकों/खादों के संतुलित प्रयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जाना।

(2) सामान्य यूरिया के स्थान पर नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग पर विशेष बल देना।

(3) जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जिससे भूमि की उर्वराशक्ति एवं उत्पादन में वृद्धि हो सके।

सिंचाई संसाधनों को बढ़ावा–

(1) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई (टपक सिंचाई) को बढ़ावा देने की योजना है।

(2) प्रदेश के डार्क विकास खण्डों में खेत तालाब का निर्माण।

कृषि विविधीकरण–समेकित कृषि विकास के लिये कृषि के साथ–साथ पशुपालन, औद्यानिकी, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन आदि का समावेश।

जैविक खेती को प्रोत्साहन।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।

सस्ती एवं पर्यावरण अनुकूल सिंचाई हेतु अनुदानित दर पर सोलर पम्प उपलब्ध कराना।

एग्री–जंक्शन केन्द्र के माध्यम से एक ही छत के नीचे कृषकों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा कृषि यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराना।

प्रदेश में कृषि विकास दर वृद्धि हेतु कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनायें– एन0एफ0एस0एम0, नूप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, एन0एम0एस0ए0, एन0एम0ए0ई0टी0, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हरित क्रांति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सोलर पम्प योजना आदि का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

कृषि विकास दर में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य पालन, औद्योनिकी एवं मण्डी व्यवस्था पर भी विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की बटलर पैलेस कालोनी में नवनिर्वाचित विधायकों को आवास अवंटन करने के सम्बन्ध में

14–श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बटलर पैलेस राजकीय कालोनी, लखनऊ में कितने नवनिर्वाचित विधायकों को आवास आवंटित किया गया है तथा उक्त में से कितने विधायकों को आवंटित आवास का कब्जा दे दिया गया है? क्या सरकार बतायेगी कि शेष विधायकों को आवंटित आवास का कब्जा कब तक दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

बटलर पैलेस, लखनऊ स्थित राजकीय कालोनी में कुल छः नवनिर्वाचित मा0 विधायकों को आवास आवंटित किया गया है, जिसमें पांच मा0 विधायकों को आवंटित आवास का कब्जा दे दिया गया है। मा0 विधायक को आवास पर शीघ्र कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में (स्कील्ड) कौशल विकास को प्रोत्साहन देने की नीति

15–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार गांव में चौपाल लगाकर

बेरोजगार युवाओं को जागरूक करने के लिए कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल, युवा कलशण तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री चेतन चौहान)–

जी हां। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में समस्त इच्छुक परिवारों के अर्ह युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अर्द्ध शा0 पत्र सं0–59/कौ0वि0मि0/2016–17/ई0 एण्ड सी0, दिनांक 13–04–2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपने जनपद में एक अभियान चलाकर समस्त ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों के माध्यम से इच्छुक अर्ह युवाओं को कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में समस्त ग्रामवासियों की प्रतिभागिता अनुमन्य है। अतः चौपाल के आयोजन का उद्देश्य ग्राम पंचायत की खुली बैठक के माध्यम से स्वतः पूर्ण हो जाता है।

मिशन द्वारा ग्राम पंचायतों की खुली बैठक का आयोजन किये जाने की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करने हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा 2016 में प्रश्नकर्ता के पत्र की पत्रांक संख्या–30/वि0/नोएडा/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 के सम्बन्ध में

16–श्री पंकज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2016 में समाजवादी आवास योजना में हुई अनियमितता विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण को सम्बोधित पत्र संख्या–30/वि0/नोएडा/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी हां।

मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 15–04–2017 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के कार्यालय में दिनांक 25–04–2017 को प्राप्त हुआ है। मा0 सदस्या के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि योजना की विवरणिका के अनुसार टाइप–I के फ्लैट अनुपातिक क्षेत्रफल 32.26 वर्गमीटर एवं अनुमानित मुल्य रु0 14.07 लाख तथा टाइप–II के फ्लैट का अनुपातिक क्षेत्रफल 71.07 वर्गमीटर एवं अनुमानित मूल्य रु0 30 लाख अंकित किया गया था, टाइप–I के फ्लैट का कवर्ड एरिया क्रमशः 31.78 एवं सुपर एरिया 38.48 वर्ग मीटर तथा टाइप–II के फ्लैट का कवर्ड एरिया 50.09 वर्गमीटर एवं सुपर एरिया 64.87 वर्गमीटर अभिलेखों के अनुसार प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर टाइप–I व टाइप–II के फ्लैटों के अनुपातिक क्षेत्रफल को स्पष्ट किये जाने हेतु दिनांक

28–06–2016 को विभिन्न समाचार–पत्रों में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया गया। तद्नुसार ही इन भवनों का मूल्य निर्धारित किया गया है।

समाजवादी आवासीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के विरुद्ध उपलब्ध निर्माणाधीन फ्लैट आरक्षित किये जाने हेतु ड्रा दिनांक 26–10–2016 को किया गया। ड्रा में सफल हुए आवेदकों को आरक्षण पत्र निर्गत करते हुए प्राधिकरण में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार फ्लैट की अनुमानित कीमत की 20 प्रतिशत आवंटन धनराशि की मांग की गयी। कुछ आवंटियों द्वारा उक्त पर की गयी आपत्ति के क्रम में तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आरक्षण पत्र में मांगी गयी 20 प्रतिशत आवंटन धनराशि की मांग को आवंटन पत्र जारी होने की तिथि तक स्थगित किया गया, जिसके सम्बन्ध में दैनिक विभिन्न राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में दिनांक 27–12–2016 को सार्वजनिक सूचना जारी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

17–श्री दलवीर सिंह–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में खेल को बढ़ावा देने हेतु खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

जी नहीं।

प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 03 स्पोर्ट्स कालेज वर्तमान में कार्यरत् हैं तथा साथ ही खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 16 खेलों में 19 जनपदों में 44 स्पोर्ट्स हास्टल भी स्थापित हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश में खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अतः अलीगढ़ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 में सचिवालय कालोनियों के भवनों का मेन्टीनेन्स चार्ज का निर्धारण कारपोरेट एरिया के अनुसार करने के सम्बन्ध में

18–मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की सचिवालय कालोनियों के मकानों की श्रेणीवार कारपेट एरिया का मानक क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लखनऊ नगर स्थित राजकीय कालोनी, बादशाहनगर की नयी बिल्डिंग के ब्लाक–ए तथा बी में टाइप–3 के निर्मित भवनों की कारपेट एरिया निर्धारित मानक से कम टाइप–2 के मानक की है किन्तु मकान किराया एवं मेन्टीनेन्स चार्ज अधिक लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों का मेन्टीनेन्स चार्ज का निर्धारण कारपेट एरिया के अनुसार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

राज्य सम्पत्ति विभाग की सचिवालय कालोनियों के मकानों का श्रेणीवार निर्धारण कारपेट एरिया के आधार पर न करके लिविंग एरिया के आधार पर किया जाता है, जिसका मानक निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	आवास की श्रेणी	लिविंग एरिया की रेज (वर्गमीटर) में	फ्लैट रेन्ट रु0 में (मासिक) प्रभावी दिनांक 03–06–2014
1	2	3	4
1	श्रेणी–1	30 वर्गमीटर लिविंग एरिया तक (दो आवास से अधिक के लिए शौचालय की सम्मिलित व्यवस्था होने पर)	40
2	श्रेणी–1	30 वर्गमीटर लिविंग एरिया तक (दो आवासों के लिए शौचालय की संयुक्त व्यवस्था होने पर)	60
3	श्रेणी–1	30 वर्गमीटर लिविंग एरिया तक (300 वर्ग फुट से कम कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर)	100
4	श्रेणी–1	30 वर्गमीटर लिविंग एरिया तक (300 वर्ग फुट से अधिक कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर)	140
5	श्रेणी–2	26.5 वर्गमीटर लिविंग एरिया (350 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल होने पर)	140
1	2	3	4
6	श्रेणी–2	32 से 40 वर्गमीटर लिविंग एरिया	240
7	श्रेणी–2	41 वर्गमीटर लिविंग एरिया से अधिक	300
8	श्रेणी–3	34.5 वर्गमीटर लिविंग एरिया (450 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल होने पर)	240
9	श्रेणी–3	44 से 55 वर्गमीटर लिविंग एरिया	340
10	श्रेणी–3	56 से अधिक वर्गमीटर लिविंग एरिया	420
11	श्रेणी–4	59 से 75 वर्गमीटर लिविंग एरिया	690
12	श्रेणी–4	76 से 91.5 वर्गमीटर लिविंग एरिया	870
13	श्रेणी–4	106 तक वर्गमीटर लिविंग एरिया	1110
14	श्रेणी–4	106 से अधिक वर्गमीटर लिविंग एरिया	1260

15	श्रेणी–5	159.5 वर्गमीटर लिविंग एरिया तक	1560
16	श्रेणी–5	159.5 वर्गमीटर लिविंग एरिया से अधिक	1800
17	श्रेणी–6	189.6 से 224.5 वर्गमीटर लिविंग एरिया तक	2100
18	श्रेणी–6	243 से 350 वर्गमीटर लिविंग एरिया	3000
19	श्रेणी–6	350.5 वर्गमीटर लिविंग एरिया से अधिक	3600

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर स्थित राजकीय कालोनी बादशाहनगर की नई बिल्डिंग के ब्लाक–ए तथा बी में टाइप–3 के निर्मित भवनों की लिविंग एरिया 44.79 वर्ग मीटर है, जो कि उपरोक्त तालिका के अनुसार श्रेणी–3 के अन्तर्गत है।

प्रदेश में औद्यौगिक विकास हेतु उद्योगपतियों द्वारा उद्योग लगाने की कार्य योजना

19–श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 5 वर्षों में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में प्रदेश में कितने उद्योगपतियों ने पूंजी निवेश किया है ? क्या यह सही है कि कतिपय उद्योगपतियों को उद्योग लगाने हेतु सरकार द्वारा जमीन दे दी गयी परन्तु प्रस्तावित उद्योग उनके द्वारा अधिष्ठापित किये ही नहीं गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर से प्राप्त सूचनानुसार विगत 05 वर्षों का वित्तीय वर्षवार स्थापित उद्यम/उद्योग का विवरण निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष	उद्यमों/उद्योगों की संख्या
2012–13	31474
2013–14	45538
2014–15	53242
2015–16	72682
2016–17	327175
कुल	530111

विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन उद्यमियों द्वारा समय सीमा के अन्तर्गत उद्योग की स्थापना नहीं की जाती है, उनसे समयवृद्धि शुल्क लिया जाता है अन्यथा की स्थिति में औचित्य के आधार पर भूखण्ड के निरस्तीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

तदैव।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न सं0–20 [03 रे शुक्रवार के अता0 प्र0सं0–107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रश्न सं0–21 [04 थे बुधवार के अता0 प्र0सं0–173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन मुख्य व्यवस्थाधिकारियों के रिक्त पदों पर व्यवस्था अधिकारी की डी0पी0सी0 शीघ्र कराकर प्रोन्नति की मांग

22–श्री दिनेश चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन मुख्य व्यवस्थाधिकारियों के विगत तीन वर्षों से रिक्त चल रहे पदों पर व्यवस्थाधिकारी की डी0पी0सी0 कराकर प्रोन्नति प्रदान करेगी। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के ब्लाक हरचन्दपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराकर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पत्र दि0 24–02–2016 पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

23–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन विधायक श्रीमती मधुबाला पासी जनपद–संत रविदास नगर भदोही का शिकायती पत्र दिनांक 24–02–2016 जो कि समाज कल्याण सचिव जो जनपद–रायबरेली ब्लाक, हरचन्दपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच एवं स्थानान्तरण नीति के विपरीत 20 वर्षों से एक स्थान पर तैनाती विषयक है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं। श्रीमती मधुबाला पासी, तत्कालीन विधायक जनपद संत रविदासनगर भदोही का शिकायती पत्र दिनांक 24–02–2016 के स्थान पर पत्र दिनांक 29–02–2016 प्राप्त हुआ है।

निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 के आदेश संख्या–2534–49/स0क0/स्था–4/ 2017–18, दिनांक 21–06–2017 द्वारा श्री राम बहादुर यादव, सहायक विकास अधिकारी (स0क0) कार्यालय जिला समाज कल्याण

अधिकारी (विकास) अमेठी सम्बद्ध रायबरेली को कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) महोबा में स्थानान्तरित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के सिसवा बाजार में मण्डी समिति की स्थापना के सम्बन्ध में

24–श्री प्रेमसागर पटेल–

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के सिसवा बाजार में चावल, गेहूं की क्रय–विक्रय सुविधा हेतु सरकार मण्डी समिति की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)–

जी नहीं।

सिसवा बाजार, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गड़ौरा जनपद महराजगंज के उप मण्डी स्थल के रूप में घोषित है। उक्त स्थल के विकास के लिए वांछित भूमि अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। भूमि प्राप्त होने के उपरान्त उप मण्डी स्थल के विकास कार्य कराये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में नये उद्योग लगाने की कार्य योजना

25–श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में कोई भी फैक्ट्री और बड़ा उद्योग स्थापित न होने के कारण बेरोजगारी एवं पलायन की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद चित्रकूट को उद्योग शून्य घोषित करते हुए वहां पर नये उद्योग को लगाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी नहीं।

विगत वर्षों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत से लोगों को रोजगार दिलवाया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अन्तर्गत सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं स्वरोजगार हेतु अनेक प्रोत्साहन घोषित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक गांवों में नव युवक मंगल दल के गठन को अनिवार्य बनाने की मांग

26–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक गांवों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से नव युवक मंगल दल के गठन को सरकार अनिवार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

जी नहीं।

ग्राम पंचायत स्तर पर समाज सेवा के प्रति उत्साही असंगठित ग्रामीण युवाओं को संगठित कर ग्रामीण युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं में उनकी सहभागिता कराये जाने के उद्देश्य से विभाग के अधीन स्वैच्छिक संगठन के रूप में युवक एवं महिला मंगल दलों का गठन किया जाता है।

इन गठित दलों द्वारा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की ग्रामीणजनों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए प्रेरक के रूप में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया जाता है।

प्रदेश के मुसहर समाज को अति पिछड़ी जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में

27–श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समुदाय को अति पिछड़ी जाति में सरकार शामिल करेगी ? यदि हां, तो कब तक , यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर–

जी नहीं, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जाति के रूप में कोई जाति वर्गीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जाति के रूप में कोई जाति वर्गीकृत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जातियों को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने पर विचार किया जाता है।

जनपद प्रतापगढ़ में उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा पिछड़े वर्ग को दक्षता हेतु प्रशिक्षण देने एवं व्यवसाय प्रारम्भ के लिए ऋण देने के सम्बन्ध में

29–डा0 आर0के0 वर्मा–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 में उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा पिछड़े वर्ग के कितने लाभार्थियों को तकनीकी एवं उद्यमिता दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षणोपरान्त कितने लाभार्थियों को निगम की सामान्य ऋण योजनान्तर्गत व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण दिया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर–

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा चयनित प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अधिसूचित पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को कृषि, पारंपरिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। राष्ट्रीय निगम की शर्तों पर यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2015–16 में शून्य एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में 15 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

निगम की योजनाओं का संचालन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से आसान ब्याज दर पर ऋण लेकर किया जाता है। राष्ट्रीय निगम द्वारा निगम को ऋण की धनराशि राज्य सरकार की गारण्टी पर उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप न हो पाने के कारण राष्ट्रीय निगम के देयों का भुगतान नहीं किया जा पा रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय निगम द्वारा इस निगम की योजनाओं के संचालन हेतु ऋण देना बन्द कर दिया गया है, जिससे निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण का कार्य पूर्णतः बन्द है। निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण का कार्य बन्द होने के कारण उक्त प्रशिक्षित लाभार्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त निगम की सामान्य ऋण योजनान्तर्गत व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है।

प्रदेश में वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षित लाभार्थियों को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

30–डा0 आर0के0 वर्मा–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 में उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा पिछड़े वर्ग के कितने लाभार्थियों को कृषि, पारंपरिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर आत्म निर्भर बनाया गया और कितने लाभार्थियों को प्रशिक्षणोंपरान्त निगम की सामान्य ऋण योजनान्तर्गत व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण दिया गया ?

श्री ओम प्रकाश राजभर–

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा चयनित प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अधिसूचित पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को कृषि, पारंपरिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 135 एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में 667 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

निगम की योजनाओं का संचालन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से आसान ब्याज दर पर ऋण लेकर किया जाता है। राष्ट्रीय निगम द्वारा निगम को ऋण की धनराशि राज्य सरकार की गारण्टी पर उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप न हो पाने के कारण राष्ट्रीय निगम के देयों का भुगतान नहीं किया जा पा रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय निगम द्वारा इस निगम की योजनाओं के संचालन हेतु ऋण देना बन्द कर दिया गया है, जिससे निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण का कार्य पूर्णतः बन्द है। निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण का कार्य बन्द होने के कारण उक्त प्रशिक्षित लाभार्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त निगम की सामान्य ऋण योजनान्तर्गत व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है।

प्रदेश में निर्धन गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को पुत्रियों की शादी एवं गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को इलाज हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में

31–डा0 आर0के0 वर्मा–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की पुत्रियों की शादी एवं गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के इलाज हेतु अनुदान दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर–

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी तथा गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के इलाज हेतु अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2007–2008 से संचालित थी। वित्तीय वर्ष 2016–17 से शासनादेश दिनांक 18–07–2016 के प्राविधानानुसार उक्त योजनान्तर्गत बीमारी योजना को हटाते हुए अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के निर्धन एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाईन है तथा पात्रता हेतु आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080/– एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56,460/– वार्षिक निर्धारित है।

जनपद प्रतापगढ़ में बन्द पड़ी ए0टी0एल0 फैक्ट्री की जगह अन्य उद्योग या रोजगार परक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में

32–डा0 आर0के0 वर्मा–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में बन्द ए0टी0एल0 फैक्ट्री की जगह पर कोई अन्य उद्योग या युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा प्रशिक्षण देने हेतु कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी नहीं।

बन्द ए0टी0एल0 फैक्ट्री मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आफिसियल लिक्विडेटर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (आफिसियल लिक्विडेटर कार्यालय, सम्बद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) के नियंत्रणाधीन सन्निहित है।

नोएडा से0–33 स्थित महाराजा अग्रेसन मार्ग पर बनने वाले एलिवेटेड सेतु का नामकरण महाराजा अग्रसेन सेतु करने की मांग

33–श्री पंकज सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा सेक्टर–33 स्थित महाराजा अग्रसेन मार्ग पर बनने वाले एलिवेटेड सेतु का नामकरण महाराजा अग्रसेन सेतु करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांकः 50/वि0/नोएडा/2017, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी हां।

सन्दर्भित एलिवेटेड रोड, जिस मार्ग पर निर्मित किया गया है, उस मार्ग का नाम महाराजा अग्रसेन मार्ग रखे जाने का निर्णय वर्ष 2005 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा लिया गया था। वर्तमान में इस मार्ग के ऊपर नवनिर्मित एलिवेटेड रोड का नामकरण नहीं किया गया है।

प्राधिकरण की वर्तमान नीति के अनुसार नामकरण किये जाने का कार्य प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त किया जाता है।

नोएडा शहर के विभिन्न से0 में रेहड़ी पटरी लगाकर व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों के लिए वेंडर जोन बनाये जाने के सम्बन्ध में

34–श्री पंकज सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा शहर के विभिन्न सेक्टरों में रेहड़ी पटरी लगा कर व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों के लिये वेंडर जोन (विक्रेता क्षेत्र) बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांकः 73/वि0/नोएडा/2017, दिनांक 10 मई, 2017 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी हां।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक नगर (हाकर्स) ट्रैफिक रेग्यूलेटरी विनियमावली, 2014 के सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 07–06–2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में फलों/सब्जियों को कीड़ों बीमारियों से बचाने हेतु किसानों द्वारा लगातार कीटनाशक दवाइयों के बढ़ते हुए प्रयोग को रोकने के सम्बन्ध में

35–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों द्वारा फलों व सब्जियों को बीमारियों से बचाने के लिये जानलेवा कीटनाशक दवाइयों का बड़े पैमाने पर प्रयोग को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के कृषकों को सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाइडस बोर्ड (सीआईबी) फरीदाबाद द्वारा पंजीकृत कीटनाशकों की संस्तुति के अनुसार प्रयोग करने के लिए कृषकों को ब्लाक एवं जनपद स्तर पर प्रशिक्षण/गोष्ठी/किसान मेला के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा यह भी बताया जाता है कि लाल त्रिकोण वाली दवाओं का प्रयोग किसान सब्जियों व फलों पर न करें। किसानों को सबसे सुरक्षित हरे त्रिकोण वाली दवाओं का प्रयोग की सलाह दी जाती है। यदि आवश्यक हो तो नीले त्रिकोण एवं पीले त्रिकोण वाले दवाओं का प्रयोग किया जाय। राज्य सरकार द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत लाल त्रिकोण वाले कीटनाशी दवाओं पर (चूहा नियंत्रण हेतु जिंक फास्फाइड एवं अन्य भण्डारण के नियंत्रण हेतु एल्यूमीनियम फास्फाइड, जिसका विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है, को छोड़कर) अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ विष रहित खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में स्थित 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइडस/बायोएजेन्टस का उत्पादन कर 75 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। रसायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के दृष्टिगत जैविक कीटनाशकों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2015–16 कौशल विकास मिशन द्वारा बेरोजगारों को दिये गये प्रशिक्षण के सम्बन्ध में

36–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015–16 में कौशल विकास मिशन द्वारा कितने बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया है ? प्रशिक्षणोपरान्त कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली एवं कितने लोग स्वरोजगार से जुड़ सके हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से वर्ष 2015–16 में कुल 68773 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

मिशन द्वारा व्यवसायपरक ट्रेड्स में प्रशिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र अथवा स्वरोजगार में योजित कराया गया है। मिशन द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2015–16 में 13949 प्रशिक्षित युवाओं को सेवायोजित कराया गया। वर्ष 2015–16 में स्वरोजगार में सेवायोजित कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं था।

जी हां। वर्ष 2015–16 में जनपदवार प्रशिक्षित एवं सेवायोजित अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित केन्द्रों की संख्या एवं वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कुल कितने बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में

37–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कौशल विकास मिशन के कितने केन्द्र संचालित हैं ? वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कितने बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया ? प्रशिक्षणोपरान्त कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली और कितने लोग स्वरोजगार से जुड़ सके हैं ?

श्री चेतन चौहान–

जनपद प्रतापगढ़ में वर्तमान में कुल 10 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित/क्रियाशील हैं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 में जनपद प्रतापगढ़ में क्रमशः 1873 व 1256 युवाओं को कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

मिशन द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का कोई प्राविधान नहीं है। साथ ही यह भी ज्ञातव्य है कि आलोच्य दोनों वर्षों 2014–15 व 2015–16 में प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार में सेवायोजित कराने का कोई प्राविधान नहीं था। अतः मिशन द्वारा किसी प्रशिक्षार्थी को स्वरोजगार में योजित नहीं कराया गया है।

प्रदेश में कृषि अभियांत्रिक डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में

38–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि अभियांत्रिकी डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति प्रदेश में कितने वर्षों से नहीं की गयी है ? क्या सरकार उक्त डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

कृषि विभाग में वर्ष 1994 से कृषि अभियांत्रिकी डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति नहीं हुई है।

वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा चयनित 172 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलित है। नियुक्ति/चयन एक सतत प्रक्रिया है, जो रिक्तियों की उपलब्धता एवं चयन–आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में वर्ष 2017 में राज्य सम्पत्ति कालोनियों के अनुरक्षण/रखरखाव आदि के लिए खर्च की गयी धनराशि के सम्बन्ध में

39–श्री पारस नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा वर्ष 2017 में कितनी धनराशि राज्य सम्पत्ति कालोनियों के अनुरक्षण आदि के मद में खर्च की गयी है ? क्या सरकार उक्त का ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां। राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा वर्ष 2017 में राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों के अनुरक्षण आदि के मद में कुल रु0 18.54 करोड़ की धनराशि खर्च की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में युवाओं के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए संचालित कार्यक्रम के सम्बन्ध में

40–श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवाओं के विकास एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से कौन–कौन से कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

1–युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को युवक एवं महिला मंगल दलों के रूप में गठित किया जाता है, जिनके माध्यम से ग्राम स्तर पर खेलकूद, वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, नशामुक्ति, दहेजप्रथा उन्मूलन, श्रमदान आदि जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

2–इसके अतिरिक्त जनपद तथा मण्डल स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं राज्य स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन कराया जाता है। राज्य स्तर पर चयनित प्रतियोगियों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग किये जाने हेतु भेजा जाता है।

3–खेल विभाग द्वारा प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से खेल अवस्थापना विकास, प्रतियोगिता, प्रशिक्षण एवं छात्रावास जैसी योजनाएं संचालित की जा रही है। विभाग में तैनात अधिकारियों के अतिरिक्त अंशकालिक प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रदेश के समस्त स्टेडियम में प्रशिक्षण की व्यवस्था चलाई जा रही है।

4–खेल विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना आवासीय क्रीड़ा छात्रावास है, जिसके अन्तर्गत जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय चयन/ट्रायल्स में चयन करके उदीयमान खिलाड़ियों का 15 दिवसीय केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाता है। इस शिविर के अन्तिम दिवसों में क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु उदीयमान खिलाड़ियों का चयन खेल विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है।

5–प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को अतिरिक्त नकद पुरस्कार दिया जाता है।

6–राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के विशिष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना है। इसके अन्तर्गत अलंकृत होने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति–पत्र, लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा, वर्तिलेख तथा नकद धनराशि प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने एवं युवाओं का पलायन रोकने की कार्य योजना

41–श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर रोजगार की तलाश में अधिक संख्या में होने वाले पलायन को रोकने के लिये क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में ही लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर प्रदान करने की कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म लघु उद्यम एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)–

जी हां।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किये जाने हेतु उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवकों को उद्यम स्थापना हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भावी उद्यमियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों से ऋण की सुविधा तथा उ0प्र0 लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजनान्तर्गत उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा निखारने हेतु मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

42–श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा निखारने हेतु मिनी स्टेडियम/स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या–10(4)/35–आ–1/2011–97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना शासन द्वारा ड्राप कर दी गयी है।

प्रदेश के किसानों को उपज में बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना

43–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को अच्छी उपज के लिए बढ़ावा देने हेतु प्रसंस्कृत व हाईब्रीड बीजों पर सरकार अनुदान उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को अच्छी उपज के लिए बढ़ावा देने हेतु प्रसंस्कृत (प्रमाणित) बीजों पर अनुदान खरीफ, रबी व जायद में एवं हाईब्रिड बीजों पर अनुादन खरीफ व रबी में उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

मोहनलालगंज जेल रोड गोसाईगंज स्थित मोहारी कला में स्थापित नवीन मण्डी के अधूरे कार्य को पूर्ण कराकर चालू करने के सम्बन्ध में

44–श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर (एडवोकेट)–

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में जेल रोड गोसाईगंज स्थित मोहारी कला में स्थापित की गई नवीन मण्डी अभी तक चालू नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह–

जी हां।

जी हां।

विद्युत संयोजन होने के पश्चात्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में युवाओं को कौशल विकास उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में

45–श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास केन्द्र की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

जी हां।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत तहसील खड्डा में मै0 आई सेक्ट संस्था को कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित/संचालित करने हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–896(ए)/ई0 एण्ड सी0/कौ0वि0मि0/2017–18, दिनांक 03–07–2017 द्वारा अनुमति निर्गत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सभी दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण वितरण करने हेतु

46–श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण वितरित करने हेतु शासन की नीति क्या है ? क्या सरकार प्रदेश की संस्थाओं को दिव्यांगजन के अनुकूल डिसेबल्ड–फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर/कार्य संस्कृति विकसित करने हेतु कोई आपरेशनल गाइडलाइन जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर–

प्रदेश में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण वितरित करने हेतु ''उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली–2016'' प्रख्यापित है, जो कि दिनांक 21–12–2016 से प्रवृत्त है, जिसके अनुसार–

ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, को उनकी दिव्यांगता की प्रकृति के अनुसार कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी अधिकतम रु0 8000/– तक की धनराशि का कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

उपर्युक्त सीमा के अन्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जाता है, जो विगत 3 वर्षों से लाभान्वित नहीं हैं। शैक्षणिक संस्थानों के नियमित छात्रों के लिए यह सीमा एक वर्ष निर्धारित है।

दिव्यांगजन के अनुकूल डिसेबल्ड–फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर/कार्य संस्कृति विकसित करने हेतु आपरेशनल गाइड लाइन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–163/65–3–2012–8/2003 दिनांक 28 मई 2012 द्वारा जारी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में गोड़ व धुरिया जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में

47–श्रीमती लीना तिवारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में अनुसूचित जनजाति में शामिल गोड़ व धुरिया जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है। शासनादेश संख्या–685/26–3–2011, दिनांक–28–02–2011 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जाति सत्यापन समिति गठित है। जाति सत्यापन समिति की बैठक दिनांक–07–05–2015 में लिये गये निर्णय के क्रम में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों द्वारा सत्यापन के उपरान्त यह आख्या दी गयी है कि जनपद–जौनपुर में गोड़ एवं धुरिया जाति नहीं पायी जाती है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को सस्ते दर पर यूरिया उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

48–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को मिलने वाली यूरिया खाद पर अन्य प्रदेशों से अधिक रिकवरी आफ इन्सीडेन्स ऑफ नान रिमर्सिबल इनपुट टैक्स होने के कारण प्रदेश के किसानों को अन्य प्रदेशों की तुलना में यूरिया खाद महंगी मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टैक्स को कम करके किसानों को सस्ती यूरिया खाद उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप साही–

जी हां।

वर्तमान में कर में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नेचुरल गैस पर 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर की देयता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में नेचुरल गैस से कुल रु0 1202.68 करोड (वैट+अतिरिक्त कर) की प्राप्ति हुई थी। नेचुरल गैस का प्रयोग यूरिया के अतिरिक्त कई बड़ी इकाइयों द्वारा भी किया जाता है तथा नेचुरल गैस पर अतिरिक्त कर समाप्त करने से राज्य के राजस्व में प्रतिवर्ष लगभग रुपये 600 करोड़ की कमी होगी, जो राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रदेश की सभी मण्डी, उप मण्डी में इलेक्ट्रानिक्स वे ब्रिजेज लगाने की मांग

49–डा0 आर0 के वर्मा–

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सभी मण्डी, उप मण्डी स्थलों पर त्रुटिरहित तौल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इलेक्ट्रानिक्स–वे ब्रिजेज की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह–

जी हां।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0प्र0 के मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल में इलेक्ट्रानिक–वेब्रिजेज की आपूर्ति/स्थापना/संचालन का कार्य आवश्यकतानुसार सम्पादित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में

50–श्री शैलेन्द्र यादव ललई–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता सूची के अन्तर्गत शामिल सभी वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता श्रेणी में आने वाले सभी वृद्धजनों को लक्षित सीमा (4345014) तक वृद्धावस्था पेंशन देने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2013 से 2017 तक दलहन की पैदावार की बढ़ोत्तरी के लिए किसानों को खाद व बीज उपलब्ध कराने हेतु

51–श्री शैलेन्द्र यादव ललई–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में दलहन फसलों की पैदावार की बढ़ोत्तरी का ब्योरा क्या है ? क्या सरकार दलहन किसानों की दलहन पैदावार में बढ़ोत्तरी के लिए अतिरिक्त खाद व बीज उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां। दलहनी फसलों की पैदावार की बढ़ोत्तरी का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)	उत्पादन में कमी अथवा वृद्धि (लाख टन में) वर्ष 2013–14 उत्पादन के सापेक्ष
2013–14	15.02	–
2014–15	11.85	कमी 03.17
2015–16	11.12	कमी 03.90
2016–17	23.96	वृद्धि 08.94

जी हां।

जी हां।

भातर सरकार के सहयोग से प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना दलहन घटक संचालित है जिसके अन्तर्गत दलहनी बीज पर 2500.00 रुपये या मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व, खरपतवारनाशी, कृषि यंत्र एवं प्रदर्शन पर भी अनुदान है। प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। उर्वरक भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों के लिए तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण केन्द्र की स्थापना की मांग

52–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा परीक्षण कराया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये राज्य योजनान्तर्गत 182 तहसीलों पर तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं पूर्व से स्थापित/संचालित हैं, जहां पर मुख्य पोषक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक पोषक तत्व (गंधक) एवं सूक्ष्म पोषक तत्व (तांबा, जिंक, लोहा, मैगनीज एवं बोरान) का विश्लेषण जनपद/मण्डल स्तरीय प्रयोगशालाओं में किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

53–सुश्री अदिति सिंह–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार खेल प्रतिस्पर्धा में प्रदेश की भागीदारी बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में युवाओं के प्रशिक्षण हेतु मण्डलवार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनायें संचालित हैं जिसके अन्तर्गत जिलों में निर्मित खेल अवस्थापनाओं के दृष्टिगत स्थानीय प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जाते हैं तथा जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 19 जनपदों में 16 खेलों में 44 छात्रावास स्थापित हैं तथा लखनऊ, गोरखपुर, सैफई इटावा में स्पोर्ट्स कालेज स्थापित हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत मण्डलवार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निरन्तर भू–गर्भ जलस्तर गिरने की रोकथाम हेतु साठा धान पर प्रतिबन्ध की मांग

54–श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साठा धान की खेती से भू–जल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या साठा धान की रोपाई पर सरकार रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

हरियाणा एवं पंजाब की भांति प्रदेश में साठा धान की रोपाई पर रोक लगाये जाने हेतु विधिक व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत केला की फसल को फसल बीमा योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में

55–श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कुशीनगर जनपद के किसानों के केला की फसल को फसल बीमा योजना से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वर्ष 2016–17 में जनपद कुशीनगर में फसल केले को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2017–18 व 2018–19 में भी जनपद कुशीनगर में फसल केला को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर की ग्राम सभाओं में खेल के मैदान चिन्हित करने के सम्बन्ध में

56–श्री देवमणि द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं में खेल के मैदान हेतु भूमि चिन्हित करने की सरकार की नीति है ? यदि हां, तो जनपद सुल्तानपुर की लम्भुआ विधान सभा क्षेत्र में कितनी ग्राम सभाओं में खेल के मैदान हेतु भूमि चिन्हित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

जी हां।

लम्भुआ विधान सभा क्षेत्र के वि0 खं0 प्रतापपुर, कमैचा में 20 भूमि, वि0खं0 लम्भुआ में 35 भूमि तथा वि0खं0 भदैया में 27 भूमि इस प्रकार कुल 82 ग्राम सभाओं में भूमि चिन्हित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को विधान भवन में बैठने के लिए एक निश्चित स्थान बनाये जाने हेतु

57–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को विधान भवन के बाहर ही रोक दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या इन

सुरक्षा कर्मियों के बैठने के लिये कोई एक निश्चित स्थान बनाये जाने हेतु सरकार कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

परीक्षण प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ की घोसी तहसील मलेरीकोट–पहसा से मऊ–बलिया सरहद तक की सड़क का मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में

58–मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की घोसी तहसील में मलेरीकोट–पहसा मार्ग से ग्राम–लखनी अनुसूचित जाति बस्ती के दक्षिणी छोर से मौजा–बनही चौहान एवं अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए मऊ–बलिया सरहद तक की सड़क अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण होने से प्रतिदिन दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह–

जी नहीं।

मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक–26–10–2012 को पूर्ण कराया गया था, जिसकी लम्बाई 1.60 किमी0 है। उक्त मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया गया कि वर्तमान में मार्ग की लेपन (प्रीमिक्स कारपेट) मात्र अर्थात् सतह ही क्षतिग्रस्त है एवं मरम्मत कराने योग्य है किन्तु मार्ग की ऐसी स्थिति नहीं है, जिससे कोई दुर्घटना हो सके। मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित उक्त मार्ग गड्ढामुक्त करने के लिए द्वितीय चरण की कार्य योजना में सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

[12:20] नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20–07–2017 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 15 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं। जो मा0 सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, हम नाम लेते जायेंगे तो वह अपने स्थान पर खड़े होते जायेंगे तो जानकारी हो जायेगी।

पहली सूचना मा0 श्री रमेश चन्द्र मिश्र की है, वह अनुपस्थित हैं। दूसरी सूचना मा0 श्री पंकज गुप्ता की है, वह अनुपस्थित हैं। तीसरी सूचना मा0 सुश्री शुचिस्मिता मौर्या की है, वह अनुपस्थित हैं। चौथी सूचना मा0 श्री योगेश धामा की उत्तर प्रदेश राज्य व हरियाणा राज्य सीमा विवाद का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह विषय वैसे तो कई राज्यों का है।

श्री योगेश धामा–

मा0 अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं विषय पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अगर आपकी इच्छा है तो पढ़ दीजिए।

श्री योगेश धामा–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी सूचना उत्तर प्रदेश राज्य व हरियाणा राज्य सीमा विवाद का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में है। महोदय, दीक्षित अवार्ड के सर्वेक्षण के समय यमुना नदी की मुख्य धारा को मानते हुए दीक्षित अवार्ड, 1983 में लागू हुआ, लेकिन यमुना नदी के प्रति वर्ष धारा बदलने से कुछ ग्रामों में यमुना नदी का बहाव उत्तर प्रदेश राज्य की ओर तथा कुछ ग्रामों में हरियाणा राज्य की ओर बढ़ गया। जो क्षेत्रफल हरियाणा राज्य की ओर गया उसकी वह अपने राजकीय अभिलेखों में प्रविष्टि करते रहे और अपने काश्तकारों के नाम भी अंकित करते रहे। इसके विपरीत हरियाणा राज्य से जो क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश राज्य में आया वह यथावत अंकित रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व अभिलेख स्थायी अभिलेख है। इस कारण एक ही भूमि पर दोनों राज्यों के काश्तकारों के नाम आ जाने से ओवरलैपिंग की समस्या बन गयी है। जबकि दीक्षित अवार्ड, 1974 के अनुसार जो भू–खण्ड नदी की कटान के कारण आया उस पर उन्हीं काश्तकारों के अधिकार होंगे जो दीक्षित अवार्ड लागू होने से पहले उस भूमि पर हों। केवल उस भूमि का लगान/मालगुजारी उस राज्य सरकार को देंगे जिस राज्य में वह भूमि स्थानांतरित हो गयी। जनपद बागपत में यमुना नदी के किनारे के 26 ग्राम दीक्षित अवार्ड से प्रभावित हुए हैं। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश के काश्तकारों के नाम हरियाणा क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

पांचवीं सूचना मा0 श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल की है, वह अनुपस्थित हैं। छठी सूचना मा0 श्री शैलेश कुमार सिंह 'शैलू' की है, वह अनुपस्थित हैं। सातवीं सूचना मा0 श्री अनुराग सिंह की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र चुनार के गंगा नदी पर चुनार घाट पर पावर चार्ज/मोटर बोट की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है। मैं इस सूचना को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजता हूं। आठवीं सूचना मा0 श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की है, वह अनुपस्थित हैं। नवीं सूचना मा0 श्री शारदा प्रसाद की जनपद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। मैं इसे सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित करता हूं। दसवीं सूचना मा0 श्री लाल जी वर्मा की है, वह अनुपस्थित हैं। 11वीं सूचना माननीय सदस्य श्री मनीष असीजा जी की है जो फिरोजाबाद के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा हेतु निर्देशित भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। श्री असीजा जी उपस्थित हैं। आपकी सूचना मैं सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजता हूं। आप इस पर कुछ बोलेंगे।

***श्री मनीष असीजा–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नगर फिरोजाबाद की एक गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। नगर फिरोजाबाद एक प्रमुख औद्योगिक नगर है जिसमें कि हजारों इकाईयों द्वारा कांच चूड़ी के अन्य उत्पाद का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इस उद्योग में लाखों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। यह भी अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के डी0ओ0 पत्र संख्या–वी–11/12/2/एस0सी0 मीटिंग/लेण्ड/2013–पीएमडी दिनांक 13 नवम्बर, 2013 के ई0एस0आई0 हास्पिटल (कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल) निर्माण हेतु पांच एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फिरोजाबाद में लगभग चालीस पचास हजार मजदूर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से आच्छादित है एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के लिए बहुत परेशानी का सामना करते हैं। उचित सुविधा के अभाव में मंहगा इलाज कराने एवं इस कारण कार्य के जाल में फंस जाते हैं। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लाखों मेहनतकश श्रमिक भाई–बहनों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा हेतु अतिशीघ्र फिरोजाबाद में ई0एस0आई0 हास्पिटल (कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल) के निर्माण हेतु आवश्यक/निर्देशित भूमि की उपलब्धता कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

12वीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा जी की है। आप उपस्थित हैं। आपकी सूचना लखनऊ महानगर के लालबाग में मेन रोड से बेलदारी लाइन तक सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है। मैं इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजता हूं।

13वीं सूचना माननीय श्री जवाहर लाल राजपूत जी की है। श्री राजपूत जी उपस्थित हैं। मैं इस सूचना को सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजता हूं। यदि आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं।

श्री जवाहर लाल राजपूत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बुन्देलखण्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं द्वारा किसानों की रबी और खरीफ दोनों फसलें नष्ट कर दी जाती हैं और आपके माध्यम से सदन का ध्यान बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विशेष कर गरौठा विधान सभा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र जनपद झांसी में अन्ना, छुट्टा एवं अवारा पशुओं की समस्या के समाधान की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। अन्ना पशुओं के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। अन्ना पशुओं की रखवाली बुन्देलखण्ड का किसान रात–रात भर जागकर करता है। किसानों की फसल पशुओं द्वारा चर जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तथा उसका परिवार भुखमरी की स्थिति में आ जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत परती/चारागाह हेतु भूमि उपलब्ध है। ग्राम पंचायत की उक्त परती भूमि पर गोवंशों का एकत्रीकरण हेतु गो–शाला का निर्माण कराकर तथा मनरेगा जैसी योजना से गो–वंशों की देखभाल हेतु चरवाहे/कर्मचारी आदि की व्यवस्था की जा सकती है। अतः बुन्देलखण्ड की इस विकट समस्या के समाधान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

14वीं सूचना श्रीमती जयदेवी जी की है, जो उपस्थित नहीं हैं।

15वीं सूचना श्री राहुल प्रकाश जी की है। श्री राहुल प्रकाश जो उपस्थित हैं। आपकी सूचना जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानवे के विकास खण्ड हलिया के न्याय पंचायत बड़ौहा और उमरिया को सिंचाई सुविधा हेतु बाढ़ सागर नहर से जोड़ने के संबंध में है। मैं इसे सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करता हूं।

मेरे पास सूचना आई है कि माननीया श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या जी उपस्थित है। आपकी सूचना क्रम संख्या–3 पर थी, जो जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां अन्तर्गत कछवा टाउन एरिया में सीवर लाइन के उचित पानी निकासी कराये जाने के संबंध में है। मैं आपकी सूचना मैं स्वीकार करता हूं और इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

पहले जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई थी किंतु वह माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, तो इसलिये उन सूचनाओं के स्थान पर अस्वीकृत सूचनाओं से मैं कुछ सूचनायें ले रहा हूं। अस्वीकार की गई सूचनाओं की सूची में पहली सूचना श्री ममतेश शाक्य जी की है। श्री शाक्य जी उपस्थित है। इस सूचना को मैं स्वीकार करता हूं और इसे सरकार को ध्यानकर्षण के लिए भेजता हूं। अगली सूचना श्री प्रेम सागर पटेल जी की है, जो अनुपस्थित है। अगली सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट जी की है। आप उपस्थित है, इसलिये आपकी सूचना स्वीकार करते हुए इसे सरकार को ध्यानाकर्षण के लिए भेजता हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसे पढ़ दीजिये।

मा0 श्री पूरन प्रकाश जी आपकी सूचना नियम 301 में स्वीकृत है।

श्री पूरन प्रकाश–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आप पढ़ दीजिए।

(श्री पूरन प्रकाश ने अपनी सूचना को पढ़ा।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय जी आपकी सूचना नियम–301 में स्वीकृत है।

मा0 श्री उमेश मलिक जी आपकी सूचना नियम–301 में स्वीकृत है।

मा0 श्री राजीव कुमार सिंह श्बब्बू भइयाश आपकी सूचना नियम–301 में स्वीकृत है।

मा0 रमेश चन्द्र मिश्र जी भी आ गये हैं। आपकी सूचना नियम–301 में स्वीकृत है।

श्री माधुरी वर्मा जी आपकी सूचना नियम 301 में स्वीकृत है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी श्री निर्मला संखवार की सूचना, श्री प्रभात कुमार वर्मा की सूचना, श्री विजेन्द्र सिंह की सूचना, श्री संजय गर्ग की सूचना, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की सूचना, श्री विरेन्द्र कुमार यादव की सूचना, श्री विनोद कुमार कटियार की सूचना, इं0 बृजेश कठेरिया की सूचना, श्री मनोज कुमार पारस की सूचना, डा0 अवधेश सिंह की सूचना, श्री हाकिम लाल बिन्द की सूचना, डा0 हरगोविन्द भार्गव की सूचना, सुश्री अदिति सिंह की सूचना, श्री राकेश सिंह की सूचना, डा0 आर0के0 वर्मा की सूचना, श्री जटाशंकर त्रिपाठी की सूचना, डा0 नीरज बोरा की सूचना, श्री पवन कुमार की सुचना, कुँ नरेन्द्र पाल सिंह की सूचना, श्री कैलाश नाथ शुक्ल की सूचना।

(सदन की सहमति से स्वीकृत 15 सूचनाओं में से श्री योगेश धामा, श्री मनीष असीजा, तथा श्री जवाहर लाल राजपूत ने अपनी–अपनी सूचनाएं पढ़ीं शेष स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद जौनपुर में बलुवा हिम्मतपुर मार्ग के चकरियांवा घाट पर पीली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बलुआ हिम्मतपुर मार्ग पर चरियांवा घाट पर पीली नदी पर पुल न होने से जनमानस को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। पीली नदी के चकरियांवा घाट पर जनहित में पुल का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पुल न होने से चकरियांवा घाट पर दुर्घटनायें होने से जनधन की हानि होती है। जनहित में चकरियांवा घाट पर पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पीली नदी में चकरियांवा घाट पर पुल निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां अन्तर्गत कछवा टाउन एरिया में सीवर लाइन के उचित पानी निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम– 301 के अन्तर्गत सूचना

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कछवा टाउन एरिया के पूरब में बजहां गांव स्थित है। टाउन एरिया एवं बजहां गांव के बीच में एक नाला है जो दक्षिण की तरफ जाता है जिसकी लम्बाई 1.5 किमी है जो दक्षिण की तरफ बजहां गांव की खेती वाली जमीन पर खत्म होता है। चूंकि पहले बरसात का पानी जाता था और वह खेती के समय तक सूख जाता था। वर्तमान समय में कछवा नगर पंचायत द्वारा उस नाले को पक्का करा के सीवर लाईन से जोड़ दिया गया है। जिसकी वजह से 75 प्रतिशत पानी उसी उपजाऊ जमीन पर गिरता है और जमीन का स्तर नीचे होने के कारण 150 एकड उपजाऊ जमीन तालाब के रुप में तब्दील हो गयी है। आपसे आग्रह है कि जनहित में सीवर लाइन के उचित पानी निकासी की व्यवस्था की जाये।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।,

उत्तर प्रदेश राज्य व हरियाणा राज्य सीमा विवाद का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेश धामा–

ख्मान्यवर, दीक्षित अवार्ड के सर्वेक्षण के समय यमुना नदी की मुख्य धारा को मानते हुए दीक्षित अवार्ड 1983 में लागू हुआ लेकिन यमुना नदी के प्रतिवर्ष धारा बदलने से कुछ ग्रामों में यमुना नदी का बहाव उ0प्र0 राज्य की ओर तथा कुछ ग्रामों में हरियाणा राज्य की ओर बढ़ गया। जो क्षेत्रफल हरियाणा राज्य की ओर गया उसकी वे अपने राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि करते रहे और अपने काश्तकारों के नाम भी अंकित करते रहे इसके विपरीत हरियाणा राज्य से जो क्षेत्रफल उ0प्र0 राज्य में आया वो यथावत अंकित रहा क्योंकि उ0प्र0 राजस्व अभिलेख स्थाई अभिलेख है। इस कारण एक ही भूमि पर दोनों राज्यों के काश्तकारों के नाम आ जाने से ओवरलैपिंग की समस्या बन गई है। जबकि दीक्षित अवार्ड 1974 के अनुसार जो भू–खण्ड नदी के कटान के कारण आया उस पर उन्हीं काश्तकारों के अधिकार होंगे जो दीक्षित अवार्ड लागू होने से पहले उस भूमि पर हो। केवल उस भूमि का लगान/मालगुजारी उस राज्य सरकार को देंगे जिस राज्य में वह भूमि स्थानान्तरित हो गई जनपद बागपत में यमुना नदी के किनारे के 26 ग्राम दीक्षित अवार्ड से प्रभावित हुए हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उ0प्र0 के काश्तकारों के नाम हरियाणा क्षेत्र के राजस्व में दर्ज कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र चुनार के गंगा नदी पर चुनार घाट पर पावर चार्ज/मोटर बोट की आपूर्ति किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुराग सिंह–

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, चुनार जनपद–मिर्जापुर में गंगा नदी पर चुनार घाट पर वर्षा ऋतु में पावर चार्ज/मोटर बोट की आपूर्ति की व्यवस्था अत्यंत ही आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में पाण्टुन पुल के अभाव में नाव द्वारा गंगा नदी को पार करना अत्यंत ही जोखिम भरा कार्य हो जाता है। वर्षाकाल में चुनार घाट पर अक्सर नाव डूबने आदि के हादसे भी हो जाते हैं। इस स्थिति में गंगा नदी पर चुनार घाट पर पावर चार्ज/मोटर बोट की आपूर्ति का कार्य अत्यंत ही अपरिहार्य है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रसाद–

ख्मान्यवर, विधान सभा चकिया जनपद–चन्दौली में चकिया इलिया मार्ग से माल्दह होते हुए बिहार बार्डर तक तथा कंचनपुर सिकन्दरपुर मार्ग से पचवनिया होते हुए चन्दौली मार्ग पर यातायात अधिक होने के कारण जाम लगा रहता है। जिसके कारण बाजार के लोगों तथा आने–जाने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग को जनहित में चौड़ीकरण एवम् शुद्धीकरण होना आवश्यक है। इस विषय को लेकर क्षेत्रीय जनता संबंधित अधिकारियों से बराबर मांग करती आ रही है किन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पायी है, जिससे क्षेत्रीय जनता काफी आक्रोशित एवम् आन्दोलित है।

अतः इस अविलबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर उक्त मार्ग को चौड़ीकरण तथा शुद्धीकरण की शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।,

फिरोजाबाद के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा हेतु निर्देशित भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नगर फिरोजाबाद की एक गम्भीर समस्या से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

नगर फिरोजाबाद एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, जिसमें कि हजारों इकाईयों द्वारा कांच चूड़ी, कांच के अन्य उत्पाद का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इस उद्योग में लाखों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। यह भी अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, के डी0ओ0 पत्र संख्या वी–11/12/2/एस0सी0 मीटिंग/ लेन्ड/ 2013–पीएमडी, दिनांक 13 नवम्बर, 2013 के ई0एस0आई0 हास्पिटल (कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल) निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि फिरोजाबाद में लगभग 40–50 हजार मजदूर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से आच्छादित है एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के लिए

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहुत परेशानी का सामना करते हैं। उचित सुविधा के अभाव में महंगा इलाज कराने एवं इस कारण कार्य के जाल में फंस जाते हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये लाखों मेहनतकश श्रमिक भाई बहनों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा हेतु अतिशीघ्र फिरोजाबाद में ई0एस0आई0 हास्पिटल (कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल) के निर्माण हेतु आवश्यक/निर्देशित भूमि की उपलब्धता कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ महानगर में लालबाग में मेनरोड से बेलदारी लाइन तक सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

[मान्यवर, आपको अवगत करना है कि जनपद लखनऊ महानगर में लालबाग में मेन रोड से बेलदारी लाइन प्रीमियम होटल तक लम्बाई लगभग 300 मी0 सड़क पर नालियों में गन्दगी की वजह से बड़े–बड़े कीड़े पड़ गये हैं व भयंकर बदबू आती रहती है। नालियां भरे होने के कारण गन्दा पानी पूरी सड़क पर चलता है। जिससे आम जनमानस व स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को निकलने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि सड़क व नालियों को अतिशीघ्र नहीं बनवाया गया तो संक्रमणीय रोग फैलने की संभावना है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलबनीय लोक महत्व के इस महात्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के अन्तर्गत जानवरों की वजह से उत्पन्न स्थिति के निवारण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेषकर गरौठा विधान सभा जनपद–झांसी में अन्ना प्रथा (छुट्टा/आवारा पशु) की समस्या के समाधान की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। अन्ना पशुओं के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। अन्ना पशुओं की रखवाली बुन्देलखण्ड का किसान रात–रात जाग कर करता है। किसानों की फसल पशुओं द्वारा चर जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तथा उसका परिवार भुखमरी की स्थिति में आ जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत परती/चारागाह हेतु भूमि उपलब्ध है। ग्राम पंचायत की उक्त परती भूमि पर गोवंशों का एकत्रीकरण हेतु गौशाला का निर्माण कराकर तथा मनरेगा जैसी योजनाओं से गौवंशों की देखभाल हेतु चरवाहे (कर्मचारी) आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

अतः बुन्देलखण्ड की इस विकट समस्या के समाधान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के विकास खण्ड हलिया के न्याय पंचायत बड़ौहा व उमरिया को सिंचाई सुविधा हेतु बाणसागर नहर से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद मिर्जापुर की विधान सभा छानबे के अन्तर्गत विकास खण्ड–हलिया के दक्षिणी क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, यहां की उपजाऊ जमीन पर बिना सिंचाई के किसान अच्छी पैदावार नहीं कर पा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहां के किसान आज भी गरीबी भुखमरी एवं पलायन के लिए मजबूर हैं, जबकि आपको विदित होगा कि बाणसागर नहर, उ0प्र0 की सीमा में इसी क्षेत्र से प्रवेश करती है, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी, जिससे इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गयी है। यदि अदवा बैराज के पास नहर अथवा लिफ्ट कैनाल निकाल दिया जाय तो उसके पूरब एवं उत्तर में स्थित निम्न गांवों मनिगढ़ा, देवरी, बड़ौहा, झरना, तीता, पटपरा, परसिया, महोखर, गौरवा, करौदिया, हरबरा, सूरजगढ़, रामपुर, सिधवनियां, व्योगुना, पिड़रिया, चौरा, लैना, फुलियारी, गजरिया, मुडपेली, डुमरिया आदि गांवों की सिंचाई भली–भांति हो सकती है। यहां की गरीबी व बेगारी दूर हो जायेगी, स्थानीय किसानों के आय में वृद्धि भी होगी।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं]

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र पटियाली के ग्राम मझौला में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य–

[मान्यवर, ग्राम मझोला में बिजली की लाइन बहुत जर्जर एवं खम्भे टूटे हुये हैं जिससे कई बार हादसा भी हो चुके हैं। यह लाइन लगभग 60 वर्ष पुरानी है। उससे राजस्व की भी हानि हो रही है। जिस कारण स्थानीय निवासी कनेक्शन कराने से बच रहे हैं।

अतएव नियम–301 के माध्यम से उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

जनपद मथुरा के बल्देव ब्लाक, राया ब्लाक तथा फरह ब्लाक में ट्यूबवेल विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश–

[मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र बल्देव जनपद मथुरा के अंतर्गत राया ब्लाक, बल्देव ब्लाक व फरह ब्लाकों में क्षेत्र के किसानों को अपनी सिंचाई व अपने पशुओं के पेयजल आदि के लिये ट्यूबवेल लगाने के लिये विद्युत ट्यूबवेल कनेक्शन विद्युत विभाग

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा ड्राई जोन का बहाना बनाकर नहीं दिये जा रहे हैं। जिसके कारण क्षेत्र के लोग अपने खेतों में धान के बोआई नहीं कर पा रहे हैं तथा पशुओं को भी पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। अपर आगरा कैनाल मथुरा तथा मांग ब्रांच गंग नहर में भी किसानों को समुचित मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण क्षेत्र के किसानों में ट्यूबवेल विद्युत कनेक्शन न मिलने के कारण भारी रोष व्याप्त है। शीघ्र ही ड्राई जोन समाप्त कर किसानों को ट्यूबवेल विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये जनपद मथुरा के बल्देव ब्लाक, राया ब्लाक तथा फरह ब्लाक में ग्रामीण किसानों को शीघ्र ही ड्राई जोन समाप्त कर किसानों को ट्यूबवेल विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद चित्रकूट के जिला चिकित्सालय में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय–

[मान्यवर, जनपद चित्रकूट में चिकित्सा सेवाओं के लिये एकमात्र जिला चिकित्सालय है। जिला चिकित्सालय में भी डाक्टरों की कमी के कारण चिकित्सा सेवायें बाधित होती हैं। सामान्य बीमारियों के मरीजों को भी इलाज हेतु 200 किमी दूर स्थित कानपुर एवं लखनऊ तक जाना पड़ता है। इससे कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसके साथ ही बाहर इलाज कराने से मरीज के परिवार पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। आपसे आग्रह है कि जनहित में जिला चिकित्सालय में डाक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जाये जिससे आम जनमानस को असुविधा न हो।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

गांवों में तालाब के किनारे आवास बनाकर रह रहे गरीबों को बिना उचित व्यवस्था दिये वहां से विस्थापित न करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक–

ख्मान्यवर, सादर अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले सैकड़ों वर्षों से बहुत सारे ग्रामीण गरीब लोग तालाबों के किनारे अपने कच्चे–पक्के आवास बनाकर रहते आ रहे हैं। ये अत्यंत गरीब लोग होते हैं जिनके पास रहने का अन्य कोई साधन नहीं होता हैं तथा पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी बड़ी मुश्किल से करते हैं।

वर्तमान में तालाबों का सौन्दर्यीकरण का कार्य करते हुये प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके आवासों को अनाधिकृत बताकर उनके आवासों को हटाने का काम किया जा रहा है। तालाबों के यथावत सौंदर्यीकरण करने के लिए इनके आवासों का ध्वस्त ना किया जाये। यह अत्यंत विकट समस्या है इसका निवारण अत्यंत आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इनके आवासों को ध्वस्त करने की

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्रवाई करने से पहले किसी अन्य स्थान पर इनके आवास की व्यवस्था किये जाने हेतु कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद बदायूं के तहसील दातागंज का निर्माणाधीन तहसील भवन पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह ष्बब्बू भइयाष्–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र दातागंज में तहसील मुख्यालय पर नये तहसील भवन का निर्माण कराया जा रहा है जो कि अभी अधूरा पड़ा है। नये तहसील भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा होने के कारण कार्य प्रभावित होने से जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में नये तहसील भवन का निर्माण कराने का निर्णय हुआ था परन्तु अभी कार्य अधूरा पड़ा है जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यदायी संस्था एवं जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण समय से कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यहित को देखते हुए समयबद्ध सीमा में नवीन तहसील भवन का निर्माण कराया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्बद्ध सीमा में तहसील भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा में रामपुर धोबियाहार को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 283 नानपारा में शिवपुर, बलहा व नवाबगंज ब्लाक आता है। शिवपुर व बलहा ब्लाक सरयू नदी के कारण दो भागों में विभक्त है। नदी के उस पार की जनता को आने–जाने में बहुत समस्या उठानी पड़ी है। इसलिए सरयू नदी के पश्चिम उस पार रामपुर धोबिया हार जो कि शिवपुर ब्लाक में आता है। रामपुर धोबिया हार को विकास खण्ड बनाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रामपुर धोबिया हार को विकास खण्ड बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या–3 लेता हूं। मा0 सदस्य श्री आजाद अरिमर्दन उपस्थित नहीं है।

मद संख्या– 4, 5 व 6 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–7।

ख12.32, **कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष–

कार्य–स्थगन के प्रस्तावों पर जिन मा0 सदस्यों ने अपनी सूचनायें दी थीं वह सदन में उपस्थित नहीं है। इसलिए सभी अग्राह्य हुई।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–07 सार्वजनिक उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,41,37,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, उद्योग विभाग से संबंधित मैं थोड़ा शार्ट में बताउंगा कि जो धनराशि है वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 में 39 अरब 92 करोड़ 48 लाख का बजट प्रस्तावित है। इस बजट में औद्योगिक विकास विभाग के अतिरिक्त आई0टी0 विभाग, एन0आर0आई0 विभाग का बजट भी सम्मिलित है। मान्यवर, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की परियोजनाओं के लिए कुल बजट में रूपये 28 सौ 28 करोड़ 55 लाख 91 हजार रूपये का बजट है। सूचना और प्रोद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग की परियोजनाओं में मान्यवर 160 करोड़ 92 लाख 12 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है। एन0आर0आई0 विभाग के लिए यह बजट तीन करोड़ का प्रस्तावित है। पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे हाई–वे के लिए मान्यवर कुल अनुमानित लागत 23 हजार 598 करोड़ 12 लाख रुपये और इसमें भूमि एवं अन्य समस्त लागत सहित निर्माण कार्य के मद में मान्यवर, 800 करोड़ रुपये की बजट की प्रस्तावित व्यवस्था है। इसी परियोजना में हमें ऋण के मद में लेखा के अंतर्गत रुपये 6 अरब 89 करोड़ 74 लाख रुपये के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। जबकि उक्त ऋण के देय में बजट भुगतान में 135 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परामर्शी सेवाओं के भुगतान के लिए 1 करोड़ 10 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अवस्थापना एवं उद्योग निवेश के 2012 के अंतर्गत भारी उद्योग नीति में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के अंतर्गत मान्यवर, रूपये 08 अरब 06 करोड़ 30 लाख रुपये प्रस्तावित है। उद्योग निवेश प्रोत्साहन के लिए मान्यवर, 109 करोड़ 86 लाख रुपये की बजट व्यवस्था है। जबकि उद्योग निवेश प्रोत्साहन 2012 की नीति के लिए 174 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश उद्योग एवं निवेश रोजगार प्रोत्साहन हेतु मान्यवर, 30 करोड़, निवेश बोर्ड के गठन के लिए मान्यवर, 05 करोड़ और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अवस्थापना सुविधाओं में अवस्थापना के लिए संचालित उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास बोर्ड के लिए 60 करोड़ 62 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मा0 उच्च न्यायालय मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों में वाद रिम्बर्स के लिए मान्यवर, 60 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। मान्यवर, मैं शार्ट में ही बोल रहा हूं।

मान्यवर, वर्ष 2014 में प्रदेश द्वारा घोषित पुनर्वास नीति के लिए 20 लाख रुपये की व्यवस्था है। मान्यवर, यह सारी चीजें हम इस बजट में लेकर आये हैं। मान्यवर, मैं पांच मिनट में अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप पूरा विषय रखिये।

श्री सतीश महाना–

पूरा विषय रखूँ। धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं बधायी देना चाहता हूं अपने मा0 मुख्यमंत्री जी को और अपने साथी सहयोगी मा0 मंत्री जी को जिन्होंने उद्योग नीति के लिए जो समिति गठित की थी मा0 उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में उसमें मा0 ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा जी, मा0 वित्त मंत्री आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, मा0 स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री नन्द गोपाल नन्दी जी और मैं उसमें था। मान्यवर, दो महीने में किसी भी उद्योगों के लिए एक नीति आयी हो यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। नहीं तो कोई नीति ही नहीं थी। जिस समय हम विपक्ष में बैठकर उद्योग मंत्री जी से पूछते थे कि नीति क्या है तो वह कहते थे कि 2012 की नीति प्रख्यापित है। और मैं पूछता था कि क्या है तो वह कहते थे कि इस किताब में लिखा हुआ है पढ़ लें। जब मंत्री को ही जानकारी नहीं होती थी कि उद्योग नीति क्या है तो वह क्या बतायेंगे। मान्यवर, यह पहली बार हुआ है कि हमने उद्योगों के साथ रोजगार को जोड़ने का काम किया है। पहले मान्यवर, जो हमारे पास मेगा प्रोजेक्ट होते थे सुपर मेगा प्रोजेक्ट होते थे उनके लिए हम एक धनराशि निर्धारित कर देते थे कि अगर वह इतना इनवेस्टमेंट करेंगे। 200 करोड़ रुपये अगर वह इनवेस्टमेंट करेंगे तो हम उनको सारी सुविधायें चाहे उस समय बैक रिम्बर्समेंट की थी, अब जी0एस0टी0 आने के बाद मान्यवर, उत्तर प्रदेश ट्रेड का जी0एस0टी0 है वह हम उनको वापस करते हैं। मान्यवर, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्वांचल में और बुन्देलखण्ड में अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाता है 100 करोड़ रुपये अगर वह लगायेगा तो जो वह जी0एस0टी0 के माध्यम से टैक्स देता है उस टैक्स में से 70 प्रतिशत उसको प्रतिवर्ष वापस कर देंगे। उसने अगर 100 करोड़ इनवेस्टमेंट किया है तो 300 करोड़ रुपये तक का टैक्स हम उसको वापस करेंगे।

मान्यवर, उसका इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ रुपये और वह जो टैक्स दे रहा है, उस टैक्स में से उसे 300 करोड़ रुपये वापस करेंगे। मान्यवर, यह पहली बार हुआ है। हमारे बुन्देलखण्ड के साथी और पूर्वांचल के साथी यहॉ पर उपस्थित है, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए और वह इन्डस्ट्रियलिस्ट को इस बात के लिए प्रमोट करें। यह पहली बार हुआ है कि हमने लघु और सूक्ष्म उद्योगों के अन्तर्गत, हमारे माननीय पचौरी जी उस बजट को प्रस्तुत करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको भी टैक्स रिम्बर्समेंट के माध्यम से पैसा वापस करने का प्रस्ताव किया है। मान्यवर, इस बारे में कोई सोचता नहीं था कि यह पिछड़े हुए क्षेत्र हैं यहॉ पर कैसे इन्डस्ट्री लगायी जाए। मान्यवर, मैं पश्चिमांचल की भी बात करना चाहता हूं। पश्चिम की जिस समय बात होती थी, उनको इन्सेन्टिव देने की तो गौतमबुद्ध नगर जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस हाई वे हैं और गाजियाबाद जिला, मान्यवर, पूरे पश्चिम को एक ही श्रेणी के अन्तर्गत बांट दिया गया था और जो उनको इन्सेन्टिव दी जाती थी, वह सभी को एक ही प्रकार की होती थी। तो स्वाभाविक है कि दिल्ली एन0सी0आर0 होने के नाते ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद में तो कुछ इन्डस्ट्रीज लग गयीं, बाकी जो पश्चिम के

सारे जिले थे वह इन्डस्ट्री से पीछे रह गए। तो मान्यवर, हमने पहली बार ऐसा किया है कि गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़ कर पश्चिम को एक अलग जोन बना दिया और जितने इन्सेन्टिव्स गाजियाबाद को थे, उससे अधिक इन्सेन्टिव्स हम पश्चिम के इन्डस्ट्रीज को देने जा रहे हैं। मान्यवर, अब सहारनपुर में, मेरठ में, शामली, शाहजहांपुर में हम नया इन्डस्ट्रिल पार्क लेकर आ रहे हैं, मान्यवर, हमने इस पर काम शुरू कर दिया है।

मान्यवर, पहली बार हुआ है कि हमने रोजगार को इसके साथ जोड़ा है। उदाहरण के लिए अगर 200 करोड़ रुपया गौतमबुद्ध नगर में कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको जितनी इन्सेन्टिव्स 200 करोड़ रुपये पर देंगे, उतनी ही इन्सेन्टिव्स बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में 100 करोड़ लगाने वाले इन्डस्ट्रियलिस्ट को देंगे, मान्यवर, आधा कर दिया है। हमने इसको रोजगार के साथ जोड़ा, हमने कहा कि अगर गौतमबुद्ध नगर में कोई इन्डस्ट्री लगायेगा तो वह 200 करोड़ में ही लगाता, उसके पास कम है पैसा 100 करोड़ हैं, सवा सौ करोड़ हैं, लेकिन अगर वह एक हजार लोगों को एम्प्लायमेंट देगा तो हम सारे इन्सेन्टिव्स चाहे वह जी0एस0टी0 के हों, जिस समय वह जमीन खरीदता है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वह उसको वापस कर देते हैं। हमने कहा कि आप एक हजार लोगों को एम्प्लायमेंट दीजिए तो हम आपको वही सुविधा दे देंगे जो सुविधा 200 करोड़ रुपये लगाने पर मिलती है और पूर्वांचल में और बुन्देलखण्ड में इसको हमने आधा कर दिया है कि 500 लोगों को रोजगार दीजिए। आप 100 करोड़ रुपया नहीं लगाना चाहते, आपके पास नहीं हैं तो 100 करोड़ रुपया आप नहीं लगाइए, 50 करोड़ लगाइये, 60 करोड़ लगाइये, लेकिन 500 लोगों को रोजगार दीजिए। रोजगार और इन्डस्ट्री को जोड़ने के लिए एक क्रान्तिकारी कदम हम लोगों ने उठाया है। (मेंजें थपथपाई गईं) मान्यवर, कभी–कभी यह शिकायत मिलती थी कि सरकारी विभागों में जब जाते हैं तो इन्डस्ट्री लगाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। हमने मान्यवर, ईज़ ऑफ गोइंग बिजनेस के अन्तर्गत सारा सिंगल विन्डो सिस्टम बना दिया। एक ही जगह पर आकर इन्डस्ट्रियलिस्ट अपनी एप्लीकेशन देगा, माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के अन्तर्गत हम उस पोर्टल को डेवलप करेंगे, उसके लिए हमने 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में कर दी है। इण्टरनेशनल लेविल की व्यवस्था हम वहां पर करेंगे और सारे विभागों के क्लियरेंस लेने की जिम्मेदारी उस सिंगल विंडो सिस्टम के लिए जो नोडल अधिकारी होगा, उसकी होगी। अब इन्डस्ट्रियलिस्ट को विभिन्न विभागों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।

मान्यवर, इन्डस्ट्री विभाग के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बड़ी चर्चा में रहते थे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जिस तरह से विकसित होना चाहिए था, जिसके नाम से उत्तर प्रदेश नाम का नाम रोशन होना चाहिए था, उस नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नाम से उत्तर प्रदेश बदनाम होता हुआ चला गया कि अच्छा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस प्रकार के भी लोग हैं। जिसका सम्मान होना चाहिए था, उसका अपमान होने लगा। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से जो आदमी प्लाट लेने के लिए जाता था, वह प्लाट को ढूँढ़ते–ढूँढ़ते परेशान हो जाता था कि पहले वह प्लाट ढूँढ़े और वहां पर जो सम्बन्धित अधिकारी होते थे, उनकी जाकर सेवा–पानी करते थे, फिर उनको कोई प्लाट मिलता था, फिर बड़ा एहसान करके उसको प्लाट दिया जाता था, फिर वह नक्शा दाखिल कराने के लिए आता था, फिर नक्शा पास कराने के लिए मान्यवर, 10 बार आब्जेक्शन, यह मैंने सारा सिस्टम खत्म कर दिया है। इसी 22 तारीख को मान्यवर, हम एक पोर्टल डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के सारे प्लाट उसमें डाल देंगे, घर में

बैठा हुआ इन्डस्ट्रियलिस्ट्स उसको देख सकता है जो उसको प्लाट चाहिए वह उसको चिन्हित कर लेगा, उस अर्हता के अन्तर्गत अगर वह आता है जो शर्तें लगायी गयी हैं कि इतने दिनों के अन्दर उसको इन्डस्ट्री लगानी पड़ेगी।

यह सारी चीजें हैं, अगर उन अर्हताओं में आता है, उसको हम स्वीकृत कर लेंगे और घर में बैठा हुआ वह पेमेण्ट कर देगा, घर में बैठा हुआ नक्शा दाखिल कर देगा और 15 के अन्दर हम उसका नक्शा पास करा देंगे, उसको जाने की भी जरूरत नहीं होगी। मान्यवर, ये कभी हुआ ही नहीं, कोई सोंच भी नहीं सकता था, कई विभागों में जाने में इण्डस्ट्री इसलिए नहीं आती थी, उनको माहौल नहीं मिलता था, पूछते थे वीजा और बिजनेस क्या है? अब मान्यवर, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं आज भी और पहले भी मान्यवर, कई ऐसे अवसर आये हैं, अगर हमें पता चला कि कोई इण्डस्ट्री लगाना चाह रहा है, तो मैं मान्यवर स्वयं, हमारे प्रमुख सचिव और हमारे सारे के सारे विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मान्यवर वह उन इण्डस्ट्रीलिस्ट को फोन कर के बुलाते हैं। पहले एक जूनियर इंजीनियर से इण्डस्ट्रीलिस्ट को मिलने के लिए परेशानी होती थी, अब हमारे विभाग के उच्चतम अधिकारी उनको टेलीफोन कर के बुलाते हैं कि आइये आप, हम आपसे बात–चीत करना चाहते हैं, आप यहां पर इण्डस्ट्री लगाओ। मान्यवर, यहां पर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, मेरठ में एक इण्डस्ट्रीलिस्ट थे, मेरठ में रहने वाले मित्र जानते होंगे, उनको मान्यवर कोई बहुत बड़े दबंग आदमी, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, क्योंकि दबंगों के साथ मेरा थोड़ा सा परहेज भी रहता है, तो वह उसकी वजह से छोड़ कर चले गये, मैंने कहा ये कौन है, उन्होंने कहा इसका आपने नाम नहीं सुना, मैंने कहा नहीं सुना।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य द्वारा नाम लिये जाने पर)

आपने नाम बोल दिया, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति का नाम इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए कि विधान सभा की कार्यवाही में उसका नाम आये, ऐसे लोगों का नाम ही नहीं आना चाहिए, आपने नाम बोला क्योंकि आपको पता है, आप वहां के रहने वाले हो। वह इण्डस्ट्रीलिस्ट मान्यवर उत्तर प्रदेश छोड़ कर के चले गये, आज भी हमारे प्रमुख सचिव जी ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश छोड़ कर आप कहां जा रहे हैं तो उन्होंने कहा अब हम सिक्किम पहुँच गये हैं, दिल्ली पहुँच गये हैं। हमने कहा कि नहीं अब आप आइये, उन्होंने कहा ये समस्या है, मैंने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों के अन्तर्गत हम आपकी सुरक्षा करेंगे और मान्यवर इण्डस्ट्रीलिस्ट की सुरक्षा के लिए पहली बार हमने यह निर्णय लिया है कि कोई परे इण्डस्ट्रीयल स्टेट से हम एक सक्षम अधिकारी जो भी एस0पी0 लेविल का होगा, उसको तैनात करेंगे, इण्डस्ट्रीलिस्ट की सुविधा के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए और गुण्डा–गर्दी न हो विशेषरूप से इसके लिए। पहली बार मान्यवर हम वहां पर एस0पी0 की तैनाती करने जा रहे हैं। छोटे इण्डस्ट्रीलिस्ट होंगे मान्यवर वहां पर सी0ओ0 लेविल की तैनाती करेंगे, जिस प्रकार का जितना बड़ा एरिया होगा, उस प्रकार की सक्षम पुलिस अधिकारी की हम तैनाती करेंगे।

मान्यवर, पहली बार उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए विचार आया है कि कोई प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल पार्क बनाना चाहता है, बहुत सारे मित्र हमारे यहां पर बैठे हुए हैं अगर कोई व्यक्ति सौ एकड़ जमीन खरीदेगा अगर उसके ऊपर हम उसको नोटिस जारी कर देंगे कि यह इण्डस्ट्रीयल एरिया है, नोटीफाई देंगें कि यह इण्डस्ट्रीयल एरिया है और सौ एकड़ जमीन के ऊपर मिनिमम, उसके ऊपर ज्यादा भी लगा सकता है, सौ के ऊपर दो सौ, पॉच सौ, हजार एकड़ जितने भी ऊपर की लगा सकते हैं, वह जिस समय

इण्डस्ट्री लगायेगा मान्यवर, किसी प्राईवेट आदमी को इण्डस्ट्री लगाने के लिए हम शत–प्रतिशत जो उसकी रजिस्ट्रेशन की स्टाम्प ड्यूटी होगी, पूरी की पूरी उसको वापस कर देंगे, तब तो कोई इण्डस्ट्रीलिस्ट आयेगा। मान्यवर, जिसको हमने दिया इण्डस्ट्री पार्क डेवलप करने के लिए, उसको तो हमने सौ परसेण्ट स्टाम्प ड्यूटी माफ कर ही दी, अगर वह दूसरे किसी आदमी को बेचेगा, स्वाभाविक रूप से इण्डस्ट्री लगाने के लिए बेचेगा, तो जिसको बेचेगा, हम उसकी भी 50 परसेण्ट स्टाम्प ड्यूटी माफ कर देंगे, बहुत बड़ी रकम हो जाती है मान्यवर और उसको वह सारी सुविधायें देंगे जो एक मेगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आती हैं।

मान्यवर, जो हम इण्डस्ट्रीयल पालिसी लेकर आये हैं, अगर उस पर मैं बिन्दुवार बोलना शुरू कर दूँ तो मान्यवर दो घण्टे उसमें लगेंगे, लेकिन आपका भी निर्देश है और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी का भी सुझाव है कि मैं उसको संक्षेप में कहूं, क्योंकि बहुत सारे विभाग हैं। नई उद्योग नीति के बारे में मान्यवर मैंने आपको बताया और मान्यवर मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि बहुत से ऐसे लोग पूरे देश और विदेश में हमारी इण्डस्ट्रीयल पालिसी को पढ़ कर हमको टेलीफोन कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों के पास आ रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया इण्डस्ट्रीयल पालिसी लाये हैं। इण्डस्ट्रीयल पालिसी के बारे में पहले कभी चर्चा नहीं होती थी कि कोई इण्डस्ट्रीयल पालिसी है भी या नहीं है। मैं जब अपने विभाग के कुछ अधिकारियों से बात–चीत कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि सर हम ये इण्डस्ट्रीयल प्लाट बेंचते हैं, हमने कहा आपका क्या डिजिगनेशन है, उन्होंने कहा आर0एम0, तो मैंने कहा कि आप किस विभाग के कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0, मैंने कहा यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का मतलब बताओ, तो फुलफार्म बताया उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन, मैंने कहा अब इसका मतलब बताओ, उन्होंने कहा इण्डस्ट्रीयल स्टेट डेवलेपमेण्ट, मैंने कहा इण्डस्ट्री के डेवलेपमेण्ट में तुम्हारा क्या योगदान है, मैंने कहा पालिसी मालूम है, उसने कहा नहीं मालूम है, मैंने फिक्स कर दिया मान्यवर कि हर तीन महीने में हम इसकी समीक्षा करेंगे और जो आर0एम0 यह नहीं बतायेगा कि उसके क्षेत्र में कितनी इण्डस्ट्री लगी हैं मान्यवर, उसको उस क्षेत्र से हटा देंगे। अब आर0एम0 की जिम्मेदारी जमीन खरीद–फरोख्त की नहीं है, जो जमीन खरीदने का काम करे, जमीन बेंचने का काम करे।

मान्यवर, हमने यह निर्णय लिया है कि हम जिम्मेवारियां तय करेंगे और इण्डस्ट्री को उत्तर प्रदेश में हर हालत में लेकर आएँगे। मान्यवर, जितनी इण्डस्ट्री इन्होंने पिछले 5 साल में दी हैं, हम उससे 5 गुना ज्यादा इण्डस्ट्री इन 5 सालों में लगवाएँगे। हम केवल फोटो खिंचवा कर किसी प्रकार का धोखा नहीं करना चाहते कि बड़े–बड़े इण्डस्ट्रलिस्ट के साथ फोटो खिचा ली। हमें याद है कि आगरा समिट हुआ था, दिल्ली समिट हुआ था। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ और 80 हजार करोड़ की बात होती थी। मुझे याद है कि बैनर लगे थे और लिखा था 80 हजार करोड़ और आया कितना 5000 करोड़। मान्यवर, मैं अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। मान्यवर, हम उद्योग नीति लाए, रोजगार सृजन भी है। मैं बताना चाहता हूं कि 2007–08 में 4918 करोड़, 2008–09 में 5176 करोड़, मान्यवर, 2009–10, 2010–11 में यह रकम एकदम दुगनी हो गई और 2011–12 में मेरे को आश्चर्य हुआ कि इतना बढ़िया काम हो गया कि दोगुनी हो गई। मैंने अधिकारियों से पूछा कि भई उसका डीटेल दो तो उन्होंने कहा कि सारी पी0एस0यू0 जितनी मिलें थीं, सब बेच दीं। सबको बेचने का काम इन्होंने पैसा बनाने के लिए किया तो रेवेन्यू कहां से बढ़ा कि आप जो कुछ घर में हो बेच दो।

मान्यवर, इन्होंने मिलों को बेचने का काम किया, चाहे वे चीनी मिलें हों और चीनी मिलों को जिस दाम के ऊपर बेचने का पाप उन्होंने किया था, यहॉ होते वे सुनते लेकिन वे सुनना नहीं चाहते थे कि उन्होंने कितना पाप किया है इसलिए वे यहॉ से चले गए हैं कोई न कोई बहाना बना करके। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बस थोड़ी देर समय और लूंगा, कृपापूर्वक कह रहा हूं। अभी तो मैंने एक ही विभाग लिया है, मेरे पास 10 विभाग हैं। आपने मुझे छूट दे दी थी तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था। आप लिमिट बॉध दोगे तो मैं उस लिमिट में ही बोलूँगा। मान्यवर, आपका आदेश सर्वोपरि है। मान्यवर, ये इसीलिए चले गऐ हैं, जिन्होंने कहा था गन्दी नाली के गन्दे कीड़े वो और जिनको कहा था गन्दी नाली के गन्दे कीड़े वो, दोनों मिलकर आज चले गये। उनको शर्म नहीं आती क्या। आज यहां से उठकर जाने की बात करते हैं। मान्यवर, मैं यह कहना नहीं चाहता लेकिन आपके बात करने के बाद भी अगर किसी में इतना भाव है तो स्वाभाविक रूप से उसकी बात भी सामने आनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, वाद–विवाद के माध्यम से यह सामने आना चाहिए कि किसने क्या कहा।

मान्यवर, इतिहास बताता है कि पहले यहां पर बैठे हुए लोगों के द्वारा किस प्रकार का असंसदीय व्यवहार किया जाता था। मुझे तो पता नहीं था, मैं उस दिन था नहीं कि नेता प्रतिपक्ष ने मेरे खिलाफ कुछ टिप्पणी की है क्योंकि मेरा आज ही बजट था, कल ही मुझे पता चला। मान्यवर, आमने–सामने होते तो थोड़ी सी बातचीत होती। मान्यवर, खैर वह विषय अलग है, उसको हम लेंगे। मान्यवर, आई0टी0 विभाग के द्वारा हमने ई–टेण्डरिंग की जो व्यवस्था की है। सारे विभागों का नोडल विभाग आई0टी0 विभाग होता है। हमने यह निर्णय लिया है कि हम पहली सितम्बर तक आई0टी0 विभाग को पूरा चालू कर देंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में जितने भी ठेके होंगे, वह सारे ई–टेण्डरिंग के माध्यम से होंगे। मैं शॉर्ट में बताता हूं मान्यवर। हमने एक सी0एम0 हेल्प लाइन जारी करने का निर्णय लिया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के नाम से ''श्री मुख्यमंत्री हेल्प लाइन''। कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बताएगा। अगर किसी के घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, दुर्भाग्य से कोई जानवर मर गया है, वह पड़ा हुआ है। किसी भी स्थिति में मैं सबसे छोटी वाली बता रहा हूं। मान्यवर, सी0एम0 हेल्प लाइन के ऊपर बताएगा। सी0एम0 हेल्प लाइन उस विभाग के उस अधिकारी/कर्मचारी को उसका निराकरण कराके उसको वापस फोन करके बताऍगे कि आपका यह काम हो गया। मान्यवर, पहली जनवरी से हम इसको लागू करेंगे। मान्यवर, देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेण्टर हम बनाने जा रहे हैं। स्टार्ट अप वेंचर और कैपिटल की बात है मान्यवर। मैं इसको खत्म करता हूं। मान्यवर, अब यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 तो बड़ी चर्चा में रहता था। मान्यवर, 2067 प्लॉट 1484 एकड़ के हम प्रीमियम के आधार पर 22–07–2017 को पोर्टल पर डालने जा रहे हैं। मैंने आपको नक्शे के बारे में बताया। मान्यवर, नक्शे पड़े रहते थे पता चला कितने सालों से नक्शा पड़ा हुआ है उद्योगपति आया उनसे कहा गया कि आपने अभी तक इण्डस्ट्री नहीं लगाई हम आपका प्लॉट कैन्सिल कर देंगे। वह कहता है कि हमने ढ़ाई साल से नक्शा दाखिल करने के लिए दिया है। नक्शा आप पास नहीं कर रहे हैं मैं प्लाट कहां से बना दूंगा और उसके बाद विभाग के लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्लॉट कैन्सिल। आपने नक्शा पास किया नहीं तो उसका प्लॉट क्यूँ कैन्सिल कर रहे हो। ये सारी की सारी बातें थी, हमने बड़ी पारदर्शी व्यवस्था बनाने के पश्चात् यू0पी0एस0आई0डी0सी0 जो अभी तक सबसे अधिक बदनाम विभाग हुआ करता था वह नामदार विभाग हो गया है।

मान्यवर, पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे की बात करना चाहता हूं। आगरा एक्सप्रेस–वे के बारे में बात करना चाहता हूं। आगरा एक्सप्रेस–वे बना तो दिया, इनकी सरकार को मुझे लगता है कि पहले से पता था कि अब ये होने वाला है, इनको पता था कि ये जाने वाले हैं, इसीलिए सारे अधूरे कामों को शिलान्यास करके चले गए। सारे ठेकों का, एक्साइज के ठेकों का अगले दो साल तक करके चले गए। हमारे मद्यनिषेध मंत्री को अगर कोई कठिनाई हो रही है तो पिछली वजह से ही हो रही है। वैसे ही सारे आगरा एक्सप्रेस–वे का उद्घाटन करके चले गए जबकि वहां पर न तो साइड रोड्स बनी हैं, न कैरिज–वे बने हैं, अभी बिटुमेंट कक्रीट भी अधूरी है, आर0डब्ल्यू0ओ0 की फैनसिंग नहीं बनी। इतने कंक्रीट एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, अगर कोई गाड़ी जाती है तो कोई भी जानवर बीच में आ जाते हैं, जो लोग वहां से होकर जाते हैं, उन्हें इस बात का पता है। कोई जानवर यदि बीच में आ जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। साइनेज नहीं है कहां से किसको उतरना है यह पता नहीं है, वाहन सीधा चला जाता है। (एक माननीय सदस्य की ओर इंगित करते हुए) आप तो जाते हैं उस रोड पर कई बार चले गए। कल विधान परिषद् में भी मैंने आपकी चर्चा की कि आप उसी रास्ते से जाते हैं। मार्ग में एक भी वाशरूम नहीं हैं, टॉयलेटस् नहीं हैं, ड्रेन्स नहीं है, प्लान्टेशन नहीं है, ट्रैफिक मैनेजमेण्ट सिस्टम नहीं है। मान्यवर, हम आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के ऊपर 24 पुलिस टोल बनाने जा रहे हैं और इसकी मॉनीटरिंग का काम पुलिस की 24 गाड़ियॉ लगाएंगे जो पेट्रोल वैन के माध्यम से वहां पर मॉनीटरिंग करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस हाई–वे पर हमने निर्णय लिया है कि उसको समय से बनाएंगे उसके लिए हमने 2394 एकड़ भूमि क्रय कर ली है। 1613 करोड़ एकड़ भूमि क्रय होनी है उसके लिए हमने बजट में 800 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया है तथा बाकी हम विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से ऋण लेकर उसका काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब तो बात हो गई।

श्री सतीश महाना–

बस हो गया मान्यवर, 2 विभाग हुए हैं, 2–3 विभाग रह गए हैं, जल्दी खत्म करूंगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाह क्या बात है, हमारे पंकज जी बैठे हुए हैं। मुख्य बात तो यह है नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मान्यवर, कि पहले जो सरकारें होती थी, वह बिल्डर्स की सुनती थीं। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक भी है और पूरे प्रदेश में जाते हैं मान्यवर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो एक लाइवली सिटी दिखता था अब वह मान्यवर, लगता है कि एक भूतहा शहर हो गया है। वहां जाओ तो खण्डहर खड़े नजर आते हैं, उनको देखकर डर लगता है। वहां पर अधूरे खण्डहर खड़े हुए हैं, अधूरी बिल्डिंग बनी हुई हैं, वह कब चालू होंगी उसका पिछले 5 वर्षों से, 10 वर्षों से कुछ अता–पता लेने वाला नहीं है। वहां के बायर्स बेचारे परेशान हैं उनको बिल्डर्स मकान देने के लिए तैयार नहीं है पूरे पैसे ले लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे स्थानीय विधायक माननीय पंकज जी और हमारे वहां से सांसद आदरणीय महेश शर्मा जी उन दोनों ने उनसे बात की। वो उनको लेकर मेरे पास आए, मैंने बात की। मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों ने उनको मिलाया। मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, बातचीत की। पहली बार बायर्स ने कहा कि हमारी कोई सुनने वाला है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, जब किसी का कोई सुनने वाला नहीं होगा तो निराकरण किस बात का करेगा। जब वहां पर जाएं तो मान्यवर, जो गरीब आदमी जिसके पास मकान था, वह किराये पर रहता था। उसको किसी शुभचिंतक मित्र ने समझा दिया कि यार किराये पर रहते हो चलो चलकर मकान ले लो। उसने

कहा बैंक से लोन ले लेते हैं, जितना किराया देते हो उतनी इ0एम0आई0 दे देना। मकान में रहोगे कुछ सालों बाद मकान तुम्हारा हो जाएगा। मान्यवर, बस दो मिनट में खत्म करूंगा। मान्यवर, आज वह मकान का किराया भी दे रहा है, इ0एम0आई भी दे रहा है और उसको पता नहीं है कि उसको मकान मिलेगा कि नहीं।

मान्यवर, अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हम वहां पर एक नोडल अधिकारी ए0सी0ओ0 रैंक का बैठाएंगे, जो इस बात की मॉनीटरिंग करेगा कि कौन–से प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है और कितना बचा है। बाहर से बातचीत करेगा उसका को–आर्डिनेशन कराएगा, बिल्डर के ऊपर हम दबाव डालेंगे कि इसको पूरा करो और यदि उसके बाद भी पूरा नहीं करेगा तो कानून के अंदर जो सख्त–से–सख्त सजा होगी, हम उन बिल्डर्स को देने का काम करेंगे। एक्सप्रेस–हाई–वे में हम जेवर एयरपोर्ट लेकर आ रहे हैं। वहां पर यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का सबसे ज्यादा काम होना है। अभी तक तो लोग समझते थे कि नोएडा में सबसे ज्यादा काम है। अब सबसे ज्यादा काम आने वाले दिनों के अन्तर्गत हमने जो एक्सप्रेस–हाई–वे बनाएं हैं उनके किनारे इण्डस्ट्रीज भी लाए हैं। सिर्फ एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम हमारा थोड़े है। उसमें इण्डस्ट्रीज लाने का काम हम करेंगे।

मान्यवर, एक बात और है कि आपको भी यह जानकर प्रसन्नता होगी, पहले यह जानकर दुख होगा और फिर जो मैं बताऊंगा उसको जानकर प्रसन्नता होगी। पहला दुख इस बात का होगा कि हमारे देश से कोई भी आदमी विदेशों में काम करने के लिए जाना चाहता था तो उस दलाल किस्म के लोग उनसे पैसे ले लेते थे, उनको झूठ बोलकर ऐसी जगह फॅसा देते थे जहां पर विदेश जाने के बाद वह नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होते थे और वापस आने के लिए गुहार करते थे लेकिन वापस नहीं आ सकते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने पूरे देश में 5 ऐसे सेन्टर्स आइडेन्टिफाई किए हैं जो कर्मचारी विदेश जाना चाहते हैं उनकी वह पूरी जानकारी करेंगे कि वह विदेश से कौन–सी कंपनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और उनको हम यहां से विदेश भेजेंगे। यू0पी0एफ0सी0 हमारी इसके लिए नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश से हुई है। अभी तक हमने लगभग 93 ऐसे बच्चों को जो विदेश जाना चाहते हैं उनको आइडेन्टिफाई करके विदेश भेजने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, केवल दो मिनट का समय और लूंगा। मैंने बजट के लिए सोचा था कि मैं लगभग दो घण्टे इस पर बोलूंगा लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी ने सुबह बता दिया और ऊपर मान्यवर, आपका आदेश है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का भी आदेश है। मान्यवर, मैं केवल इतनी बात कह कर कि जो उद्योग, जो उद्यमी उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा होने पर रास्ता काट कर चले जाते थे वह आज ढूंढ रहे है कि उत्तर प्रदेश में कैसा वातावरण है, हम उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएंगे, हम उत्तर प्रदेश को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित करेंगे और रोजगार के माध्यम से नौजवानों को जो रोजगार देने का हमने वायदा किया है, हम उस रोजगार को भी देंगे, इंडस्ट्री को भी बढ़ाएंगे। आज हमने जब सारे स्टेट्स की पॉलिसीज का अध्ययन करके तब हमने अपनी पॉलिसी बनायी है। आज मैं विश्वासपूर्वक इस बात को कह सकता हूं कि जब दूसरे स्टेटस ने भी पॉलिसी बनानी होगी हमारे स्टेट की पॉलिसी देखकर आंख बंद करके उसको इम्पलीमेण्ट कर देंगे हमने यह पॉलिसी बनायी है और इसी आधार के ऊपर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अब एक वातावरण है, अब भय नहीं है, हमारे बिजली

मंत्री जी ने हमें टवेंटी फोर–सैवन अनइंट्रप्टड बिजली देने का काम किया है। हमने जो सारे वायदे इंडस्ट्रिलिस्ट को किए हैं हम उनको पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश को एक इंडस्ट्रियल हब बना कर छोड़ेंगे। इतनी ही बात कह कर मैं आपकी अनुमति से जो मैंने बजट प्रस्तुत किया है मैं सारे सदस्यों से चाहूंगा कि वह उसको पास करने की बात करें। अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

'**श्री सुरेन्द्र–**

मान्यवर, सबसे पहले मैं अपने सम्मानित अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं। जो हमारे उद्योगमंत्री जी का बजट है और इसकी जो व्याख्या आपने की है उससे आपके नाम की वास्तव में पुष्टि हो जाती है। सतीश शब्द बना है इससे कि सत्य आचरण के आधार पर जो ईश्वर व्यवस्था देता है उसी को सतीश कहते हैं। आपको धन्यवाद है सतीश जी और आपके नाम के आगे महाना भी है, उसके आगे भी महान शब्द जोड़ दिया जाये क्योंकि विशाल हृदय का आदमी ही अच्छी व्यवस्था दे सकता है। अध्यक्ष जी, नीति चाहे जितनी भी अच्छी बन जाए लेकिन यदि नीति चलाने वाले की नीयत अच्छी नहीं होगी तो कभी भी अच्छी व्यवस्था देने की हैसियत किसी की नहीं होती। भाइयों, मैं तो कहता हूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं है, संयोग से वह बलिया के हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप उद्योग पर बोलिए।

श्री सुरेन्द्र–

मान्यवर, उद्योग पर ही बोल रहा हूं। उद्योग के लिए हमारे सतीश महाना जी ने जो प्रस्तुत किया है पहला आचरण सुरक्षा का, कोई भी व्यापारी पहले यह चाहता है कि मेरी सुरक्षा होगी कि नहीं। इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था आपने बिल्कुल व्यवस्थित किया है इसके लिए आपको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, आपकी व्यवस्था को भी धन्यवाद देता हूं। दूसरा होता है संरक्षण, उसमें भी आपने व्यवस्था दी कि सिंगल विण्डो कम हो जायेगा। विण्डो तो उनके जमाने में भी था वह कहीं न कहीं से हम लोगों की बात सुन रहे होंगे। अध्यक्ष जी हम लोगों से बुलवाइए वह कहीं न कहीं बैठकर के चोरी–चुपके बात सुन रहे होंगे। क्योंकि आज उद्योग का बजट था।

श्री अध्यक्ष–

आप बजट पर बताइए, कौन–कहां हैं यह सब न बताइए।

श्री सुरेन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग विषय वाइज बोलेंगे लेकिन अपने भाव प्रकट कर रहे हैं दूसरा संरक्षण शब्द भी आया है।

श्री अध्यक्ष–

आप तो खूब पढ़ते–लिखते हैं तो आप विषय के बाहर क्यों जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र–

मान्यवर, हम बाहर नहीं जा रहे हैं उनकी व्यवस्था को ही धन्यवाद दे रहे हैं। उनकी व्यवस्था से हम शत–प्रतिशत प्रसन्न हैं। संरक्षण के लिए जो आपने अपनी व्यवस्था के अनुसार किया है यह उद्योग के विकास के लिए सर्वोपरि चिंतन है। तीसरा है सुविधा, कि कोई भी व्यापारी हमारे प्रदेश में आकर परेशान नहीं होगा। सुविधा, संरक्षण और सुरक्षा इंडस्ट्रियल एरिया के लिये सबसे बड़ा काम होता है और मैं तो कहता हूं कि पहले जो सरकारें थीं वह अत्याचारियों की थीं। कुछ दिन बसपा की व्यापारियों वाली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार थी उसके बाद कांग्रेस की दरबारियों की सरकार थी। पहली बार यह हमारी सरकार समाचारियों की सरकार है। बन्धुओं, पूर्वांचल में बलिया सबसे अंतिम जिला है और हम सब लोग जो स्वतंत्रता का सुंदर सपना देख रहे हैं और विधान सभा में बैठे हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस बलिया ने इतना बड़ा त्याग किया वहां पर काग्रेंसी नेताओं ने, सपा के नेताओं ने, बसपा के नेताओं ने कोई चिन्ता नहीं की। मैं महाना जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यदि नोएडा अंतिम जिला है तो बलिया भी अंतिम जिला पूरब का है तो कृपा करके कम से कम पूरब में भी आप कोई ऐसी व्यवस्था दे दीजिये कि आपको भी हम लोग सतीश महाना जिन्दाबाद बोला करें। बन्धुओं अंत में एक कविता के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि–

'जब सरिता का जल सूखा हो तो भार बदलकर क्या होगा,
नावें टूटी यदि इनकी हों तो पतवार बदलकर क्या होगा।' धन्यवाद ।

'डॉ0 डी0सी0 वर्मा–

मान्यवर, माननीय महाना जी ने जो व्यवस्था दी है यह 100 एकड़ तक के जो लोग प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क अपना लगायेंगे उनको आप स्टाम्प ड्यूटी फ्री करेंगें इसके अलावा जो सब यूनिट बाद में लगेंगी उसका 50 प्रतिशत सब यूनिट लगाने पर आप स्टाम्प ड्यूटी माफ करेंगे, यह बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सपा के लोग आज नहीं हैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी विधान सभा में दो साल पहले एक टेक्सटाइल पार्क के लिये 100 एकड़ जमीन ली गयी थी और उसमें आज तक न तो उसका लैंड यूज चेंज किया गया और न उसका नक्शा पास किया गया। आज तक भारत सरकार की वह योजना अधर में लटकी हुयी है। इसके अलावा माननीय महाना जी का और अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में 1400 एकड़ जमीन रबड़ फैक्ट्री की पड़ी हुयी है वह रबड़ फैक्ट्री 1998 में बंद हो गयी मैं चाहता हूं कि इस ओर हमारी सरकार का ध्यान जाय और वहां भी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो तो फतेहगंज में रेलवे भी है। वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

बहुत सुंदर तरीके से आपकी मांग आ गयी। अब आप समाप्त करें ।

श्री डी0सी0 वर्मा–

आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देते हुये माननीय महाना जी का आभार व्यक्त करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द, जयभारत ।

'श्री विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, विषय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। 75 जिलों में जितने भी इंडस्ट्रीज पिछले 70 वर्षो में अनप्लान्ड तरीके से शहरों के बीच में आ गयी है। कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि 52 जिलों के अंदर पाल्यूशन इंडेक्स के ऊपर हम लोग देश में सबसे पीछे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा और सुझाव भी दूंगा कि यह जितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो बड़े शहरों के बीच में आ गये हैं जिनके कारण न सिर्फ बड़े–बड़े ट्रकों का आना जाना उन शहरों में होता है, एक बहुत कंजेशन का माहौल और बहुत बड़े पाल्यूशन के माहौल से यह सारे शहर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रभावित है और यह सब शहरों की समस्या है। हमारा कहना है कि इंडस्ट्री के तौर पर क्या ऐसी कोई योजना बन सकती है कि इन इंडस्ट्रीज को सेटेलाइट इंडस्ट्रियल टाउनशिपस् के तौर पर, जहां स्किल्ड लेबर की भी व्यवस्था की जाय, इनको ट्रांसफर किया जा सके और शहरों की लिविबेल कंडीशंस को दुबारा प्रतिस्थापित किया जा सके। दूसरा अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि जितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ए0टी0पी0 लगाने के लिये कहा गया था। बहुत कम जगहों पर इफूलेंएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा है जहॉ लगा है वहां चलता नहीं है इस कारण से हो क्या रहा है कि इण्डस्ट्री के लोग रिवर्स बोरिंग करके केमिकल को जमीन के अन्दर डाल रहे हैं वाटर टेबिल में और इस कारण से मैंने अपने क्षेत्र में सर्वे कराया जहां इण्डस्ट्री बहुत कम हैं और उस क्षेत्र में 100 गॉव के सर्वे में 30 गांव में फ्लोराइड निकला है और 8 गॉवों में आर्सेनिक निकला है। कैंसरस व्यवस्था इस आर्सेनिक से पैदा होती है, यह पानी पीने योग्य नहीं है यह ग्रामीण लोगों को मालूम नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए आगे खड़ी होने वाली है इसके लिए हमें अभी से चेत जाना चाहिए। तीसरे विषय के रूप में मैं मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अपने यहां हैंडीक्राफ्ट का उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है लगभग हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसमें छोटे–छोटे लोग उन हैंडीक्राफ्ट्स के माध्यम से प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं और उनके परिवार चलते हैं इसलिए बहुत से लोग इस कार्य में लगे भी हुए हैं। लेकिन मान्यवर, ये लोग सदियों पुरानी नीतियों से काम कर रहे हैं, 50 साल, 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उनके माध्यम से न सिर्फ डिजाइन की बल्कि बनाने की तकनीक भी वही है। मेरा औद्योगिक विकास मंत्री जी से आग्रह है कि एक ऐसा डिजाइन इंस्टीट्यूट इस प्रदेश के अन्दर बनना चाहिए जो उनकी स्किल को ना सिर्फ बढ़ावा दे सके बल्कि उनको इस तरह के तैयार डिजाइन दे सके जो विदेशों में उनके उत्पादों को और ज्यादा लोकप्रिय बनाये। चौथा और लास्ट विषय मेरा है जो तार्किक न हो उसे आप कह दीजिएगा मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

अतार्किक नहीं है।

श्री विक्रम सिंह–

मान्यवर, लास्ट विषय यह है कि डिफेंस के ऊपर देश में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के विषय की बात हो रही है। कानपुर डिफेंस का एक बहुत बड़ा स्टैब्लिसमेंट है, आर्डिनेंस, बम, गोलियां, बन्दूकें, जूते, रेनकोट सब बनता है, इसके बगल में मेरा फतेहपुर है। फतेहपुर के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि डिफेंस रिलेटेड शिक्षा का कोई भी केन्द्र इस देश के अन्दर नहीं है। हम अगर डिफेंस का प्रोडक्शन करने की बात करते हैं तो सबसे पहले इस सम्बन्ध में शिक्षित लोग हमारे पास होने चाहिए और डेडीकेटेड कोई भी इस प्रकार का हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं है, जो हम बाहर से सामान खरीदते हैं 50–55 बिलियन डॉलर का, कैसे हम उस पैसे को देश में रोक सकें इसके लिए तैयार वर्कफोर्स हमारे पास नहीं है और जब आज शुरू करेंगे तो पांच–सात साल बाद वह वर्कफोर्स हमारे पास उपलब्ध हो पायेगा। मेरा अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में इस इस्टीट्यूट को बनाकर और इसके साथ डिफेंस का इण्डस्ट्रियल पार्क स्थापित हो। डिफेंस का इण्डस्ट्रियल पार्क देश में कहीं नहीं है और आज की तारीख में पूरे देश में सबसे ज्यादा डिफेंस का स्किल्ड वर्कर अगर कहीं है तो वह कानपुर में है। फतेहपुर बहुत दूर नहीं है अगर वहां डिफेंस प्रोडक्शन पार्क बनता है तो अच्छा होगा। आखिरी बात मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक इण्डस्ट्रियल फ्रेड कॉरीडोर दिल्ली–हावड़ा लाइन के आसपास बनना है उसमें फतेहपुर

का भी चुनाव हुआ है उसको थोड़ा तेज करा दें तो जो इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं वह अपना सामान कलकत्ता, मुम्बई और दिल्ली भेजने लगें, आवागमन की सुविधा हो जाए, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सुरेश राणा जी, आप अपने भाषण में औद्योगिक क्षेत्र में विषैले पानी को जरूर स्पष्ट कर दें, क्योंकि बहुत लोगों की उस पर रुचि है।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद्। मैं अपने आदरणीय औद्योगिक विकास मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि लगातार उद्योग को जिस रूप में प्रदेश में लिया गया, औद्योगिक विकास को जिस रूप में लिया गया। हमने भी पॉच साल सुना था, देखा था, बैठ करके बहस में हिस्सा भी लिया था। बड़ी–बड़ी बातें की गई थीं, बड़े–बड़े वायदे किये गये थे, बड़ी–बड़ी समिट की गई थीं लेकिन जब परिणाम आता था तो वह शून्य की ओर बढ़ता था। मैं मा0 मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय महाना जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि जिस नीति के लिए उत्तर प्रदेश वर्षों से इंतजार कर रहा था। पूरे परिश्रम के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरा अध्ययन करके जैसे हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारा मंत्रि–मण्डल समूह इस नीति को लाया है और प्रदेश का विकास सर्वांगीड़ रूप से तेजी के साथ बढ़ेगा, इस नीति के लिए मैं माननीय महाना जी को विशेष रूप से बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यदि हम उद्योग की बात करते हैं तो सबसे पहले विषय आता है कानून–व्यवस्था का। किसी भी प्रदेश में उद्योग उसका आईना है। कैसा उद्योग है ? तो प्रदेश की क्या पृष्ठभूमि है इससे स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक आतंक का माहौल प्रदेश के अन्दर बना हुआ था, अभी नोयड़ा की चर्चा की जा रही थी। पिछले सत्र में बहुत चर्चा रही कि नोयड़ा में जिस प्रकार सार्वजनिक रूप से रंगदारी के नाम पर हत्यायें हुईं, एक आतंक का माहौल हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे उद्योगपति, उद्योग लगाने के बाद भी वहां से चले गये। मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा ठोस कदम उठाया है कि अब किसी गुण्डे की, किसी माफिया की इस प्रकार की हिम्मत नहीं होगी कि औद्योगिक क्षेत्र में जाकर गुण्डागर्दी कर लेगा, हमने पुलिस की विशेष व्यवस्था उद्योगों के लिए की है। पहली बार इस व्यवस्था के लिए मैं बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास के लिए हमने विशेष योजनायें दी हैं और मुख्य बात यह है कि हमने जिस प्रकार सारी योजनाओं को रोजगार सृजन के साथ जोड़ा है जो रोजगार का सृजन करेगा। रोजगार के साथ हमने सारी नीतियों को जोड़ा है और हमने कहा भी है कि पूर्वान्चल क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली अथवा 500 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली, तो हमने निवेश के साथ रोजगार की संख्या जोड़ दी है। जब रोजगार की संख्या हम जोड़ते हैं तो सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि रोजगार के जो अवसर हैं, जो साधन हैं उनका सृजन होता है। इसके लिए मैं बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं और विशेष प्रकार की चर्चा अभी कल थी और कुछ लोगों ने दावा ठोंका था कि आप लोग इसके विरोधी हो, उसके विरोधी हो। मैं बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों ने अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग, बी0पी0एल0 श्रेणी के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाली जो औद्योगिक इकाईयॉ हैं उनके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की है, इसलिए उन लोगों के लिए जवाब है जो बोल रहे थे कि हम उनके विरोधी हैं, उनके विरोधी हैं। हमने विशेष व्यवस्थायें की हैं। लगातार अभी, माननीय मंत्री

जी ने बताया भी था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जैसे हमने विशेष चिंता की, और वह चिंता इस तरह से की है कि उत्तराखण्ड बराबर में है, हरियाणा है। पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण उनकी नीतियों में कहीं न कहीं खोट के कारण, बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग उत्तराखंड चला गया था, बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग हरियाणा चला गया था। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि हम ऐसी नीति ले करके आये हैं कि हमने नोयड़ा को अलग रख करके और ग्रेटर नोयड़ा को अलग रख करके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हमने एक विशेष पैकेज दिया है कि वहां जो उद्योग स्थापित होगा नोएड़ा और ग्रेटर नोएड़ा से अलग उसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन नीति दी है। इसके लिए मैं बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनके कारण देश में उत्तर प्रदेश की पहचान है, चाहे बनारस की साड़ी हो, चाहे हमारे मेरठ का स्पोर्टस हो, चाहे आगरा का लेदर हो, चाहे सहारनपुर का वुड कार्विंग हो, चाहे हमारा मुजफ्फरनगर का गुड़ का व्यापार हो।

प्रदेश में अनेक ऐसे स्थान हैं जिनके ऊपर, जिनकी वजह से पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम है। लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं की गयी। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि हमने विशेष रूप से योजना बनायी है कि जितने भी इस प्रकार के उद्योग हैं, उन सारे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम उनका प्रचार–प्रसार करेंगे और कहीं न कहीं उनके प्रमोशन का कार्यक्रम हम ले करके आयेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक विषय की ओर माननीय मंत्री जी ने ध्यान आकृष्ट कराया था, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम गये थे नौएड़ा तो सबसे बड़ी मांग यह थी कि वहां हमने फीस भी जमा करा दी लेकिन हमारा आवंटन नहीं हो रहा है, वर्षों तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। जो वहां लोग थे, जो आवंटी थे वह वर्षों से लाइन लगाकर घूम रहे थे, जगह–जगह वह हाजिरी देते थे, जगह–जगह बेचारे परेशान रहते थे। मैं बधाई देना चाहता हूं और इतनी तेजी के साथ काम करने के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अभी मात्र जुलाई, 2017 तक हमने नोएडा मे 1374, ग्रेटर नोएडा में 3780 और यमुना एक्सप्रेस–वे में 3013 ऐसे भवन और ऐसे भू–खण्डों को हमने हस्तांतरित किया है। और इससे भी बड़ी मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं कि दिसम्बर, 2017 तक हमने टारगेट लिया है और हम उसको पूरा करेंगें कि नोएडा में 14,500 और ग्रेटर नोएडा में 21,553 यह बहुत बड़ी संख्या है और यमुना एक्सप्रेस–वे पर 4063 ऐसे भू–खण्डों को भवनों को हम स्थानांतरित कर देंगे जिससे लगातार परेशानी के कारण घूमने वाले लोगों को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं और संरक्षण इसलिये भी चाहता हूं कि हम अभी चर्चा में सुन रहे थे कि हमने साइकिल चला चलाकर प्रदेश का विकास किया। साइकिल तो चली, पहिया तो खूब घूमा, खूब तेज पहिया चला पर गारन्टी के साथ कह सकता हूं साइकिल स्टैन्ड पर खड़ी थी। स्टैन्ड पर खड़ी साइकिल का पहिया घुमाते रहे। पहिये की स्पीड तो दिखती रही पर साइकिल कहीं चली नहीं। विकास के रास्ते पर प्रदेश में पूरी तरह शून्य काम था और मैं बधाई देना चाहता हूं कि नई औद्योगिक नीति के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे मंत्री समूह ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार सरलीकरण के साथ। सरलीकरण के साथ नई औद्योगिक नीति दी है। मैं

एक सूचना और बड़ी महत्वपूर्ण देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का औद्योगिक क्षेत्र है वह प्रापर्टी डीलिंग का धंधा बन गया था। आपने भू–खण्ड का आवंटन कराया और 15–15 साल तक आपने तय कर लिया भू–खण्ड पड़ा है आपने उद्योग लगाया नहीं। हस्तांतरित होता रहा। हम लोगों ने एक नया बिन्दु तय किया है यदि किसी को अपने भू–खण्ड का ट्रांसफर कराना है तो वह 30 अगस्त तक करा ले। यदि 30 अगस्त तक ट्रांसफर नहीं होगा और उद्योग लगाने में रूचि नहीं होगी तो ऐसे लोगों कि निश्चित रूप से जो भू–खण्ड हम लोगों ने दिया है उद्योग के लिये, हम उसकी डीड को कैंसिल कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा–

यह औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिये एक बड़ा कदम है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उद्योग को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार की योजना, जिस प्रकार की नीति लेकर आये हैं, मैं अभिनन्दन करता हुआ, केवल एक सूचना के साथ कि अभी औद्योगिक निवेश के मामले में ऐसे बहुत लोग हैं। उधर से जब एक दिन महाना जी बोल रहे थे तो टीका–टोकी आई थी कि पहले भी बहुत से लोग आये थे। लोग पहले आये थे, जो 2 हजार करोड़ के निवेश की योजना लेकर आये थे वह चक्कर काटकर वापस चले गये थे। 100 दिन की सरकार की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो 2 हजार करोड़ रुपये निवेश करने के लिये आये थे 3 साल तक चक्कर काटने के बाद वापस चले गये थे 100 दिन की सरकार की विश्वसनीयता का प्रमाण यह है कि उन्होंने नोएडा में 5 हजार करोड़ रुपया निवेश किया है। मैं आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,41,37,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये , लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,48,77,87,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

महोदय, आय व्यय की अनुदान संख्या–11 में लघु सीमान्त कृषकों के फसली ऋण की माफी के लिये 32,399 करोड़ रुपये स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना के लिए 10 करोड़ 41 लाख 60 हजार रुपये, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए रुपये 19 लाख 56 हजार 628 करोड़ रुपये, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये, प्रदेश के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। (मेजें थपथपाईं गईं)।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के भीतर वैदिक काल से खेती चली आ रही है और उत्तर प्रदेश की 70 फीसदी से ज्यादा आबादी आज भी कृषि पर आधारित है। लेकिन विगत वर्षो के भीतर उत्तर प्रदेश की बहुत दयनीय स्थिति रही और जिसकी वजह से आज मैं देख रहा हूं विपक्ष को, जो इतने बड़े आकार का बजट आया कृषि क्षेत्र का, 67 हजार 682.61 करोड़ का प्राविधान कृषि क्षेत्र के भीतर किया गया है। गत वर्ष यह 27 हजार 971 करोड़ का प्राविधान था अबकी बार का अन्तर है जितना उन्होंने बजट रखा था उससे भी यह सवा गुना से ज्यादा 37 हजार 7970 से अधिक है। श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि इसी हताशा और निराशा की वजह से, आज पूरा विपक्ष इतने बड़े आकार का जो कृषि बजट आया है जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन है कि 2022 तक आमदनी को दुगुना किया जाना, 2022 में देश की हीरक जयन्ती मनाई जाने वाली है, 75वां वर्षगांठ होगा और प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा कि 2022 तक, देश के लोगों की आमदनी दुगुनी बढ़े और उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है और उत्तर प्रदेश के भीतर 68 फीसदी से ज्यादा किसान खेती पर बिल्कुल निर्भर रहता है और उसकी उसी से आजीविका चलती है। उसकी स्थिति विगत वर्षों में बहुत दयनीय हो गई है। यह सरकार के भीतर थे तो इनको न तो सैफई महोत्सव से फुर्सत थी, जब जरूरत पड़ती थी, कोई हाथी लगाने में व्यस्त था कोई साइकिल लगाने में व्यस्त था, और इस वजह से किसानों का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। प्रदेश के भीतर भंयकर सूखा पड़ा, प्रदेश के अन्दर अति वृष्टि की वजह से किसानों की फसलों पर मार गिरी, और दैवी आपदा आने पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी विदेश यात्रा पर जाने वाले थे लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करके 640 रुपये तात्कालिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश को भेजे थे ताकि किसानों को राहत मिल सके। लेकिन यह उस पैसे को भी समय से खर्चा नहीं कर सके और उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय और दयनीय हो गई और इनके पिछले पॉच साल के कार्यकाल के भीतर जब यह सरकार के भीतर आए थे तो 16 हजार 100 रुपये की आमदनी 2012–13 वित्तीय वर्ष में थी और जब यह छोड़कर गए है। तो यह 2,300 पर छोड़कर गए हैं और एक तरीके से कृषि क्षेत्र की आमदनी पूरी स्थिर हो गई थी और ऐसी विकट परिस्थितियों के भीतर उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था वह इंतजार कर रहा था कि कोई भागीरथ आएगा जो मान्धाता के पुत्रों का उद्धार और कल्याण करेगा। इसी तरीके से हमारे प्रदेश का किसान इंतजार कर रहा था कोई भागीरथ आने वाले हैं और योगी जी के रूप में एक भागीरथ आए और पहली कैबिनेट के भीतर बिना किसी विलम्ब के किसानों के हित में 36 हजार करोड़ रुपये के ऋण मोचन

का जो फैसला लिया यह अपने में एक अत्यन्त ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। (मेंजें थपथपाई गईं)।

यह कृषि और किसानों के उन्नयन के लिए किया गया है उनके ऊपर जो आर्थिक बोझ था उसको समाप्त किए जाने के लिए किया गया है और हम लोगों ने वह प्रक्रिया नहीं अपनाई है कि कई वर्षों तक यह ऋण मोचन के कार्यक्रम को हम चलाते रहेंगे। हमने यह तय किया है कि हम लोग इसी साल यह व्यवस्था करेंगे इसीलिए बजट में प्राविधान किया हुआ है कि किसानों को फौरन राहत मिलेगी। एक बेहतर मौका मिलेगा और बेहतर मौका मिलने की वजह से कृषि उत्पादन को बढ़ाने की उनके अन्दर क्षमता पैदा होगी आज अगर हमें आमदनी को दोगुना करना है तो कृषि की लागत को घटाना होगा हमको उपज को बढ़ाना होगा और उपज को बढ़ाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के किसानों ने अच्छा प्रयास किया है उनके प्रयास में कमी नहीं रही है लेकिन तत्कालीन सपा सरकार की अव्यवस्था थी। न यह समय पर खाद दे पाते थे न समय पर बीज दे पाते थे न समय पर यह पानी दे पाते थे न यह बिजली दे पाते थे सैफई और नाच गानों से इनको फुर्सत रहती तब तो किसानों की ओर ध्यान दे पाते। उनको उससे फुर्सत नहीं थी उसकी वजह से उत्तर प्रदेश का किसान दुर्दशा का शिकार हुआ आज सरकार बदली है सरकार बदलने के बाद हम लोग लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे है कृषि क्षेत्र की आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से लागत को घटाए जाने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम चाहे वह आर0के0वाई हो एन0एफ0एस0एम0 की योजना हो चाहे वह बी0जी0आर0आई0 हो उनके माध्यम से किसानों को सही मदद समय पर देकर उनको बढ़िया बीज उपलब्ध कराकर उनको अनुदान देकर हम गेहूं और चावल के 10 साल के नीचे की प्रजाति के बीजों पर हम 1400 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं हम दलहन और तिलहन के बीज पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रहे हैं हम कृषि उपकरणों के ऊपर भी 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रहे हैं। जिससे किसान वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक तरीके से खेती को करेगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। इन्होंने जो प्रदेश की हालत बनाकर रखी थी उस पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था किसानों के संदर्भ में उसकी बदतर स्थिति इन्होंने बनाकर छोड़ी । चाहे जेठ हो या पूस किसानों को आराम नहीं है। छूटे कभी बैलों का संग ऐसा कोई याम नहीं है मुंह में जीभ शक्ति भुजा में जीवन में सुख का नाम नहीं है। बसन्त कहॉ सूखी रोटी भी मिलती सुबह शाम नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की 46 फीसदी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई और आज उनको ऊपर उठाने का विकास को गति देने का उनके आर्थिक संसाधन को खड़ा करने की दृष्टि से हम लोगों ने अपने सभी कार्यक्रम चालू किए हैं।

हमारे पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष है पंडित जी कहते थे केवल नारेबाजी से कोई काम नहीं चलेगा दरिद्र नारायण पीड़ित व शोषित मानव के उद्धार के लिए हमें सतत प्रयास करना होगा और एक उत्तम समाज की रचना विकसित करनी होगी। हमारा उद्देश्य समाज के अन्तिम व्यक्ति को विकास की गति प्रदान करना होना चाहिए सुशासन से ही अन्त्योदय आता है। यह भारतीय जनता पार्टी की एन0डी0ए0 की सरकार योगी जी की सरकार यह सुशासन और पारदर्शिता के प्रति समर्पित है। गरीब और किसान के लिए समर्पित है गांव के लिए समर्पित है इसलिए

हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को जो कृषि क्षेत्र के भीतर गति दे सकें उनको हम लोगों ने प्रारम्भ किया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने दलहल, रवी और खरीफ की फसलों पर 50 प्रतिशत तक अधिकतम अनुदान देने की व्यवस्था की है। यह जो अनुदान हम दे रहे हैं इस अनुदान में पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था कदाचार होता था जो अनुदान किसान के खाते में जाना चाहिए था वह किसान को नहीं मिलता था पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत डी0वी0टी0के माध्यम से हम सीधे किसान के खाते में उस पैसे को भेज रहे हैं जिससे कोई बिचौलिया या कर्मचारी किसान के हिस्से और हक को मार न सके। हमने पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की व्यवस्था की है। वर्ष 2017–18 में 56.64 क्वी0 बीज वितरण का लक्ष्य है। जिसमें खरीफ के फसलों 11 लाख 04 हजार क्वी0 तथा रवी 44.60 लाख क्वी0 प्रस्तावित है। खरीफ में 21 लाख 91 हजार मी0 टन की पूरे खरीफ के भीतर जरूरत होगी हमने 12 लाख 33 हजार मी0 टन आज जिलों में उपलब्ध करा रखा है। डी0ए0पी0 और एन0पी0के0 में रवी के समय तक आवश्यकता होगी उसका भी भण्डारण अभी से शुरू कर दिया है 9 लाख 51 हजार मी0टन हम लोगों ने डी0ए0पी0 का भण्डारण करके किसानों को हर समय खाद उपलब्ध हो सके उसकी व्यवस्था कर दी है। सपा सरकार की तरह उनको लाठियॉ न सहनी पड़ें पुलिस के डण्डे उनके ऊपर न पड़ें यह हम लोगों ने इंतजाम किया है।मैं बताना चाहता हूं और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी खाद और बीज का संकट पैदा नहीं होने दिया जायेगा। इसी तरीके से कीटनाशकों के लिये 18 हजार 140 मीट्रिक टन कीटनाशक 50 परसेंट से लेकर 75 परसेंट तक की सब्सिडी पर देने की व्यवस्था की गयी है जिसका सीधा लाभ सीमान्त और लघु किसानों को मिलने वाला है। मान्यवर, स्वॉयल हेल्थ कार्ड मा0 प्रधानमंत्री जी की एक फ्लैक्सी योजना है और इस योजना को भी इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। हमारी सरकार आने के पश्चात् हम लोगों ने अभी तक लगभग 06 लाख मृदा सैम्पल्स का परीक्षण कराया है और 18 लाख से ज्यादा कार्ड वितरित करने का प्रयास किया है। इन सारी चीजों की जानकारी चाहे वह वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से खेती कैसे की जाए, इसके लिये एक पूरा अभियान हमनें इस साल चलाया है और विकास खण्ड के स्तर तक खरीफ की गोष्ठियॉ आयोजित कराई हैं। यहांपर कृषि विज्ञान केन्द्र और विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक भी गये, यहां पर हमारे कृषि विभाग के अधिकारी भी पहुँचे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सदन के लगभग सवा दो सौ से ज्यादा सदस्यों ने अपने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर खरीफ की गोष्ठियों में शामिल हो करके किसानों का मनोबल भी बढ़ाने का काम किया है और साथ ही साथ उनको उत्साहित करने का भी काम किया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वॉयल हेल्थ कार्ड नितान्त आवश्यक है। प्रदेश के भीतर रासायनिक खाद इस्तेमाल किये जाने से जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही थी, उत्पादन भी धीरे–धीरे प्रभावित हो रहा था। उसके लिये आवश्यक है कि हम संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों को इस्तेमाल करें, इसलिये हम लोगों ने यह तय किया है कि जो फर्स्ट शेड्यूल था जिस काम को विगत मई, 31 तक पूरा हो जाना चाहिये था वह पूरा नहीं हो पाया

तो हमनें यह तय किया है कि इस दिसम्बर तक छह महीने के भीतर सारे पेण्डिंग काम को पूरा करेंगे।

हमनें यह निर्णय किया है कि एक साल के भीतर उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 33 लाख किसानों के हाथों में हम स्वॉयल हेल्थ कार्ड देंगे। पहले यह स्वॉयल हेल्थ कार्ड हाथों से लिखकर के देते थे। इस बार हमनें बहुत अच्छे तरीके से उसी खर्च में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के लिमिनेटेड (रंगीन) स्वॉयल हेल्थ कार्ड बनवाया है और आपके सामने मैं वह प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब इस प्रकार का स्वॉयल हेल्थ कार्ड दिया जायेगा जिसमें सभी 12 सूक्ष्म तत्वों का विवरण भी होगा और साथ में वह कितनी मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में जैविक खाद का इस्तेमाल करें, इसका भी उसमें उल्लेख होगा। इससे किसानों को रासायनिक खादों पर जो पूंजी लगानी पड़ती थी वह पूंजी कम लगानी पड़ेगी, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम होगा और साथ–साथ जैविक खादों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसीलिये हम लोगों ने वर्मीकल्चर के लिये अलग से व्यवस्था की है। प्रदेश के लगभग 87000 से ज्यादा राजस्व ग्रामों में इस साल हम लोग हर गॉव के भीतर एक वर्मीकल्चर का प्राविधान कर रहे हैं, जिससे धीरे–धीरे जैविक खादों की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। परम्परागत खेती हमारे देश के भीतर धीरे–धीरे कम होती जा रही है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गयी थी। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वर्षा न होने की वजह से प्रदेश के भीतर बहुत सारी कठिनाईयॉ थीं और इस नाते जैविक खेती को भी प्रोत्साहन दिये जाने का कार्य हमारी सरकार की ओर से प्रारम्भ किया गया है। बुन्देलखंड सहित 15 जिलों में 50 एकड़ के 575 क्लस्टर बनाये गये हैं, जहॉ क्लस्टर में शामिल किसानों को तीन वर्षों के भीतर 14 लाख 95 हजार रूपये का अनुदान देकर के जैविक खेती की ओर उनको प्रोत्साहित किया जायेगा। आज दुनिया के देशों में आर्गेनिक फसलों की डिमाण्ड बढ़ी है और उसकी प्रतिपूर्ति हो सके, इसके लिये इस साल हम लोगों ने झांसी में एक विपणन केन्द्र भी खोलने का प्रस्ताव किया है कि झांसी के भीतर विपणन केन्द्र खोला जायेगा और बुन्देलखंड के हमीरपुर के 7 विकास खण्डों को प्राथमिकता के आधार पर उसमें पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और भी जनपदों को उसके अन्दर शामिल करें। हमारे जो डार्क जोन के जनपद हैं उनको भी शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र के भीतर मिर्जापुर मण्डल के भी जनपदों को हम शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैविक खेती पर भी इस सरकार का बल होगा। आप जानते हैं कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से नाना प्रकार की बीमारियॉ पैदा हो रही हैं। हमारे प्रदेश का नागरिक अस्वस्थ हो रहा है इसलिये हम उसे जैविक खादों का इस्तेमाल करके जैविक आधार पर खेती को प्रोत्साहित करके उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने की दृष्टि से भी हम काम करेंगे। मान्यवर, अभी हमने स्वायल हेल्थ कार्ड के बारे में आपसे चर्चा की है। इस बार हम तेतालिस 'डबल एस' प्रयोगशालायें लगाये जा रहे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि इतनी कम अवधि में चार महीने के भीतर 25 जिलों के भीतर हमारी 'डबल एस' प्रयोगशालाओं ने काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिये हमने जो लक्ष्य रखा है दिसम्बर का और मार्च तक के सेकेण्ड शियूडूल का उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकेंगे।

मान्यवर, पर ड्राप0 और मोर क्राप यह प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसीलिये स्प्रिन्कलर सिंचाई और टपक प्रणाली से सिंचाई करने के लिए भी इस साल बजट में एक अच्छा प्राविधान किया गया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी इजराइल गये थे और स्प्रिन्कलर सिंचाई और वहां के सिंचाई के अन्य साधनों के बारे में जो अपने देश के भीतर भी इस्तेमाल हो इसके लिए वह एम0ओ0यू0 भी करके आये हैं। इजराइल जिसकी हमसे भी विषम परिस्थितियां हैं, जिसकी हमारे बुन्देलखण्ड जैसी परिस्थितियां हैं, वह कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे की ओर बढ़ा है और उस एम0ओ0यू0 का फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होने वाला है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने जो बिजली की दुर्दशा कर रखी थी, नहरों की दुर्दशा कर रखी थी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता था। जब ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती थी तब बिजली नहीं मिल पाती थी। हम लोगो ने अब दस हजार फोटोवोल्टाईक सोलर पम्पों को लगाने की योजना प्रस्तावित की है। हम इस पर लगभग 150 करोड़ रूपया खर्चा करने वाले हैं। अभी तक पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 6500 के करीब सोलर पम्प लगे थे और इस साल अकेले 10000 से ज्यादा सोलर पम्प हम उत्तर प्रदेश में लगाने वाले हैं। दो से तीन हार्स पावर के सोलर पम्प पर सत्तर परसेण्ट का अनुदान दिया जायेगा और पांच हार्स पावर के सोलर पम्प पर चालीस परसेण्ट का अनुदान दिया जायेगा। यह जितनी भी योजनायें हैं, इनकी हमारे यहां पर प्रथम आगत और प्रथम निर्गत के आधार पर आनलाइन बुकिंग हो रही है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि अपने क्षेत्रों में जहां पर किसानों को आवश्यकता हो अभी से उन्हें सचेत करे और उनको फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व के सिद्धान्त के आधार पर आनलाइन आवेदन करने के लिए उत्साहित करें जिससे आपके जनपदों में, आपके क्षेत्रों में लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने हर खेत को पानी मिले, प्रति बूंद पर ड्राप मोर क्राप पर काफी बल दिया है। उस दृष्टि से भी हमारे यहां पर प्रयास किया गया है। खेत–तालाब योजना के माध्यम से वर्षा ऋतु के समय और खासकर बुन्देलखण्ड के भीतर, मिर्जापुर मण्डल के भीतर हम लोगों ने 2000 से अधिक तालाब खुदवाये हैं। 3384 खेत तालाब इस साल प्रदेश में खोदने की योजना बनाई है। हमने लक्ष्य रखा कि हम 15 जून के पहले एक हजार खेत तालाब बुन्देलखण्ड में बनवा देंगे। मुझे आपको बताने में यह प्रसन्नता हो रही है कि बुन्देलखण्ड में इस चार महीने की अवधि में 2300 से ज्यादा तालाब खोदे गये हैं। यह जो वर्षा ऋतु का पानी है तो उसका एक–एक बूंद इकट्ठा होकर वहां के जल स्तर को भी बढ़ायेगा और साथ–साथ सिंचाई के साधनों में भी उसका उपयोग हो सकेगा। इसलिये आपके माध्यम से हमने माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना उचित समझा है। नाबार्ड के माध्यम से भी हम बीहड़, बंजर, ऊसर सुधार के अनेक कार्यक्रमों को चला रहे हैं। वहां पर भी बहु फसलों को लगाया जाये, उस दृष्टि से भी काम प्रारम्भ किया है। वर्षा जल का संरक्षण तथा भूजल के भण्डार में भी वृद्धि करना हम लोगों का लक्ष्य है। आई0आर0डी0एफ0–23 योजना के माध्यम से हम अनेक जनपदों के भीतर इस काम को प्रारम्भ करेंगे। इस साल उसी योजना को और शक्ति दिए जाने के लिए पण्डित दीन दयाल उपाध्याय कृषि समृद्ध योजना भी हम लोगों ने

लागू की है। श्रीमन्, बुंदेलखण्ड के अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं है। बुंदेलखण्ड को छोड़कर शेष जनपदों के भीतर यह योजना काम करेगी। मान्यवर, मैंने जैविक खेती के बारे में आपको जानकारी दी है और जैविक खेती की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग आगे आने वाले दिनों में चलाने वाले हैं, जिससे कि उ0प्र0 के बुंदेलखण्ड, मिर्जापुर, पूर्वी उ0प्र0 और जो डार्क जोन के हमारे जनपद हैं उसमें कृषि का उत्पादन हम बढ़ा सकें। मान्यवर, पारदर्शी किसानों की योजना के अंतर्गत ऑनलाईन किसानों का पंजीकरण कराया जा रहा है और अब तक एक करोड़ इक्कीस लाख किसानों का पंजीकरण विकास खण्डों के माध्यम से, विकास खण्डों पर कृषि विभाग का आदमी बैठा है और जो भी किसान जाता उसका पंजीकरण हो रहा है। मान्यवर, लगभग दस से बारह हजार किसानों का पंजीकरण निरंतर हो रहा है। अभी जो ऋण मोचन योजना आई है उसमें आधार कार्ड से जोड़ने का काम भी चल रहा है और जितनी भी आगे आने वाली योजनाएं हैं वह आधार कार्ड से लिंक होंगी, इसलिए किसानों में इस बात की भी जागरूकता पैदा की जा रही है कि वह ऑनलाईन अपने आधार कार्ड को खाते से लिंक करा लें।

मान्यवर, कृषि सूचना तंत्र की दृष्टि से भी काम हो रहा है। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय थे उनकी दशा बहुत शोचनीय और चिंतनीय रही है। अनेक वर्षों से वहां पर शैक्षिणक स्टॉफ न होने के नाते वहां खातों की संख्या घट रही जिसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले विधान सभा में आपको बताने की कोशिश की थी। सरकार ने यह तय किया है कि जितने भी रिक्त पद हैं उसमें अधिकांश शीघ्रता के साथ शैक्षिणक पद भरे जायें। जिससे हमारे जो लोग कृषि से स्नातक हैं और पी0जी0 के स्नातक हैं या रिसर्च के स्कालर हैं उनका आकर्षण कृषि के भीतर बढ़ सके। मान्यवर, तीन वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र के लिए केंद्र सरकार जमीन पूर्ववर्ती सरकार से मांग रही थी। कृषि अनुसंधान परिषद् बार–बार अनुरोध कर रहा था कि हमें 20 जनपदों में नये कृषि विज्ञान केंद्र खोलना है। आप उसके लिए जमीन हमको उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन उस पर भी इन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। मान्यवर, हम लोगों की सरकार ने आने के बाद चार महीने के भीतर हमने 20 जनपदों से भूमि प्रस्ताव मंगाकर के कृषि अनुसंधान परिषद् को भेजा और पंद्रह कृषि विज्ञान खोले जाने पर उन्होंने सहमति प्रदान कर दिया है। उनकी सहमति के और औपचारिक कार्यवाही पूरी होने के बाद मान्यवर, जल्दी ही कृषि विज्ञान केंद प्रदेश के भीतर संचालित होने वाले हैं। मान्यवर, सन 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए हम विपणन व्यवस्था को भी हमारे विपणन मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो कि इस दिशा में सचेष्ट हैं। मान्यवर, 100 मंडियों को ई–मंडियों से जोड़ा जा रहा है उनको कम्प्यूटराइज किया जा रहा है। जिससे ऑनलाईन उनका सारा क्वालिटी परीक्षण हो जायेगा और एक आधुनिक व्यवस्था करके प्रदेश की सभी मंडियों को एक–दूसरे के साथ जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है।

एग्रीजंक्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सरकार जो कृषि स्नातक है या जो पी.जी., एम.एस.सी. के कृषि स्नातक हैं उनको एग्रीजंक्शन के माध्यम से हम स्वरोजगार प्रदान कर रहे हैं। इस साल एक हजार एग्रीजंक्शन के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया है जिसक कारण जो युवा बेरोजगार हैं वह एक छत के नीचे

सभी सामग्री बेच सके इसके लिए उनको खाद्य का, बीज का, कीटनाशक का और इसके साथ और अन्य सुविधाएं भी हम उनको देंगे। मान्यवर, तीन साल तक हम उनको सब्सीडी प्रदान करेंगे। हम उनको पांच प्रतिशत सब्सीडी या 50 हजार रूपये की सीमा तक देंगे और एक वर्ष का दुकान का किराया 1 हजार रुपया प्रतिमाह देकर के हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मान्यवर, कृषि का क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बिना कृषि की आमदनी को बढ़ाये हुए उ0प्र0 का विकास नहीं हो सकता है और उसके लिए हमारी सरकार निरंतर सतत् प्रगतिशील है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने गेहूं की खरीददारी, कराई आलू की खरीददारी की और आलू के किसानों को जो प्रदेश के भीतर तीन सौ किलोमीटर दूर ले जाने पर किराये में 25ः की सब्सीडी मंडी शुल्क को माफ किये जाने का फैसला किया है उससे आलू किसानों को भारी राहत मिलेगी।

योगी जी सरकार के इन फैसलों से इससे किसानों में खेती के लिए उत्साह होगा। यह उत्साह और आगे की ओर बढ़ेगा। गेहूं की जो रिकार्ड खरीद की गयी है मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद और बधायी देना चाहता हूं। जिनके फैसलों से किसानों के भीतर एक आशा और विश्वास जगा है जो खेती के प्रति निराशा पैदा हो रही थी आज वह आशा में बंधी है। सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। यह विश्वास निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य रखा गया है कृषि क्षेत्र का 5.1 प्रतिशत विकास दर को बढ़ाने का है हम उसको प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने के अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री हर्षवर्धन जी। मा0 सदस्य 4–4 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

'श्री हर्षवर्धन बाजपेयी–

नमस्कार मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार जो ऐतिहासिक कम्पनसेशन किसानों को दिया जा रहा है और उसके साथ–साथ जो 36 हजार करोड़ के करीब ऋण माफी किसानों की जा रही है। यह इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने बहुत बार यह बात कही थी कि हमारे यहॉ उत्तर प्रदेश में जो एक कृषि प्रधान स्टेट है वहां पर एक बहुत अच्छा तरीका है एग्रीकल्चरल इनकम और इकोनामिक ग्रोथ को बढ़ाने का, कि किसानों के हाथ में डायरेक्ट पैसा उपलब्ध कराया जाये। मैं अर्थशास्त्र के प्वाइंट आफ व्यू से इसको देखना चाहता हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं डिमांड साइड इकोनामिक्स या इनीशियन इकोनामिक्स और दूसरा होता है कि जो सरकारें पैसा छापकर और बाण्ड खरीदकर पैसे भारी मात्रा में सप्लाई साइड अर्थव्यवस्था बढ़ा देती है। नोट की संख्या मार्केट में बढ़ा देती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सप्लाई साइड जो इकानामिक्स का एक बहुत बढ़िया तरीका है। और इससे भारी मात्रा में किसानों के हाथ में जो पैसे आयेंगे उससे हमें अर्थव्यवस्था ऊपर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाते हुए दिखेगी। और इसको आने वाले क्वार्टर में दो रूप से हम लोग देख पायेंगे। जब कृषि के हाथ में खुशहाली बढ़ती है पैसा आता है तो उससे टू व्हीलर सेल्स या अर्थशास्त्र में हम लोग इसको एक मानक रखते हैं कि टू व्हीलर सेल्स और एफ0एम0सी0जी0 सेल्स। पारले जी, टूथपेस्ट इत्यादि की सेल्स बढ़ती है। तो आने वाले क्वार्टर में आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में टू व्हीलर की सेल्स और एफ0एम0सी0जी0 की सेल्स बढ़ रही हैं और यह इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च बहुत वर्षों से यह बात कह रही थी और मैं मा0 मंत्री जी को, मा0 मुख्य मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस लांग पेंडिंग डिमाण्ड को पूरा किया और किसान के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जिस तरीके से उसका ऋणमाफी का काम कर रहे हैं इससे करप्शन भी कम होगा और किसानों में खुशहाली आएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं काश्तकारी के बैकग्राउंड से तो नहीं हूं लेकिन मैं इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर हूँ और मेरी इंडस्ट्री इत्तेफाक से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही है। और साथ में मैं इंजीनियर हूं। तो टेक्निकल मामले भी मैं कुछ समझता हूं। तो इसलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की प्राब्लम को वहां पर काम करते हुए मैंने बहुत दिन से समझा है। बुन्देलखण्ड का आप जानते हैं कि वहां पर पानी की शार्टेज है। ऐसे और भी क्षेत्र हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी की जो समस्या है इसका लांग टर्म सोल्यूशन वही है जो श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने दिया था और जिसके लिए इस बजट में प्राविधान है। श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के समय में यह तय हुआ था कि 20 हिमालयन नदियों को जोड़ने का प्राविधान होगा और 20 जो सडन तेनेंसुलर नदिया हैं उनको जोड़ने का प्राविधान होगा। उसमें एक छोटी सी शुरूआत इस बजट में की गयी है, वह है केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का, इससे बुन्देलखण्ड में डायरेक्ट जल की आपूर्ति होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर हम लोग देखें तो जब असम इत्यादि जो कछारी, जो नेपाल से जुड़े क्षेत्र हैं, वहां पर जब बाढ़ की स्थिति आती है, तब बुन्देलखण्ड जैसे एरिया में सूखा रहता है तो मेरा कहना यह है कि लॉग टर्म में जैसे केन–बेहवा को जोड़ा जा रहा है, उस तरीके से बाकी की नदियों को जोड़कर हम लोग यह स्थिति बनाये कि एक्सेस वाटर नार्दन एरिया से जो हमारी हिमालयन रीजन हैं वहां से, तराई के एरिया से बुन्देलखण्ड तक हम लोग वॉटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। इससे दो फायदे होंगे, एक जो मेन प्राब्लम है किसानों की, उर्वरक की प्राब्लम है, बीज उपलब्धि की प्राब्लम है और हमारे पास इजरायल जैसी टेक्नॉलाजी अभी नहीं है, जिसके लिए मंत्री जी ने कहा कि इजरायल से स्प्रिंकलर इत्यादि लायेंगे क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, इजरायल खुद एक डिजर्ट एरिया है, 70 परसेण्ट इजरायल डिजर्ट एरिया है तो उनसे हम यह सब टेक्नॉलाजी लायेंगे लेकिन सबसे बड़ी जो हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं, वह है नदियों को इण्टरलिंक करके क्योंकि भारी मात्रा में जो हमारे मानसून का पानी है, आज भी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। अगर हम रिवर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो एक तो यह प्राब्लम साल्व होगी और एक जिस पर हम लोग दो दिन से डिवेट कर रहे थे, जो बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या इसीलिए होती है, क्योंकि पानी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जो बाढ़ में भारी मात्रा में जान–माल का नुकसान होता है, यहॉ तक कि मेरे शहरी क्षेत्र में भी

जान–माल का नुकसान होता है, बाढ़ की वजह से, वह सारा नुकसान भी खत्म हो जायेगा और जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जो माननीय मोदी जी का टारगेट है कि हमें एग्रीकल्चरल इन्कम को डबल करना है, वह टारगेट भी पूरा हो सकेगा, बहुत–बहुत धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष ने श्री रमा शंकर सिंह का नाम पुकारा लेकिन श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह कुछ बोलने के लिए खड़े हो गए)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती)–

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि माननीय मंत्रीगण जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन कटौती प्रस्ताव रखने के लिए कोई है नहीं तो जो हमारे विभाग का विचार है, वह हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें लिखित रूप में, आप स्वीकार कर लें और कार्यवाही का भाग हो जाये, विषय भी आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री तो बोलेंगे यही है न आपका कहना ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती–

मान्यवर, जैसे वह कोई सुझाव देना चाहते हैं, समर्थन में, वह लिखित आ जायेगा और कार्यवाही का भाग हो जायेगा, समय बच जायेगा, यह हमारा कहना है।

भारत के नव निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, आज हमारा सोचना यह है, आज राष्ट्रपति महोदय का चुनाव भी था, हम काउन्टिंग का इन्तजार कर रहे थे कि ढाई बजे तक अगर वह आ जाता है, ढाई बजे तक चला लें तो कम से कम इस सदन के माध्यम से क्योंकि उत्तर प्रदेश के हम ही सब लोगों ने वोट देकर उनको राष्ट्रपति बनवाया। चूँकि वह उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सदन में उनके सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी आ जाता। बधाई का प्रस्ताव सदन की तरफ से पास हो जाये। (मेजें थपथपाई गई) और ढाई बजे तक यह समाप्त कर लें, मान्यवर। लेकिन आप जैसा चाहें, हमें कोई दिक्कत नहीं हैं।

(सत्तापक्ष की तरफ से किसी माननीय विधायक ने कहा कि मान्यवर, आज दावत भी थी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आपकी दावत का पूरा ख्याल रखा गया है।

श्री अध्यक्ष–

अगर सभी माननीय मंत्रियों ने दावत दी है तो एक दिन में चार–चार जगह कैसे खाया जायेगा? (हँसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आज व्यवस्था है, जो विभाग हैं, उनकी तरफ से कैफेटेरिया में भोजन की व्यवस्था भी है लेकिन सब लोग एक साथ न जायें कि हमें ढूँढ़ना पड़े कि कोरम पूरा नहीं है। एक साथ न जायें, ढाई बजे के बाद ही जायें और तब तक मैं सोचता हूं कि काउन्टिंग का रिजल्ट भी आ जायेगा और चूँकि अब तो विपक्ष जिसको यहाँ बैठना चाहिए था, जैसा कि आपने भी कहा था कि सदन का इलाज सदन है, सदन का इलाज, सड़क नहीं है। तो इन लोगों ने वह नजरिया अपनाया, हम लोगों ने भी

संघर्ष किया लगातार वर्षों तक, बीसों साल तक हम विपक्ष में रहे, लेकिन यह तो तरीका ठीक नहीं है। बहरहाल अपोजीशन अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, हम तो पूरी कोशिश करेंगे अपनी जिम्मेदारी निभायें और सभी हमारे मा0 मंत्रीगण अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

ख1.45, वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

कुछ सुझाव देना चाहते हैं ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, सुझाव सिर्फ यह है कि कम से कम ढाई बजे तक तो हाऊस चलायें, उसके बाद देखा जायेगा और ये जो मा0 मोती सिंह जी ने कहा है कि भई जितने लोग अगर कोई सुझाव देना चाहें तो वह लिखित रूप में भी दे सकते हैं, वह कार्यवाही का भाग बन जायेगा, यह उचित है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 रमाशंकर जी दो–तीन मिनट में अपनी बात कह लीजिए।

श्री रमाशंकर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मा0 कृषि मंत्री जी ने जो बजट रखा है निश्चित रूप से इससे किसान खुशहाल होगा और किसानों की आर्थिक दशा भी सुधरेगी। हम किसान परिवार से हैं, हमारी बहुत ही इच्छा थी कि हम किसान के बजट पर कुछ बोलें, लेकिन मा0 कृषि मंत्री ने नक्सल क्षेत्र में भी जो किसानों की दुर्दशा थी सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, उसके लिए इन्होंने स्प्रिंकलर सेट का भी प्राविधान अच्छी तरह से किया है। किसानों की 36 हजार करोड़ की कर्जमाफी करके किसानों की दशा भी सुधारी है और खाद, बीज, दवा हर चीज पर इन्होंने सबसिडी देते हुए किसानों के बारे में बहुत चिन्ता की है, मैं इनको पुनः बधाई देता हूं और हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से किसान बहुत बेहाल था, लेकिन यह सरकार बनते ही किसानों की प्रमुखता से चिन्ता की है और यह बजट निश्चित रूप से कहना नहीं चाहिए मा0 अध्यक्ष जी कि किसानों की दशा में बहुत बड़ा सुधार होगा और जो खाद–बीज पर सबसिडी दी है, जब किसान अपना धान बेचता है, गेहूं बेचता है, जिस तरह से इस साल रिकार्ड गेहूं की खरीददारी हुई है और धान–गेहूं की खरीददारी के बाद जब किसान, खेती करने की बारी आती है तो कहीं न कहीं किसान के पास पैसा समाप्त हो जाता है, उस स्थिति में किसान खाद, बीज खरीदने के लिए चिन्ता करता है और मा0 कृषि मंत्री ने इसमें बहुत बड़ा प्राविधान किया है छूट का, इसके लिए मैं इनकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं और बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा चूँकि हमारे वरिष्ठ नेता सदन ने जो चिन्ता की है कि ढाई बजे तक सदन समाप्त हो जाय, तो हम लोगों को भी पॉच साल तक सदन में रहना है और किसानों के बीच संघर्ष करते आये हैं और किसानों की जितनी भी समस्यायें थीं, चाहे खाद, बीज हो, चाहे दवा हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे धान, गेहूं कृय केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था हो, हमारे कृषि मंत्री किसान परिवार से हैं, इन्होंने किसानों की पीड़ा का समझा, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, धन्यवाद्।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं, कृपया बैठ जायें।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 03 खरब, 48 अरब, 77 करोड़, 87 लाख, 91 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,03,87,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय, यह सदन से अनुग्रह करता हूं।

मा0 अध्यक्ष जी, हम तो इन लोगों को बताना चाहते थे कि हम किस रास्ते पर चलने जा रहे हैं, प्रदेश को कहॉ ले जाना चाहते हैं लेकिन वे सुनना ही नहीं चाहते हैं। मान्यवर, पं0 दीन दयाल उपाध्याय का बहुत पुराना सपना था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी और 1991 में मुझे जब मा0 कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब याद है कि वह बात करते थे। गॉव, गरीब, किसान, झोपड़ियों के इंसान और बेरोजगार नौजवान। आज हमारा विभाग ऐसा है जैसे

सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर
देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर।

श्री अध्यक्ष–

आपने कितने घाव किए इस बीच।

श्री सत्यदेव पचौरी–

अब विभाग छोटा है लेकिन जन–जन को उद्यमी बनाने के लिए यह सबसे बड़ा विभाग है और इसी विभाग के अन्दर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निर्यात होता है। निर्यात के लिए यदि कोई विभाग है तो हमारा लघु उद्योग विभाग है जिसकी देश में 4.5 परसेण्ट की हिस्सेदारी है निर्यात में और हम 84 हजार करोड़ का निर्यात तकरीबन कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, अपने उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा, युवा मानव शक्ति के कारण देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश करता है। प्रदेश की विशाल जनसंख्या जहॉ प्रदेश को वृहद् उपभोक्ता बाजार बनाती है वहीं युवा मानव शक्ति की ऊर्जा प्रदेश का अग्रणी राज्य बनाने की क्षमता रखती है। इस प्रकार प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु वांछित

समस्त कारक उपलब्ध हैं। मान्यवर, प्रदेश की इस प्रकृति प्रदत्त सम्पदा तथा मानव संसाधन का प्रदेश के आर्थिक विकास में दक्षतम् उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रदेश की युवा मानव शक्ति को औद्योगिक क्षेत्र विशेष कर लूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से जोड़ा जाए। युवाओं के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़ने के कारण जहॉ प्रदेश की आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी, वहीं युवाओं की बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा।

श्री अध्यक्ष–

मा0 पचौरी जी, जो आप करने जा रहे हैं, जो आपका प्लान है, वह बता दीजिए।

श्री सत्यदेव पचौरी–

मान्यवर, इस वर्ष हमारे बजट में प्रावधान किया गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान पर लाया जाए। मान्यवर, रोजगार प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश देश का 5वॉ सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु व उनको रोजगार सृजन के लिए हमने तमाम योजनाएं बनाई हैं। हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र जिसे हम चुनाव में घोषणा पत्र कहते हैं उसमें हमने जनता से कुछ वादे किए थे। जैसे 'विकसित उद्योग और सुगम व्यापार' यह उद्योग की हमारी कल्पना होगी कि उद्योगों को हम बनाएं, छोटे–छोटे क्लस्टर के रूप में बनाएँ। हम बड़े उद्योगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम कुटीर उद्योगों की बात कर रहे हैं। जहॉ कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्प्लॉयमेण्ट/रोजगार मिल सके। हम जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की बात कर रहे हैं। जहॉ न ग्राउण्ड पोल्यूशन होगा, न एयर पोल्यूशन होगा और न वॉटर पोल्यूशन होगा। यानी पोल्यूशन रहित उद्योग अगर कहीं भी स्थापित हो सकते हैं तो एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से हो सकते हैं। हमने इसलिए इस वर्ष जो उद्योग नीति बनी है वह तो बनी है लेकिन अलग से एक औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, जिसमें लघु उद्यम नीति भी सम्मिलित होगी बनाने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम उद्योगों को अपने उद्योग विभाग के माध्यम से, डी0आई0 विभाग के माध्यम से पूरे 75 जिलों में हमारे अधिकारी काम करते हैं और नौजवानों को हम दक्ष भी करते हैं। अगर आप मोमबत्ती बनाने का उद्योग लगाना चाहते हैं तो हम ट्रेण्ड करेंगे, आप अगरबत्ती का लगाना चाहते हैं तो हम ट्रेनिंग देंगे आप धूपबत्ती का लगाना चाहते हैं तो हम ट्रेनिंग देंगे, यानि जिस प्रकार के काम में आपकी रुचि है उस प्रकार के काम के लिए हम आपको शिक्षित भी करेंगे और मुद्रा बैंक के माध्यम से लोन भी दिलाएंगे। इसलिए हमने उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन के केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए इस बजट में प्राविधान किया और हमने उन उद्योगों को कैसे कारपोरेट लुक दिया जाए इसकी भी व्यवस्था की है। इसके लिए हमने बजट में व्यवस्था की है।

मान्यवर, ऑन लाइन आधार मेमोरेन्डम की भी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे है। रूग्ण इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए जो बीमार इकाइयॉ हो गई हैं। 10 करोड़ तक

की हमारे उसमें उद्योग लगाने का पैसा आता है। ऐसी तमाम इकाइयॉ जिनको वातावरण नहीं मिला और उनको प्रोत्साहन नहीं मिला, वह इकाइयॉ बंद हो गई है उनके भी पुनरूद्धार के लिए हम योजना ला रहे हैं। मान्यवर, अब पूरे देश में उद्योगों के लिए कि दुनिया के सामने लघु उद्योग कैसे खड़े हो इसके लिए एक क्लस्टर योजना बनाई गई या एक ही क्लस्टर में कई तरह के एक ही प्रकार के निर्माता अपने–अपने अलग–अलग निर्माण कर सकते हैं जो हमारे बायें–दायें बहार से भी, देशी व विदेशी व एक ही जाकर वह सामान खरीद सकते हैं। मान्यवर, निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने एक प्रोत्साहन नीति भी बनाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पोर्ट से बहुत दूर है। बाहर के मेलों में जो हमारे एक्सपोटर्स हैं जाते हैं उसके लिए हम लोगों ने प्राविधान किया है कि बाहर जो मेलों में जाएंगे तो उसमें सरकार उन्हें अनुदान देगी। हमने यह भी कहा है कि जो पोर्ट से दूर हमारा माल जो निर्यातक भेजते हैं, इसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार उनको सब्सिडी देगी, जिसमें 75 लाख की व्यवस्था हमने की है। मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और हस्त शिल्प एवं गृह उद्योग के व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने के लिए हमारी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इसके माध्यम से हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। जिला उद्योग एवं उद्यान प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा योजना के प्रारम्भिक वर्षों में जो रोजगार की गति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई क्योंकि एम0एस0एम0ई0 वर्ष 2006 में बनी उसके पहले लघु उद्योग थे। उसमें सूक्ष्म भी आ गए, लघु भी आ गए और मध्यम भी आ गए। हस्तशिल्पियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम बार पारम्परिक रोजगारों को जैसे बढ़ई, मोची, कहार, लोहार, सुनार, दर्जी इनको हम तकनीकी सहायता भी देंगे और ऋण भी उपलब्ध कराएंगे ताकि वह अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने गांव में रोजगार के अच्छे अवसर उनको उपलब्ध हो सकें और उनकी जो आर्थिक दशा है, वह ठीक हो सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अब तो हो गया ?

श्री सत्यदेव पचौरी–

मान्यवर, अभी तो दो लोग इतना बोल गए हैं, हमें तो पांच ही मिनट हुए हैं। इन कारागीरों को हम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे। स्थानीय विशिष्ट उद्योग जैसे बुलन्दशहर की चीनी मिट्टी के बर्तन, मेरठ में खेल का सामान, फिरोजाबाद में कांच आदि की इकाइयों को हम ष्विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाष् से जोड़ने जा रहे हैं और इन उद्यमियों को 10 लाख से 50 लाख तक के ऋणों पर सरकार द्वारा 15 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाएगी। यह उद्योग लगाएंगे और 15 प्रतिशत सरकार देगी। मान्यवर, अभी यह बात हो रही थी कि नीति तो है, आप कह रहे थे कि नयी टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है तो हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपने छोटे उद्योग हस्तशिल्प के है, उसके लिए फैशन और डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट चालू करने जा रहे हैं। हम यहां पर जो हस्तशिल्पी हैं उसका एक नया म्यूजियम भी बनाने जा रहे हैं। जो हमारे पुराने हस्तशिल्पी थे, पुरानी चीजे बनाते थे उनको हम संरक्षित करने जा रहे हैं और वह काम

हमारे यहां हो रहा है, हमने शुरू करा दिया है। हमने नया यहां पर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का ऑफिस बनाया है और वहां पर हम प्रदर्शिनियों के माध्यम से जो हस्तशिल्प के हमारे उत्तर प्रदेश के और प्रदेश के बाहर के, उसको हम प्रदर्शनी लगा कर लोगों को बताते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। लखनऊ में एक्सपो मार्ट, नोएडा में क्राफ्ट मार्ट बनाने जा रहे हैं। उसी प्रकार भदोही में हमने कारपेट एक्सपो मार्ट की 179 करोड़ से स्थापना कर दी है। भदोही का निर्यातक स्थली के रूप में हम विकास कर रहे हैं। हस्तशिल्प विकास एवं विपणन प्रोत्साहन निगम द्वारा देश के प्रमुख बाजारों में संचालित गंगोत्री शोरुम बहुत पहले से संचालित थे लेकिन वह रूग्ण अवस्था में पहुंच गए, हम उनके फिर से पुनरुद्धार की योजना बना रहे हैं ताकि वहां पर लोगों को सस्ते दर पर और अच्छी चीजें और उस तरह की चीजें जो उत्तर प्रदेश में उत्पादित होती हैं वह चीजें मिल सकें।

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश में छोटे–छोटे औद्योगिक स्थल बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बना रही है और दोनों फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के बीच से गुजर रही है। हमने उन फ्रेट कॉरिडोर पर अपने लघु उद्योगों की दृष्टि से हम वहां पर क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। यह हमारी प्लानिंग है। जो हमारे औद्योगिक भूखण्ड यू0पी0एस0आई0सी के जो पुराने थे, वह अभी कुछ क्रियाशील हैं, उनको हम क्रियाशील बनाएंगे। निर्यात पुनर्स्थापना में जैसा कि मान्यवर, मैंने कहा कि आज हम अग्रणी हैं। अभी नोएडा में एक एग्जीबिशन निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से हुई थी और उसमें उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर रहा। हम केवल निर्यात में हस्तशिल्प और उत्पादन को बढ़ायें, यही तक नहीं मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश में निर्यात के लिये अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। जैसे यहॉ पर प्रदेश के निर्यातकों को सामान्य सुविधा के रूप में निर्यातकपरक अवस्थापना सुविधाओं यथा टेस्टिंग लैब, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, लेविंग, फलों और सब्जियों का संरक्षण उनको निर्यात योग्य बनाने तक की तकनीक के बल पर उत्पाद मिश्रण जरी के साथ लेदर पीतल व अल्यूमीनियम के साथ गिलास व लकड़ी के विकास हेतु अलग–अलग क्षेत्रों में परियोजनायें प्रारम्भ करने जा रहे हैं। हम यहीं पर लखनऊ में एक अलग से प्राइवेट रूप में एक वेयर हाउस बनाने जा रहे हैं जहॉ पर सब्जियॉ, फल–फूल की पैकेजिंग की जायेगी और हम विदेशों में इनको एक्सपोर्ट करेंगे।

तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह बजट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पहला बजट है लेकिन इसमें यह प्रतिबद्धता है, यह शो कर रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब और किसान का उत्थान चाहते हैं। इस दृष्टि से यह बजट सदन के विचारार्थ सुझाव हेतु और आर्शीवाद हेतु प्रस्तुत है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बहुत सुस्पष्ट अपनी योजनाओं का विस्तार से विवेचन किया है और कोई बिन्दु छूटा नहीं है। इसके बावजूद अगर माननीय सदस्य लिखकर देना चाहते हैं तो 200 शब्दों में मेरे सचिवालय को लिख देंगे तो उसे हम कार्यवाही का भाग बना देंगे और माननीय मंत्री जी को भी लिखकर दे देंगे।

'**श्री शीतल पाण्डेय–**

यहां के लोग बैंकाक, सिंगापुर कमाने जाते हैं क्योंकि यहॉ उद्योगों का अभाव है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिये, परिवार की परवरिश के लिये उनको बाहर जाना पड़ता है। अगर उद्योग धंधा यहॉ होता तो वह बाहर नहीं जाते, हम उस पर बोलना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये तो पहले आपके उद्योग मंत्री और फिर लघु उद्योग मंत्री द्वारा तमाम योजनायें बतायी गयी हैं ।

श्री शीतल पाण्डेय–

आजादी के बाद गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जहॉ के लोग अपनी जवानी को खपाने के लिये, अपने बूढे बाप की दवा के लिये, अपने बच्चों की शिक्षा के लिये, परिवार की परवरिश के लिये बैंकाक, सिंगापुर, बम्बई, कलकत्ता की मिलों में काम करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इस बात से तो आपकी बात का संबंध नहीं है लेकिन आपकी बात सही है ।

श्री शीतल पाण्डेय–

हमारी बात मंत्री जी से संबंधित है। अगर उद्योगों को खेती से नहीं जोड़ा जायेगा, जो हमारे बहुत से रा मैटीरियल पैदा होते हैं, जो डिस्ट्राय हो जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है, अगर खेती से उनको जोड़ दिया जाय क्योंकि आज खेती घाटे का सौदा हो गयी है इसलिये उसे अगर उद्योगों से जोड़ दिया जाय तो पूरे प्रदेश का भला हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत सही कह रहे हैं, आपकी सारी बाते बहुत सही हैं और आदर योग्य हैं, विचारणीय हैं, माने जाने योग्य हैं। इसीलिये आपसे और जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि कार्यवाही का भाग बनाने के लिये लिख कर दें और माननीय मंत्री जी के पास भी लिख कर दें। अब माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सत्यदेव पचौरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर को हम उद्योग के रूप में परिवर्तित करने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं यह हमने अभी उल्लेख किया था। हमने बताया था कि लखनऊ से 05 किमी0 पर हमने एक प्राइवेट कम्पनी को फाइनेंस करके, सरकार देती है 70 प्रतिशत, 20 प्रतिशत उनका होता है और जमीन होती है, उसके बाद वेयर हाउस बनाते हैं, वहां पर मशीनें रहती हैं जहॉ पर सब्जियों का संरक्षण, फलों का संरक्षण फूलों का संरक्षण हम करेंगें । इनको हम करेंगे और सीधे एक्सपोर्ट करायेंगे तब उनको उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा, हम उनको बाजार देंगे, मार्केट देंगे, यह व्यवस्था हमने लखनऊ में तो प्रयोग के तौर पर की है इसको हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में करने जा रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सदस्य श्री मनीष असीजा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष –

आप बजाय विचार व्यक्त करने के स्पष्टीकरण पूछ लीजिए।

'श्री मनीष असीजा –

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए बधाई देता हूं और एक–दो सुझाव देना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी फिरोजाबाद कॉच चूड़ी उद्योग के लिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहॉ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 7 से लेकर 10 लाख लोग कुटीर उद्योग के माध्यम से लघु और मध्यम उद्योगों में कार्यरत् हैं। पूरे जिले की गतिविधियॉ कॉच और चूड़ी उद्योग से सम्पादित होती हैं। मैं यह सुझाव मा0 मंत्री जी को देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने भदोही, लखनऊ और नोएडा के लिए एक्स्पो मार्ट की घोषणा की है, फिरोजाबाद में लगभग 1800 करोड़ रुपए का सीधा–सीधा निर्यात है ग्लास उद्योग में तो वहां अगर एक ग्लास एक्स्पो मार्ट की स्थापना हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में पहले कॉच का उद्योग कोयले से चलता था, पर्यावरण की दृष्टि से मा0 सुप्रीम कोर्ट के 1996 के आदेश के बाद प्राकृतिक गैस से चलता है। वह जो गैस हम लोगों को मिली उससे अचानक से पहले फिरोजाबाद का उद्योग बन्द हुआ, बन्द होने के बाद उसने दोबारा से अपने आपको रि–स्टैब्लिश किया, हमारा दुर्भाग्य हमारे सौभाग्य में बदल गया गैस के कारण से उत्पादों की क्वालिटी और उसका प्रकार इतना अच्छा हो गया कि पूरे भारत और विश्व में ये उत्पाद जाने लगे। फिरोजबाद के अतिरिक्त जो बाहर के बड़े औद्योगिक घराने हैं उन्होंने शिकायतें करके फिरोजाबाद में उद्योगों के विस्तार को और नई इकाइयों को लगाने के लिए रोक सम्बन्धी शिकायतें कीं, शिकायतों पर केन्द्र सरकार से जॉचें हुईं। नीरी की नागपुर की रिपोर्ट कहती है कि फिरोजाबाद का उद्योग इस समय प्रदूषण नहीं फैला रहा है इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार की होता कमेटी ने भी यह स्पष्ट कह दिया कि फिरोजाबाद के उद्योग ग्रीन गैस से चल रहे हैं वहां कोई पर्यावरण की सुरक्षा में खतरा नहीं है। अब हुआ यह कि 7 जनवरी, 2015 से टी0टी0जेड0 के जो कमिश्नर हैं जो आगरा के आयुक्त हैं उन्होंने उद्योगों के विस्तारीकरण पर, आधुनिकीकरण पर और 40–50 जो उद्योग बने हुए खड़े थे, एक–एक उद्योग पर लगभग एक हजार आदमी को श्रम मिलता है जो आपने कृपापूर्वक पहली बार प्रदेश को ऐसी योजना दी है जहॉ उद्योग को श्रम के साथ जोड़ा गया है। मा0 सुप्रीम कोर्ट के और हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि ऐसी कोई रोक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए तो मैं कह रहा था सभी लोग विस्तार से लिख करके दे दें।

श्री मनीष असीजा–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन मान्यवर, पिछली परम्परा के आधार पर वह काम रोका गया है मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर सीधे टी0टी0जेड0 कमिश्नर से वार्ता करके इस रोक को हटवाने का काम करें। मा0 अध्यक्ष जी, आपने कम समय में अपने सुझाव रखने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद्।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट में बात नहीं हो रही है, आप लोग लिख करके क्यों नहीं दे रहे हैं, आप सभी मा0 सदस्य लिख करके हमारे कार्यालय को दे दें, हम उसे कार्यवाही का भाग बना देंगे, मा0 मंत्री जी को भी लिख करके दे दीजिए। अभी आगे कई बजट हैं इसलिए मैं इस पर प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,03,87,81,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[2.32, वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,52,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, खादी प्रतीक है स्वदेशी का, खादी प्रतीक है स्वावलम्बन का और जब खादी की बात आती है तो हमें महात्मा गॉधी भी याद आते हैं और देश की आजादी की लड़ाई भी याद आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी सपने को साकार करने के लिए खादी का स्वयं ही ब्रांड–एम्बेसडर बन गये। उनका मानना है कि गॉवों में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए खादी से उपयुक्त कोई रोजगार हो ही नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह सरकार उसी दिशा में काम कर रही है और हम ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में यह प्रयास करेंगे कि प्रदेश के गॉवों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक इकाईयॉ लगायी जायं तथा इन इकाईयों को लगाने के लिए समुचित प्रोत्साहन उद्यमियों को दिया जाए। उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार देश में कोई राज्य सरकार ग्रामोद्य के लिए विशेषकर 'राज्य ग्रामोद्योग व रोजगार नीति' लाने जा रही है जिसका मुख्यतः उद्देश्य यह होगा कि गॉवों में छोटे–छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को यह सभी सुविधायें दी जायं जो बड़े उद्योगों को दी जाती हैं। मान्यवर,

ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार पैदा किये जा सके इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश सरकार इस हेतु शीघ्र ही जो नई नीति हम बनाने जा रहे हैं उसको बनायेंगे और घोषित भी करेंगे साथ ही साथ गॉवों में हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे सकें। हम इस वित्तीय वर्ष में यह भी प्रयास करेंगे कि भारत सरकार की विभिन्न योजनायें जिसमें खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो पारम्परिक ग्रामोद्योग के क्लस्टर के रूप में विकसित करने के लिए चलायी जा रही है। स्फूर्ति योजना, सोलर चरखा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर प्रदेश में इन क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है। खादी का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी का सुपरिणाम है कि खादी की बिक्री इन वर्षों में 34 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। इस वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार पं0 दीन दयाल उपाध्याय रोजगार योजना भी प्रारम्भ करने जा रही है। इसके अतिरिक्त यह सरकार यह भी प्रयास करेगी कि प्रदेश में कई सालों से बंद पड़े खादी के कम्बल कारखाने की शुरूआत करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम अपने खादी विभाग के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना जिसके माध्यम से कौशल सुधार, यानी हम व्यक्ति को कैसे खादी का रोजगार चलाने के लिए कैसे प्रशिक्षित करें, हम हर जिले पर खादी के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

खादी बोर्ड जो एक सबसे पुरानी संस्था है। यह 1960 की संस्था है लेकिन खादी को उचित न तो प्रोत्साहन मिला, न संरक्षण न संवर्धन मिला। संरक्षण मिला तो केवल इतना मिला कि सब्सीडी जो मिलती है केन्द्र और प्रदेश की उसी आधार पर वह समितियां चल रही हैं। हम उन्हें उस सब्सिडी से निकालकर व्यावहारिक रूप में रोजगारपरक बनाना चाहते हैं जो उत्पादन करें। इसीलिये जो हम सोलर चरखा की बात कर रहे हैं अभी अगर हमारी एक बहिन घर में 8 घंटा चरखा चलाती है तो 500 ग्राम धागा बनता है। सोलर चरखे से यदि उत्पादन होगा तो वह 1500 ग्राम होगा, तिगुना उत्पादन होगा। हमने केन्द्र सरकार से मांग की है कि सोलर चरखे से चलने वाले खादी को खादी की मान्यता दी जाय। जो हमारा केन्द्रीय खादी आयोग है वह इससे सहमत भी है, हमारे प्रमुख सचिव इस सम्बन्ध में प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में खादी का रूप इन वर्षों में नया रूप दिखेगा और इसके लिये हमने एक प्रचार वैन भी बनवाई है। वह गांव–गांव में जायेगी और प्रचार वैन के माध्यम से हम खादी का प्रचार भी करेंगें। हम जिलों–जिलों में प्रतिवर्ष खादी की बिक्री के लिये ग्राम उद्योग प्रदर्शनिया लगाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेविल पर भी लगाते हैं, इसकी हम गति और तेज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शनियां लगायेंगे। ई–गर्वनेंस, कम्प्यूट्राइजेशन और कनेक्टिवी की हमारी योजना है मान्यवर। हमारे पास योजना है जो खादी में काम करने वाले आम आदमी हैं उनकी बीमा योजना। उनको हम बीमाकृत करेंगे ताकि कोई जोखिम हो जाय तो उस बीमा के माध्यम से उस परिवार को संरक्षण प्राप्त हो सके। जिसके लिये हमने 16.90 लाख की धनराशि की मॉग इस बजट में की है। खादी के सूत, डिजाइन, मानकीकरण, प्रचार–प्रसार की

योजना। मान्यवर, खादी वस्त्रों को जनमानस में अधिक आर्कषक और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से खादी के सूत, डिजाइन, मानकीकरण एवं प्रचार प्रसार हेतु योजना संचालित है जिसके लिये 40 लाख का प्रस्ताव है।

जनपद कुशीनगर में मण्डलीय प्रशिक्षण हेतु एक कांमन फैसिलिटी सेन्टर के रूप में हम बनाने जा रहे हैं। काम प्रगति पर है और इसके लिये 50 लाख की मांग हमने इस बजट में की है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग योजना, इसमें हम नौजवानों को रोजगार देंगें। गांवों से नौजवानों का शहरों में पलायन न हो, उस पलायन को रोकने के लिये हम गांव में ही, जैसे गांव के रोजगार है मॅगोडी बनाना है, दलिया बनाना है, पापड़ बनाना है, यह छोटे–छाटे कुटीर उद्योग, इनकी हम स्थापना कर गांव–गांव में जाल फैलायेंगें। ताकि जो शहरों की ओर नौजवानों का पलायन हो रहा है, वह रूक सके। मान्यवर, हम उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय सहायता बैकों के माध्यम से दिलवाते हैं जिसमें मात्र 4 परसेन्ट ब्याज है। सबसे कम और सबसे सस्ता ब्याज अगर कहीं मिलता है तो वह खादी विभाग के माध्यम से मिलता है। इसको और लोकप्रिय और जनप्रिय बनाने के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है क्योंकि हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा था कि हम 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगें और मैं समझता हूं कि हम खादी के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न करेंगें। अभी मैं देवरिया गया था। देवरिया में रामपुर कारखाना। हमने देखा वहां न अब रामपुर है न कारखाना। उजाड़खाना है। क्योंकि जो पहले खेती होती थी गन्ने की, अब गन्न मिलें बंद हो गईं तो वह खेती भी समाप्त हो गई।

(इस समय 02 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुये।)

श्री सत्यदेव पचौरी–

हम अभी चार सौ फार्म देकर आए थे। हम उन चार सौ लोगों को ऋण उपलब्ध करायेंगे और रोजगार से जोड़ेंगे। इसी प्रकार हमारी हर विधान सभा क्षेत्र की हमारी योजना है कि उन विधान सभाओं में हम गोष्ठियां करके,नौजवानों से वार्ता करके, और खादी से वह कैसे रोजगार से जुड़ सकते हैं उनकी भी हम योजना इस वर्ष बनायेंगे और इसमें मेरा यह भी निवेदन है सभी सम्मानित सदस्यों से, मेरे पत्र भी जायेंगे कि वह अपने क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए खादी से नौजवानों को जोड़े और वह जिले के नोडल अधिकारी अपने आप को समझें। हम उनको अधिकृत करते हैं कि जो उनकी सिफारिश आएंगी। उन पर विचार किया जाएगा।(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, हमारा यह खादी का छोटा सा बजट है। हम जानते हैं कि रोजगार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा भी बजट है। क्योंकि यह गांधी जी का सपना था कि हम स्वरोजगार के लिए, स्वदेशी के लिए खादी को अपनायें तो सबसे यह भी निवेदन है कि अपने–अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग खादी को अपनायें यह भी प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,52,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

ख2.42, वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,90,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करने वाला प्रदूषण रहित कुटीर उद्योग है। यह उद्योग अपनी परम्परा कलात्मकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शुद्धिकरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस उद्योग से देश की वस्त्र आवश्यकता की पूर्ति के साथ–साथ बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जाती है। हथकरघा वस्त्रों का चलन अब विदेशों में भी बढ़ रहा है। जिससे इस उद्योग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।उत्तर प्रदेश प्राचीन समय से ही अपनी कलात्मक बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। जिसमें वाराणसी की सिल्क साड़ियां, सीतापुर की दरियां, गाजीपुर का कटवर्क पर्दा, अमरोहा का प्लाई वर्क, गोरखपुर के बैडकवर, गाजियावाद के टेरीकाट प्रमुख उत्पाद हैं। विगत वर्षों में हथकरघा बुनकर बुनाई कार्य से विरत होकर अन्य व्यवसाय अपनाने लगे। जिसके कारण प्रदेश में उनकी संख्या साढ़े 6 लाख से घटकर, 2 लाख 58 हजार रह गई। इसका मुख्य कारण वर्तमान बाजर में मूल्य की प्रतिस्पर्धा होने के कारण हथकरघा उत्पादों का उचित मूल्य न मिल पाना है। बुनकर के बच्चों के शिक्षित न होने के कारण स्वतः हथकरघा पर बुनाई का कार्य न कर अन्य कार्य में लगना एवं बुनकरों के पास कार्यपूँजी का अभाव होना पाया गया। हथकरघा वस्त्रों की कलात्मकता के कारण स्वदेशी व स्वाभिमान का प्रतीक इस उद्योग में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास का कार्यक्रम व योजना चलाई जा रही है इस योजना के संचालन में राज्य सरकार द्वारा --

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर एक सूचना आपके माध्यम से सदन में देना चाहते हैं प्रेसीडेंसिएल इलेक्सन में पहला राउण्ड पूरा हो गया श्री रामनाथ कोविंद को 4.79 लाख वोट तथा श्रीमती मीरा कुमार को 2.04 लाख वोट मिले। अभी फाइनल रिजल्ट आने में देरी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(मेजें थपथपाई गई)

(इस समय 02 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय पचौरी जी से हम अनुरोध करेंगे कि अपने भाषण को शार्ट कर लेंगे तो अच्छा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)–

मान्यवर, विपक्ष नहीं है इसलिए सबको ऊब हो रही है कि जल्दी खत्म करो। लेकिन अच्छा है रास्ते का गतिरोध नहीं है हमारी सरकार क्या करने जा रही है यह सब को जानना चाहिए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के संचालन में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तथा प्रदेश में अब तक भारत सरकार से 25 ब्लाक लेबिल हथकरघा क्लस्टर स्वीकृत कराए गए। ब्लाक लेबिल पर हम हथकरघा के छोटे–छोटे क्लस्टर बनाएंगे। अनुसूचित वर्ग को पावर वर्ग से जोड़ने के लिए उनकी समितियों को हमने प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है उसके लिए 310 लाख रुपए का बजट प्राविधान समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया है। मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के कस्बा मुबारकपुर में हथकरघा विपणन केन्द्र की स्थापना हमारे विभाग द्वारा कर दी गई इतना ही नहीं वहां पर जो दुकानें हैं वह हमने जो छोटे बुनकर हैं उनको बांट भी दी। इसमें अभी मार्ग की व्यवस्था नहीं है इसके लिए हमने अपने बजट में 62 लाख रुपए की व्यवस्था की है कि वहां सड़क बने ताकि वहां एप्रोच रोड बन सके। उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग हथकरघा एवं रेशम नीति 2017 यह हमारी बनाने की योजना है क्योंकि अभी हथकरघा सबसे पुराने कुटीर उद्योग में है उद्योग के रूप में गांव गांव में फैला हुआ है लेकिन हथकरघा के बाद उसमें पावरलूम, हैण्डलूम आ गए बड़ी बड़ी मिलें हो गईं तो हमारा जो कुटीर उद्योग था यह समाप्ति की ओर है। हमने इसको संरक्षण देने के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं जैसे हथकरघा में काम करने वाले जो परिवार हैं उनको हमने पेंशन देने की योजना बनाई उनके घर के बच्चे हैं अगर दशवीं, ग्यारहवीं बारहवीं में पढ़ेंगे तो हम उनको 200 रुपया महीना वजीफा भी देंगे जो टीचर हथकरघा की टेक्निकल जानकारी सिखाएंगे उनको हम वेतन भी देंगे तमिलनाडु का कोआप्टेक्स हथकरघा का सबसे बड़ा क्षेत्र है हम वहां अध्ययन दल भेज रहे हैं तमिलनाडु का हथकरघा बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश हथरकघा इन 15 वर्षों में क्यों घटा, यह जानने के लिये। क्या हमनें हथकरघा में लगे हुये कारीगरों को वह सुविधाएं प्रदान नहीं की जो उनको मिलनी चाहिये थीं? हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि हथकरघा उद्योग में लगे हुये जो परिवार हैं उनको फिर से इसमें जोड़ा जाए, उनको फिर से हथकरघा उद्योग में लाया जाए। हमनें यह तय ही नहीं किया है, बल्कि अपने विद्युत मंत्री से निवेदन भी किया है कि हथकरघा उद्योग में पिछली सरकार में जो कनेक्शन काट दिये गये थे उनको फिर से जोड़ दिया जाए और मैं प्रसन्नता से कहता हूं कि हमारे विद्युत मंत्री ने उनके सारे कनेक्शन फिर से जुड़वा दिये हैं। मान्यवर, हमनें पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु योजना बनाई है। इसमें हमनें 150 करोड़ रूपये का प्राविधान

किया है। हमनें बुनकरों के क्षेत्र में स्वतंत्र फीडर लगाने के लिये भी व्यवस्था की है ताकि उनको पावर कट जैसी समस्या का सामना न करना पड़े और इसके लिये हमनें 05 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में की है। हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना भी हमनें बनाई है। इसके लिये 05 करोड़ रूपये की व्यवस्था अपने बजट में की है। राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत जो अच्छे हथकरघा कारीगर हैं उनको प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार देती है। प्रदेश स्तर पर तीन पुरस्कार हैं, पहला पुरस्कार 01 लाख रूपये का, दूसरा पुरस्कार 50 हजार रूपये का और तीसरा पुरस्कार 25 हजार रूपये का है और भविष्य में हमारी इसको और बढ़ाने की योजना है। उसी प्रकार परिक्षेत्र लेवल पर हथकरघा में काम करने वाले कामगारों को हम 39 पुरस्कार देते हैं ताकि इनको प्रोत्साहित किया जा सके।

मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना भी हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं। हथकरघा बुनकरों के पलायन को रोकने के लिये, कला एवं संस्कृति को संरक्षित कर लुप्त होने से बचाने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये हमनें 02 करोड़ रूपये का प्राविधान अपने बजट में किया गया है। पावरलूम उद्योग का विकास एक सामान्य योजना है, जिसके लिये बजट में हमनें 10 करोड़ रूपये का प्राविधान किया है। इसी प्रकार हमनें हथकरघा में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिये भी बजट में विशेष व्यवस्था की है। इनको हम अनुदान के माध्यम से हथकरघा, रॉ–मैटीरियल उपलब्ध करायेंगे और फिनिश्ड गुड्स उनसे प्राप्त करेंगे ताकि उनको अपना माल बेचने में परेशानी न हो, यानी उनको हम मार्केटिंग की भी सुविधा देंगे। इससे अनुसूचित वर्ग का गॉव में रहने वाला गरीब जो उपेक्षित है, पीड़ित है, शोषित है, उसका उत्थान हो सके। उसको हम समाज में बराबरी से खड़ा करें इसके लिये हमारा हथकरघा उद्योग सबसे उपयुक्त उद्योग है, क्योंकि यह प्राचीन उद्योग है। उद्योग के अन्तर्गत पहले दरी बनते थे, गेट बनते थे तथा चादर बनते थे। आज तो हथकरघा के बने हुये पावरलूम वस्त्र एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हथकरघा के बने हुये रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन पिछली सरकारों की नीतियों के कारण जो प्रोत्साहन उन मजदूरों को मिलना चाहिये था वह नहीं मिला, इसलिये मजदूर पलायन कर गये। अभी हमारे कुछ मित्र बुन्देलखंड की बात कर रहे थे। बुन्देलखंड में बहुत काम होता था, कालपी में भी होता था और बुन्देलखंड में एक और क्षेत्र है वहां भी बहुत काम होता था। हम उसको फिर से पुनर्जीवित करेंगे, उसके लिये भी हमनें योजना बनाई है और हम अब न खुद बैठेंगे और न अधिकारियों को बैठने देंगे। मान्यवर, हमनें 1,24,90,96,000 रूपये का यह छोटा सा बजट आपके सामने पहले ही पढ़ दिया है जो सदन के सामने आपकी अनुमति से प्रस्तुत है और इस बजट पर आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरधा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान

द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,90,96,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

माननीय उप मुख्य मंत्री माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, आप कृपया मद संख्या–6,7,8,9 तथा 10 एक साथ प्रस्तुत कर दें।

ख2.56, वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु), अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़क)

उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,99,19,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,99,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,85,83,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–57–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,66,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सडकें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,17,05,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि लोक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है जिस विभाग के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं उन्हें जनता से जो सबसे पहले वायदे करने पड़ते हैं वह सड़क, बिजली, पानी को लेकर विशेष तौर से करने पड़ते हैं। आपके सामने यह जो मैंने अभी प्रस्ताव रखा है उसमें चाहे गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का मामला हो, चाहे राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का मामला हो और चाहे बहुत ही पिछड़े, आज की स्थिति में मैं तो कह सकता हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों के मामले में बहुत पीछे छूट गया है, लेकिन चाहे पूर्वान्चल हो, चाहे बुन्देलखण्ड हो, चाहे राज्य का अन्य कोई हिस्सा हो उन क्षेत्रों में सड़कों को लेकर चूंकि जो मंत्रालय मेरे साथ है. जो माननीय सदस्यों के द्वारा लगातार मुझसे बातचीत होती है उस बातचीत के क्रम में सबसे पहले लोगों की आवश्यकता होती है कि कैसे हमारे क्षेत्र में सड़के बन जाये। श्रीमन्, चूंकि जो मंत्रालय मेंरे साथ हैं। जिन मा0 सदस्यों के द्वारा मुझसे लगातार बातचीत होती है। उस बातचीत के क्रम में सबसे पहले लोगों की आवश्यकता होती है कि कैसे हमारे क्षेत्र के अंदर सड़कें बन जायें और वह सड़कें कोई अपने घर तक बनाने के लिये नहीं चाहता है। मान्यवर, जो मा0 सदस्य इस देश के सबसे बड़े राज्य की जनता के आशिर्वाद से चुनकर के इस सम्मानित सदन में आये हैं वह जनता से किये गये अपने वादे और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही काम करे हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने सड़कों और पुलों के निर्माण की दृष्टि में बहुत ही गंभीरतापूर्वक कार्य करने का प्रयास किया है। प्रदेश में ग्रामीण मार्गों को पक्के मार्गों से जोड़ने का बहुत बड़ा काम जो अभी भी किया जाना बड़ी प्राथमिकताओं में हमारी सरकार के लिये रहा है। उसमें हम लोगों ने विभिन्न मदों में बजट में जो व्यवस्था नाबार्ड के माध्यम से है वह 100 करोड़ की है। जिला योजना के माध्यम से 39 करोड़ की है। नक्सल योजना में 12 करोड़ की है। समग्र विकास योजना में 98 करोड़ और अन्य योजनायें जिसमें 28 करोड़ की योजना जो आने वाली योजना में हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसके क्रम में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

मा0 अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 में भ्रष्टाचार ने एक शिष्टाचार का रूप धारण कर लिया था। लोक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है जिस विभाग के बारे में और प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों के समय में जो पंद्रह वर्षों में हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। हम लोगों ने सरकार में आने के बाद अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो देश की जनता के साथ वादा किया था वह भ्रष्टाचार मुक्त उ0प्र0 बनाने के लिए कदम बढ़ाने का काम किया है। उ0प्र0 में ई–टेण्डरिंग इसे भी लागू करने का काम किया है क्योंकि भ्रष्टाचार से मुक्ति ही हमारा संकल्प है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तब तक मैं मानता हूँ कि विकास में खोखलापन रहेगा और खोखला विकास कभी भी जो राज्य की बाईस करोड़ जनता है जिसके हित को ध्यान में रखकर हमारी सरकार काम कर रही है और प्रदेश की जनता ने हमें समर्थन

देकर के यहां भेजा है हम भी उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही नहीं बल्कि उनकी अपेक्षाओं से भी अधिक अच्छा काम करेंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय मेरा अपना मानना है चूंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अनेक दल होते हैं और वह अनेक दल अपनी–अपनी विचारधाराओं के अनुरूप चुनाव लड़ते हैं और जीतकर के आते हैं। सरकार बनाते हैं और विपक्ष में बैठते हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 के अंदर पिछले पंद्रह वर्षों में जो स्थिति रही है वह अत्यधिक चिंताजनक रही है। आज हमारे विपक्ष के साथी सदन में नहीं है। शायद मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कारण नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जो बजट अलग–अलग विभागों के आ रहे हैं उसके माध्यम से सबका सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी इसलिए बहाना बनाकर सदन से बाहर जाने का उन्होंने रास्ता चुना। मैं आपके सामने पिछले तीन वर्षों से जब से मा0 श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है और शपथ लेने के लिए चुनकर के जिस राज्य से गये थे उस राज्य का नाम उ0प्र0 है और उ0प्र0 को यह गौरव हमारे मा0 नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। मान्यवर, जिस दिन से वह चुनकर के गये हैं उनका एक ही लक्ष्य रहा है। वह देश की बाईस करोड़ जनता की चिंता तो करते ही हैं इसके अलावा प्रदेश की जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है इसकी चिंता उन्होंने लगातार की है। उन्होंने अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीब किसान केंद्रित, नौजवान केंद्रित, महिला केंद्रित, ऐसी तमाम योजनाये जिनका लाभ हमारे उ0प्र0 की जनता को प्राप्त हुआ है।

लेकिन जो मेरे विभाग से जुड़ा हुआ मामला है उसको मैं बताना चाहता हूं। अभी हमारी सरकार आने के बाद 73 राजमार्ग ऐसे हैं जिसकी लं0 6260 किमी0 है। अगर पिछली सरकार में यह प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया होता कि हम इन राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित करने के लिए उनको अनापत्ति देने का काम कर रहे हैं तो तीन वर्ष में उसमें से शायद बहुत अधिक काम पूरा हो गया होता और प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिल गया होता। लेकिन पिछली सरकार ने एक ही लक्ष्य निर्धारित किया था। मैंने कहा कि लोकतंत्र में विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़िये। हमारी विचारधारा हमारे कार्य अगर अच्छे होंगे तो जनता हमें सत्ता में बैठायेगी आपकी विचारधारा अच्छी होगी तो आपको सत्ता में बैठायेगी। लेकिन यहॉ विचारधारा के आधार पर लड़ने वाले जो दल उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में नहीं रहे। वह विवाद करते थे विकास नहीं करते थे। हम स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं कि विकास के मुददे पर राजनीति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को अगर दस हजार किमी0 का राष्ट्रीय राजमार्ग मिल जायेगा तो वह दस हजार किमी0 का राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की भलाई के लिए बनने वाला राजमार्ग होता लेकिन पिछली सरकार ने उसमें अवरोध डालने का काम किया। अनापत्ति नहीं दिया। अनापत्ति दिया तो मुआवजे के लिए अगर भारत सरकार ने पैसा भेजने का काम किया तो उस पैसे को भूमि अधिग्रहण के बाद बाटने का काम भी नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, यहॉ मैं कह सकता हूं कि पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम नहीं करती थीं वह अपने हितों को ध्यान में रखकर काम करती थीं। जब व्यक्ति अपने हित के लिए सोचना शुरू करेगा तो राज्य के हित की रक्षा नहीं कर सकता उसकी चिंता नहीं कर सकता और राज्य के लिए काम नहीं कर सकता। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे आपको बताते हुये सदन के अंदर यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश में हमने जहॉ 73 राजमार्गों जिसका मैंने अभी बताया कि 6260 किमी0 की लं0 है। इसके लिए जहॉ अनापत्ति देने का काम, सैद्धान्तिक सहमति देने का काम बहुत सारे मार्गों को लेकर डीपीआर तैयार करने का काम शुरू हो गया। इसके अलावा हमने 36 और मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए जिसकी लं0 2841 किमी0 है। यह भी प्रस्ताव हमने भारत सरकार को देने का काम किया है। आने वाले बहुत कम समय में हमको उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इतने अधिक मार्ग प्राप्त हो जायेंगे। जो जर्जर अवस्था में पड़े थे इसकी चिंता पिछली सरकारों को कभी नहीं थी। केंद्रीय सड़क निधि यह एक ऐसा अंश भारत सरकार के पास होता है जिसमें हर राज्य का अपना अधिकार होता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि चूंकि मैंने एक लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत प्रयास किया था कि केंद्रीय सड़क निधि के जो प्रस्ताव हम जिले से भेज रहे हैं वह दिल्ली पहुंच जाये। माननीय अध्यक्ष जी वह प्रस्ताव दिल्ली पहुंचाने के मार्ग में भी पिछली सरकार ने सहयोग नहीं किया। इसके कारण जितना हिस्सा उत्तर प्रदेश की जनता को केंद्रीय सड़क निधि से मिलना चाहिए था उतना पैसा भी पिछली सरकार लाने में विफल रही। और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे मार्ग जो केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से बनाये जा सकते थे वह बनाये जाने के कार्य में बाधा खड़ी हुयी। हम लोग इस सरकार के बनने के बाद प्रत्येक माह की 12 तारीख को भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के माध्यम से एक ज्वाइंट बैठक करते हैं। हर महीने बैठक करते हैं। दो बैठक अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में होती है तो एक बैठक दिल्ली में होती है। और उस बैठक के माध्यम से जो समस्यायें हैं उनके रास्ते खोजने का काम करते हैं। जब से आदरणीय योगी जी की अगुआई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार बैठकों के माध्यम से समस्याओं के समाधान का काम हम लोग कर रहे हैं। और इस वर्ष अभी मा0 मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री हमारे आदरणीय श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में हमारे प्रदेश के और केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा हुई और चर्चा में से कई चीजें निकल कर आयीं, उसमें से क्षेत्रीय सड़क निधि में हमें 10 हजार करोड़ रूपये उत्तर प्रदेश को मिलने की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो गयी। (मेजें थपथपाई गईं) पिछली सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि से बनने वाली सड़कों का यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट भी दिल्ली भेजने का काम नहीं किया, वहां तो केवल यू0सी0 भेजिए और पैसा आपके खाते में आयेगा और सड़कों के निर्माण को हम तेजी से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य यहॉ पर बैठे हुए हैं, हर क्षेत्र

के अन्दर केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से, सी0आर0एफ0 के माध्यम से जिन सड़कों का निर्माण चल रहा था, यू0सी0 नहीं भेजने के कारण वह मार्ग अधूरे पड़े हुए हैं। पिछली सरकार को माननीय अध्यक्ष जी, पत्थर लगाने का बड़ा शौक था और शौक के कारण से मैं बताना चाहता हूं, कई ऐसी सड़कें, इसी समाजवादी पार्टी के कई विधायक मेरे पास आए और कहा कि मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है, मैने कहा कि क्या धोखा हुआ है? कहा कि एक हजार रूपये दे करके हमारी सड़क को स्वीकृत कर दिया गया और पत्थर लगा करके लखनऊ के अन्दर उसका शिलान्यास कर दिया गया। किसी सड़क के लिए एक हजार रूपये और किसी सड़क के लिए एक लाख रूपये दे करके। जिस सड़क को बनाने के लिए अरबों रूपये की आवश्यकता हो, उसके लिए एक लाख रूपये जारी करके उसे स्वीकृत कर दे रहे हो, जनता की ऑखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो धोखा देने का काम किया जा रहा था, उस धोखे को भी मैं चूँकि 94 ऐसी सड़कें हैं, जिनकी लागत 155 करोड़ रूपये दर्शायी गयी है और उसमें केवल एक–एक लाख रूपये दिए गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अन्दर लगभग 60 सड़कें ऐसी हैं जो कुछ विशेष क्षेत्र के लिए थी, जिनकी लागत 37 करोड़ थी, जिसमें केवल एक–एक हजार रूपया आवंटित करने का काम किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, ठेकेदार और अधिकारी मिल करके जनता के लिए बनने वाली सड़क को कागज पर बना देते थे, जमीन पर सड़क का पता नहीं चलता था और परिणाम क्या होता है, जो पीछे समय सड़कें कागज पर बनायी गयीं, उनको जब देखा जाता है तो वहां पर सड़कें नहीं हैं। पहली बार मैं देख रहा था, विपक्ष के साथी इस समय यहॉ नहीं हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश के अन्दर गड्ढा मुक्त सड़कें देने का काम करेंगे। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 01 लाख 21 हजार कि0मी0 सड़कें गड्ढा युक्त थीं, उसमें से पी0डब्ल्यूडी0 के पास जो सड़कें थीं, उन सड़कों का 86 प्रतिशत हिस्सा गड्ढा मुक्त करने में सफलता मिली और बाकी विभागों ने भी जितनी धनराशि उनके पास थी, किसी प्रकार से उपलब्ध हो पायी, उनको भी बनाने का कार्य किया और गड्ढा मुक्ति का अभियान, मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि गड्ढा मुक्ति का अभियान अब रूकने वाला नहीं है, यह निरन्तर चलने वाला काम है। जिन गड्ढों को बना करके 15 वर्षों में सपा और बसपा यह दोनों लोग गये हैं, उन सड़कों को हम गड्ढों से मुक्त करने का काम करेंगे और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे भी नहीं। कई ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने विभाग को सरकार की मिलीभगत के कारण से, अधिकारियों की मिलीभगत के कारण से लूटने का काम किया है, उनको ब्लैक लिस्ट करने का काम, उनको ब्लैक लिस्ट करने की नोटिस देने का काम और आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे रिकवरी कराने का काम, एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का काम, यह भी विभाग के अन्दर शुरू किया है, अब किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यह अन्याय स्वीकार नहीं किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, जब काम करने की इच्छा शक्ति हो तो कई चीजें ऐसी हो जाती हैं, हमारे यहॉ उत्तर प्रदेश के बैठे कई माननीय सदस्य बतायेंगे, बहुत सारे सेतुओं, चाहे आर0ओ0बी0 हो, चाहे कोई और सेतु हो, कोई 10 साल से बन रहा है, कोई 12 साल से बन रहा है, कोई 5 साल से बन रहा है, किसी का रेलवे का हिस्सा बन गया है, कहीं सेतु निगम ने बना दिया तो रेलवे का हिस्सा नहीं बन पाया है, इससे नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। हम लोगों ने अभी रेलवे मंत्रालय के साथ एक एम0ओ0यू0 करने की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाते समय रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय या दोनों मिल करके काम करते थे और उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती थी, उत्तर प्रदेश के अन्दर भी इस प्रकार की स्थिति हम लोग खड़ी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से चूँकि अभी कृषि का बजट भी हमारे मा0 कृषि मंत्री जी जिस समय मैं इस सदन में चुन करके आया था, उस समय मेरे प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके अध्यक्ष रहते हुए मुझे इस सदन में चुन कर आने का मौका मिला था, अभी बड़ी चर्चा हुई, कृषि में गॉव की परिस्थितियों को मैं जानता हूं, मैंने गरीबी स्वयं देखी है और गरीब का दर्द क्या है, अगर खेत में कोई चीज पैदा करे और वह उसे मुख्य मार्ग तक लाने में अगर उसको कठिनाई हो और कठिनाई है तो कई बार गरीब किसान है एक बीघे, दो बीघे खेती वाला किसान है, अब वह मेहनत कर के कोई पैदा करे और वह बाजार तक पहुँचाने में विफल हो जाय, गॉव को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने गम्भीरता से इस पर विचार किया, हम इस दिशा में आगे बढ़े। मा0 अध्यक्ष जी, चूँकि मेरा जो विभाग है, उसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सड़कों का निर्माण और सेतुओं का जब निर्माण होता है, इस निर्माण के समय केवल सड़क ही नहीं बनती एवं सेतु ही नहीं बनते, बल्कि रोजगार का भी सृजन होता है। बड़ी संख्या में लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी प्राप्त होता है। हम उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में रोजगार चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्त करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों के लिए अच्छा से अच्छा काम करना चाहते हैं, इसलिए पिछली सरकार के समय में चर्चायें तो बहुत होती थीं, विश्व बैंक की परियोजना हो, चाहे एशियन डेवलपमेण्ट बैंक की परियोजना हो, स्वीकृत कर दिया कि हां यहा होने जा रहा है। प्रदेश के हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं मध्यप्रदेश है, राजस्थान है, यह विश्व बैंक हो या एशियन डेवलपमेण्ट बैंक हो, ऐसी जो अन्य बैंकिंग एजेन्सियां हैं जिनसे सस्ते में ऋण मिलता है और उसके आधार पर सड़कों का निर्माण होता है। पड़ोस के राज्यों में सड़कों की दशा आज यह है कि जाइये तो उत्तर प्रदेश–मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश–राजस्थान में, उत्तर प्रदेश–हरियाणा में, उत्तर प्रदेश–दिल्ली में मतलब जो भी पड़ोसी राज्य हैं, अन्तर ध्यान में आता है कि अब हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली में चले गये हैं, उत्तर प्रदेश से अब हम राजस्थान में चले गये हैं, इस अन्तर को खत्म करने के लिए हमारी सरकार पूरी गम्भीरता से प्रयास कर रही है, इसके लिए 27 जून को हमारी सरकार बनने के बाद

एशियन डेवलपमेण्ट बैंक के माध्यम से हमने एक अनुबन्ध किया है, जिसमें 2782 करोड़ रुपये का एक ऋण लेने जा रहे हैं जिसमें 70 प्रतिशत हमें ऋण के रूप में मिलेगा बाकी हम प्रदेश के बजट के माध्यम से व्यवस्था कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम 12 जिलों के 08 ऐसे मार्गों का निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन हमने इसमें यह व्यवस्था की है, चाहे हम विश्व बैंक से पिछली सरकार के समय में जो प्रक्रिया चल रही थी, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रख करके नहीं करते थे, वह कुछ जिले, वी0आई0पी0, कुछ विधान सभा क्षेत्र इसको ध्यान में रख करके करते थे, जो अनुबन्ध हमारी सरकार कर रही है, उसमें इस व्यवस्था को भी करके हम लोग चल रहे हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम उन सड़कों की जगह दूसरी सड़कों को भी बनाने पर विचार करेंगे, जहां आवश्यकता पहले होगी, वहां पहले बनाने का काम करेंगे, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

मा0 अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से इण्डो–नेपाल बार्डर का काम रूका हुआ था, हमारी सरकार के समय हमने थोड़ा प्रयास किया और उस प्रयास के परिणामस्वरूप हमारी सड़कें तेजी के साथ बनने का काम प्रारम्भ हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर, 221397 किलोमीटर हमारे विभाग के अन्दर कुल सड़कें हैं और उन सड़कों के माध्यम से जिसमें यह राष्ट्रीय मार्ग, राज मार्ग, जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग ऐसा अलग–अलग करके यह विभाजित है, इन सबके लिए हम काम कर रहे हैं और 15 जून तक हमने 86 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में सफलता प्राप्त की है और मा0 सदस्यों को एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं कि गड्ढा मुक्ति के अन्तर्गत जो अभी कार्य अभियान चला, मैंने अधिकतम मा0 सदस्यों से जानने का प्रयास किया कि गड्ढा मुक्ति का अभियान जो चला इसका कहीं परिणाम आपको कुछ स्पष्ट तौर से दिखाई देता है, तो सभी मा0 सदस्यों ने लगभग इस बात को स्वीकार किया कि गड्ढा मुक्ति का काम विपरीत परिस्थितियों में जिस तेजी के साथ हुआ है और उसके कारण से जो सुधार हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, उसको भी हम करेंगे। लेकिन मा0 सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि एक नया पोर्टल प्रारम्भ किया गया है जिसका लिंक, जो विभागीय वेबसाइट है यूपीपीडब्ल्यूडी.गवर्नमेण्ट.इन पर उपलब्ध है। मा0 सदस्यों को उसको देखना चाहिए कि जो गड्ढा मुक्ति की दृष्टि से सड़कों को बनाया गया है, गड्ढा मुक्त किया गया है। वास्तविक रूप से वह भी देखें और अपने क्षेत्र के अन्दर कहीं, कोई शिकायत हो तो उससे भी वह अवगत करा सकते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि इस वर्ष लगभग 25 हजार किलो मीटर लम्बाई की सड़कों के अनुरक्षण एवं नवीनीकरण और 11 हजार किलो मीटर लम्बाई में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मार्गों के नवीनीकरण, विशेष मरम्मत इत्यादि कार्य के लिए 3220 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार से और जहॉ भी, जो भी, चाहे वह सेतु का मामला हो, चाहे वह सड़कों का मामला हो। मैं सदन में मा0 सदस्यों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि सड़कों के मामले में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के किसी राज्य से पीछे नहीं रहेगा और जो हमारे सदस्य चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। उस चिन्ता को

सरकार अपनी जिम्मेदारी मान करके और सड़कों के निर्माण की दिशा में हर सम्भव प्रयास करेगी, सेतुओं के निर्माण की दिशा में हर सम्भव प्रयास करेगी। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैंने यह आपके सामने अलग–अलग मदों में बजट प्रस्ताव रखा है और अभी कई विभागों के बजट भी हैं इसलिए मैं आपके सामने इस बजट को प्रस्तुत करते हुए सदन से इसे स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

श्री दयाराम चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जानकारी या प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री दयाराम चौधरी–

जी नहीं, केवल जानकारी चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक सड़क स्वीकृत हुई है। यह राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। यह सड़क तीन जिलों को जोड़ती है बस्ती, सन्तकबीरनगर और महाराजगंज।

श्री अध्यक्ष–

आप बात कर लीजिएगा।

श्री दयाराम चौधरी–

मान्यवर, उसमें बस्ती का जो पार्ट है, वह विगत वर्षों से इतना खराब है कि दो क्रेन वहां खड़े रहते हैं कि कब, कौन एक्सीडेण्ट हो जाए और हम उसको उठा करके स्थल पर पहुंचा दें। वह इतनी खराब सड़क है यह पिछली सरकार की है, जांच भी चल रही है। मा0 मंत्री जी से मैंने कहा था कि जांच करा दें। उसमें कई अधिकारी सस्पेण्ड भी होंगे।

श्री अध्यक्ष–

इसका मतलब जांच तो करा रहे हैं।

श्री दयाराम चौधरी–

मान्यवर, जांच हो रही है। मैं चाहता हूं कि उस सड़क का जो बस्ती का पोर्शन है, जहॉ क्रेन खड़े रहते थे पिछली सरकारों में, अब तो क्रेन इस समय बन्द हो गया, गड्ढा मुक्त होने की स्थिति में ठीक हो गई है लेकिन कब तक उसका निर्माण हो जाएगा क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आप बता दीजिएगा, लिख कर दे दीजिएगा। मा0 सदस्य जैसा मैंने पहले कहा था, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि आप लोग अगर लिख कर हमारे ऑफिस को देंगे तो हम कार्यवाही का भाग बना देंगे। मा0 मंत्री जी से तो आप लोग मिलते ही हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और सुझाव देना है उत्तर प्रदेश के स्तर पर अथवा कोई अपने क्षेत्र के स्तर पर तो आपको लिखकर दे देना चाहिए। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,99,19,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,99,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,85,83,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,66,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,17,05,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्चा, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,58,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,47,12,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं थोड़ी ही संक्षिप्त जानकारी इसमें देना चाहूंगा यह कोई विवाद का विषय नहीं है लेकिन ये जो हमारा मनोरंजन कर विभाग है। माननीय अध्यक्ष जी पिछली सरकारों के समय उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 552 एकल स्क्रीन छविगृह बंद हुए थे जिन्हें पुनः संचालित करने की दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया है और उसके लिए हमने एक व्यवस्था की है कि एकल स्क्रीन छविगृहों के बंद होने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसके लिए हमने कुछ प्रोत्साहन की योजनां शुरू की हैं। इसमें बंद सिनेमाघरों को यथास्थित संचालित करने वाले सिनेमाघरों को प्रथम तीन वर्ष 50 प्रतिशत अनुदान देने का काम, बंद पड़े अथवा संचालित छविगृहों को पूर्ण रूप से तोड़कर व्यवसायिक काम्प्लेक्स रहित सिनेमागृहों के निर्माण हेतु प्रथम तीन वर्ष 100 प्रतिशत एवं शेष दो वर्ष 75 प्रतिशत यह अनुदान देने की भी योजना तैयार की गई है।

श्री अध्यक्ष–

जो टिकट खरीदेंगे उनको कोई छूट नहीं दे रहे हैं आप ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के सिनेमाघर तो सब बन्द पड़े हैं ऐसी स्थिति में कि वह बहुत सारे शहर के प्रमुख स्थानों पर हैं, जिनका भू–उपयोग बहुत है लेकिन कुछ गलत नीतियों के कारण से वह आगे नहीं बढ़ पा रहे थे इसलिए हमारी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं यहां देकर इनको आगे करने का काम किया है। 58 प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां कोई एक मल्टी कांम्प्लेक्स है ही नहीं। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोत्साहन योजना इस मनोरंजन कर विभाग के माध्यम से 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम किया, जिससे बंद सिनेमाघर चालू हो। इसमें कोई विवाद नहीं है इसलिए मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,58,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा

स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,47,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मध्यान्ह भोज की सूचना

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–**

मान्यवर अध्यक्ष जी, भोजन ठण्डा हो रहा है, काफी लोग तो नीचे से हो आए।

श्री अध्यक्ष–

तो इसको प्रस्तुत करा दीजिए, अनुदान संख्या–13 स्वीकृत करा दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमारी समझ से विपक्ष तो चले गए, जो इनकी जिम्मेदारी थी उससे तो यह चले गए, अब हम जो कुर्बानी कर रहे हैं इससे तो मान्यवर, बहुत लम्बा इतिहास नहीं बनेगा। इसलिए दारा सिंह जी, अगर कोई राष्ट्रीय क्षति न हो तो थोड़े में ही काम चला दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

भाषण न कराइए केवल प्रस्ताव रख दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, बहुत से लोग अभी भोजन करने से रह गए हैं, सब खाना ठण्डा हो गया है। आपके चक्कर में ही हो गया है आप तो दारा सिंह हैं असल में।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप किचेन से आ रहे हैं, भोजन ठण्डा होने की सूचना आपको कहां से मिली ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जी मैं किचेन से ही आ रहा हूं काफी जद्दोजहद करके आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

हमने सोचा कोई आपको सरकारी रिपोर्ट तो नहीं मिली कि खाना ठण्डा हो रहा है?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सरकारी रिपोर्ट तो लेखपाल से लेकर और उन सबसे मांगनी पड़ती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप केवल प्रस्ताव रख दें, हम प्रश्न उपस्थित कर देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भोजन नहीं कर पाएं हैं। अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो कम से कम आज पहला दिन है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी तरफ से और इन सभी लोगों की तरफ से, हमारे चेतन चौहान जी है इनके विभागों की तरफ से विशेष रूप से खाने की व्यवस्था है। अब आपको जानकारी मिल जाए कि रसमलाई भी है और गुलाब जामुन भी है।

[03.33] वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, मद संख्या–13 को आप प्रस्तावित कर दें।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,51,73,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,51,73,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[3.34] वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–22 खेल विभाग

खेल युवा कल्याण मंत्री (श्री चेतन चौहान)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,31,47,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,31,47,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[3-35] वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग

खेल, युवा कल्याण मंत्री (श्री चेतन चौहान)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,30,49,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,30,49,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[3.36] नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20–07–2017 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 56 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में श्रीनगर ताल पर टूटे हुये रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत । दूसरी सूचना श्रीमती संगीता बलवन्त की जनपद गाजीपुर में नंदगंज शराब फैक्ट्री द्वारा दूषित पानी सीधे गंगा नदी में बहाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत । तीसरी सूचना श्री शरद कुमार अवस्थी की अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, बांदा द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत । चौथी सूचना श्री राकेश सिंह की है जो उपस्थित नहीं हैं । पाचंवी सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव में जर्जर विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत। छठी सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की है जो उपस्थित नहीं हैं । सातवी सूचना श्री सुखदेव राजभर की है जो उपस्थित नहीं हैं । आठवीं सूचना श्रीमती नीलम करवरिया की जनपद इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में विद्युत समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में

ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । नवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की है जो उपस्थित नहीं हैं । दसवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की है जो उपस्थित नहीं हैं ।

जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, उनके स्थान पर अस्वीकृत सूचनाओं में से क्रमानुसार सूचनायें ले ली जायेंगी। शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी, इनके नाम इस प्रकार हैं श्रीमती कमला रानी 'वरूण', श्री विक्रम सिंह सैनी, श्री संत प्रसाद, श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, डा0 मुकेश वर्मा, श्री योगेश धामा, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्रीमती साधना सिंह, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री तसलीम अहमद, श्री संजय गर्ग, श्री शारदा प्रसाद, श्री शैलेन्द्र यादव ललई, श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री नफीस अहमद, श्री धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री पारस नाथ यादव, श्री दलवीर सिंह, श्री चेतराम, श्री रोशनलाल वर्मा, श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री संजय कुमार गुप्ता, डा0 आर0के वर्मा, श्री लाल जी वर्मा, डा0 अवधेश सिंह, श्री राम फेरन पाण्डेय, श्री उज्जवल रमण सिंह, इंजी0 बृजेश कटेरिया, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री कल्पनाथ पासवान, श्री मनोज कुमार पारस, श्री राहुल प्रकाश, श्री हाकिम लाल बिन्द, डा0 हरगोविन्द भार्गव, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री राम अचल राजभर ।

जनपद लखनऊ स्थित पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला विद्यालय में एम0एस0सी0 की कक्षायें आरम्भ कराने एवं अन्य मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–**

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत ...

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दिनांक 14–07–2017 को निम्न सूचना दी गयी है :–

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

''भारत के यशस्वी राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से जब वे लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के राजाजीपुरम् में उनकी प्रेरणा से पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला विद्यालय की स्थापना हुई थी। जिसमें प्रारम्भ में केवल बी0ए0 की कक्षायें शुरू हुई थीं किन्तु बाद में 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होने के बावजूद प्रश्नों एवं नियमों के अन्तर्गत विधान सभा की सहायता से उस महाविद्यालय में बी0एस0सी0, बी0काम0 और चार विषयों में एम0ए0 की कक्षायें प्रारम्भ हुई। वर्तमान में विद्यालय दुर्दशा का शिकार हो गया है। भवन जगह–जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया है, विद्युत कनेक्शन भी क्षत–विक्षित हो गये हैं और विद्यालय प्रांगण में झाड़ियां और पेड़ इस प्रकार उग गये हैं जैसे यह विद्यालय नहीं जंगल हो। विद्यालय के अन्दर की सड़क भी टूट गयी है जिससे लड़कियों और अभिभावकों के आने–जाने में कठिनाई होती है। महाविद्यालय में वर्तमान में प्रिंसपल भी नहीं हैं और विज्ञान विभाग में शिक्षकों का भी अभाव है। यहां तक कि विद्यालय में फर्नीचर भी पुराने होकर सड़ गये हैं और भवन की पुताई तक नहीं हुई है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाने के स्थान पर झंडा रोहण करने की व्यवस्था कर दी गयी है और मूर्ति अभी तक नहीं लगायी गयी है। यह वर्ष पं0 दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष है और उनके नाम पर बना हुआ यह महाविद्यालय दुर्दशा को प्राप्त है। यह देख कर सबको कष्ट होता है। इसमें एम0एस0सी0 की कक्षायें प्रारम्भ करने की अति आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 25 सितम्बर से पहले पं0 दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगवाने एवं एम0एस0सी0 की कक्षायें प्रारम्भ करने तथा भवन की जीर्ण–शीर्ण हालत को ठीक करने तथा फर्नीचर एवं प्रिंसपल एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।''

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में स्नातक स्तर पर बी0ए0, बी0कॉम0, बी0एस0सी0 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं गृह विज्ञान की कक्षायें संचालित हैं। महाविद्यालय परिसर 11.5 एकड़ में फैला है। फलतः खाली जगहों पर बरसात के दिनों में झाड़ियां/घास उग आते हैं, जिनकी शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर प्रत्येक वर्ष साफ–सफाई करायी जाती है। पुस्तकालय भवन तथा बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण हेतु भवन सामग्री के लाने एवं ले जाने के कारण महाविद्यालय परिसर की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। महाविद्यालय परिसर में वायरिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण सुचारु विद्युत व्यवस्था नहीं है। बजट के अभाव के कारण महाविद्यालय में फर्नीचर की कमी है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत महाविद्यालय में एम0एस0सी0 रसायन विज्ञान का भवन निर्माण प्रचलित है। आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के अभाव में एम0एस0सी0 की कक्षायें संचालित किये जाने का फिलहाल अवसर नहीं है। महाविद्यालय प्रांगण में पं0 दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में प्राचार्य का 01 तथा प्रवक्ता के कुल 24 पद सृजित हैं। डा0 हरिराम नांगलिया प्राचार्य की दिनांक 30–06–2017 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरुप, प्राचार्य का पद रिक्त है। प्रवक्ता के सृजित कुल 24 पदों के सापेक्ष मात्र 01 पद रिक्त है तथा 23 पद भरे हैं। रिक्तियों का घटित होना एवं भरा जाना निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।,

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्रामों में फ्लोराइड एवं लवण की मात्रा अधिक होने के कारण पेयजल पूरी तरह से दूषित होने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14–07–2017 को दी गयी सूचना द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद प्रतापगढ़ ...

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्रामों में फ्लोराइड एवं लवण की मात्रा अधिक होने के कारण पेयजल पूरी तरह से दूषित हो गया है और पेयजल पीने के योग्य नहीं रह गया है। क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल समूह योजनाएं काम नहीं कर रही हैं और इनसे जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र में जल स्तर (अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेबल) काफी नीचे होने के कारण निजी हैण्ड पाइपों एवं कुओं के माध्यम से पीने के लिए पानी सुलभ नहीं हो पाता है। ग्रामीण पेयजल योजनाओं को पूरी क्षमता के साथ चला कर पेयजल सुनिश्चित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2–अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधान सभ क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन विकास खण्ड यथा–लालगंज, सांगीपुर व रामपुर संग्रामगढ़ हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में जनपद–प्रतापगढ़ के 17 विकास खण्डों में 524 बस्तियां विभिन्न प्रकार की गुणता से पभावित पायी गयी थीं। इन्हें नो सेफ सोर्स (एन0एस0एस0) घोषित किया गया है। 524 बस्तियों में रामपुर खास विधान सभा क्षेत्र में आने वाले तीन विकास खण्डों के 178 पुरवे नो सेफ सोर्स (एन0एस0एस0) हैं। इन 178 गुणता प्रभावित

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुरवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 17 पाइप पेयजल परियोजनाएं यथा– **लालगंज विकास खण्ड में** पूरेनोती, भदारीकला एवं समापुर योजना **सांगीपुर विकास खण्ड में** मुस्तफाबाद, देवरी, सुजाखर, घुइसरनाथ, राजापुर तथा देउम पश्चिम योजना एवं **रामपुर संग्रामगढ़ विकास खण्ड में** असोगी, पुरवारा, ढकवापुर, रामपुर खास, नरई, अर्रो, रामपुरदाबी एवं प्रतापपुर चेरगढ़ योजना से आच्दादित हैं।

3–**जेंवई पाइप पेयजल योजना** नलकूप निष्प्रयोज्य होने के कारण जलापूर्ति बन्द है। योजनान्तर्गत नलकूप रि–बोर कार्य प्रगति पर है। 2. **कुम्भीआईमा पाइप पेयजल योजना** विद्युत फाल्ट के कारण बन्द थी, जो वर्तमान में चालू है एवं जनोपयोगी है। 3. **दलापट्टी पाइप पेयजल योजना** निर्माणाधीन है। 4. **उमरार पाइप पेयजल योजना** विद्युत फाल्ट (ट्रान्सफार्मर खराब) होने के कारण बन्द हो गयी थी, जो वर्तमान में कार्यशील है। 5. **अटेहा पाइप पेयजल योजना** के नाम से कोई पाइप पेयजल योजना नहीं है। 6. **सिलौंधी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना** नलकूप निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण पेयजल आपूर्ति बन्द है। 7. **राजापुर पाइप पेयजल योजना** नलकूप निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण जलापूर्ति बन्द है। 8. **सराय निर्भय पाइप पेयजल योजना** से जलापूर्ति चालू है एवं योजना जनोपयोगी है। 9. **रामपुर दाबी पाइप पेयजल योजना** से जलापूर्ति चालू है, किन्तु पेयजल की गुणवत्ता खारी है। प्रारम्भ में जलकूप से निकलने वाला जल स्वाद में हल्का खारा था, जोकि विकास खण्ड अति दोहित होने के कारण भू–जल का स्तर नीचे चले जाने की वजह से टी0डी0एस0 व सलेनिटी की सांद्रता बढ़ जाने के कारण भूजल में खारापन की मात्रा अधिक हो जाने के फलस्वरूप योजना जनोपयोगी नहीं रह गयी हैं। 10. **प्रतापपुर चेरगढ़ पाइप पेयजल योजना** विद्युत फाल्ट के कारण बन्द थी, जिसे ठीक कराकर जलापूर्ति चालू कर दी गयी है। 11. **मुस्तफाबाद पाइप पेयजल योजना पर पेयजल** आपूर्ति आंशिक रूप से चालू है। इस योजना का पुनर्गठन किया जाना है। 12. **सांगीपुर पाइप पेयजल योजना** पर दो नलकूप हैं। एक नलकूप द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही थी, किन्तु नलकूप का श्राव धीरे–धीरे कम हो जाने के कारण पेयजल आपूर्ति 04 माह से बन्द हो गयी है। दूसरा नलकूप पूर्व से ही निष्प्रोज्य हैं। निष्प्रोज्य दोनो नलकूपों को रि–बोर कराने के लिए धनावंटन की कार्यवाही की जा रही हे। उक्त योजनाओं में सम्मिलित कुल 11 ग्रामों में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 13071 की जनसंख्या के लिए 437 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जो इन ग्रामों में 30 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प से आच्छादित हैं।

4–जनपद के कुल 17 विकास खण्डों में से दो विकास खण्ड लालगंज व संग्रामगढ़ अति दोहित हैं व सांगीपुर विकास खण्ड सामान्य श्रेणी में है। उक्त तीनों विकास खण्डों में कुल ग्रामों की संख्या, अधिष्ठापित हैण्डपम्प एवं चालू हैण्डपम्पों की संख्या का विवरण निम्नवत् हैः–

क्रम	विकास खण्ड	हैण्डपम्पों द्वारा	अधिष्ठापित	प्रति व्यक्ति

सं0	का नाम	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	हैण्डपम्प की संख्या	हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4	5
1	लालगंज	105	3350	45
2	सांगीपुर	124	3410	59
3	रामपुर संग्रामगढ़	123	3350	48
	योग :	352	10110	152

5–अति दोहित विकास खण्ड में भू–जल स्तर नीचे जाने के कारण नलकूप की गहराई 800 से 1000 फिट है व हैण्डपम्प भी 135 से 150 फिट तक अधिष्ठापित हैं। उक्त विकास खण्ड अतिदोहित होने के कारण कई नलकूप व हैण्डपम्प रि–बोर योग्य हो गये हैं। उक्त तीनों विकास खण्ड भारत सरकार के द्वारा निर्धारित पेयजल हेतु मानक के आधार पर हैण्डपम्प से संतृप्त है।,

जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के ग्राम पूरे बहोरी में तालाब पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश्वर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

जिलाधिकारी, गोण्डा को तालाब की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है। जांच में तालाब की भूमि ....

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के ग्राम पूरे बहोरी में तालाब पर अवैध कब्जा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश्वर सिह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत निम्नवत् सूचना दी गयी थी :–

''मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा की तहसीनल करनैलगंज के ग्राम पूरे बहोरी में तालाब पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है जिससे सम्पूर्ण ग्रामवासियों को अत्यन्त मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तालाब

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे किन्तु जांच सही ढंग से नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया था।

अतः मैं सदन के माध्यम से प्रश्नगत तालाब पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी स्तर की जांच कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।''

<u>वक्तव्य</u>

जिलाधिकारी, गोण्डा को तालाब की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है। जांच में तालाब की भूमि गाटा संख्या–815/0.35 डि0 पर शिकायतकत्री श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व0 विश्वनाथ शुक्ल के पुत्र हनुमन्त लाल, दुर्गेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण विश्वनाथ व देवकी नन्दन पुत्र उदयनरायन एवं वरिष्ठ नरायन व वीरेन्द्र नरायन पुत्रगण बाबादीन निवासी ग्राम पूरे बहोरी का तालाब भूमि पर कब्जा पाया गया। तालाब भूमि गाटा संख्या–815/0.35 डि0 में पुनः जांच करायी गयी तो पाया गया कि शिकायतकत्री श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व0 विश्वनाथ शुक्ल के पुत्र हनुमन्त लाल दुर्गेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण विश्वनाथ व देवकी नन्दन पुत्र उदयनरायन निवासी ग्राम पूरे बहोरी द्वारा तालाब की भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया गया है। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अनतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कटरा बाजार में दर्ज करने हेतु लेखपाल द्वारा तहरीर एफ0आई0आर0 करायी गयी है। इसके अतिरिक्त अवैध कब्जे के बेदखली हेतु तहसीलदार, करलैलगंज के न्यायालय पर 115 सी का वाद दायर है। बेदखली आदेश करके कब्जा हटवा दिया जायेगा।,

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल में विद्युत क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल पाराशर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

जनपद अलीगढ़ के कोल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था हेतु ....

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में सह बिन्दु उठाया गया है कि विधान सभा क्षेत्र में कोल जनपद–अलीगढ़ में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अत्यन्त खराब है। क्षमता वृद्धि न होने से लो–वोल्टेज एवं बार–बार विद्युत आपूर्ति बाधित होती है साथ ही अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण और क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों के कारण भी विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, जिसके कारण पनैठी, बौने, गढराना, मडराक, सिंधारपुर, अहमदपुर फीडर क्षमता से अधिक भार के कारण निरन्तर सप्लाई बन्द रहती है। वर्तमान में किसानों की बुवाई व अन्य फसलों के सिंचाई का समय चल रहा है। विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण किसानों में आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

आख्या :–

जनपद अलीगढ़ के कोल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति की सुचारु स्ववस्था हेतु कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

33/11 के0वी0 सब–स्टेशन पनैठी पर 1ग5 एम0वी0ए0 परिवर्तक की अतिभारित दूर करने हेतु 1ग5 एम0वी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है, जोकि लगभग एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

33/11 के0वी0 सब–स्टेशन बौनेर की क्षमता वृद्धि 1ग5 एम0वी0ए0 से बढ़ा कर 1ग10 एम0वी0ए0 कर दी गयी है।

33/11 के0वी0 सब–स्टेशन गढराना पर वर्तमान में 2ग5 एम0वी0ए0 के परिवर्तक स्थापित हैं। सब–स्टेशन की अतिभारिता दूर करने के लिए 10.5 एम0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि किया जाना स्वीकृत है, पतिवर्तक उपलब्ध होते ही स्थापित कर अतिभारिता दूर कर दी जायेगी।

33/11 के0वी0 सब–स्टेशन मडराक पर वर्तमान में 2ग5 एम0वी0ए0 के परिवर्तक स्थापित हैं। सब–स्टेशन की अतिभारिता दूर करने के लिए 10.5 एम0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि किया जाना स्वीकृत है, परिवर्तक उपलब्ध होते ही स्थापित कर अतिभारिता दूर कर दी जायेगी।

33/11 के0वी0 सब–स्टेशन सिंघारपुर वर्तमान में अतिभारित नहीं है। अहमदपुर गांव सिंघारपुर उपकेन्द्र के ए0सी0 फीडर से पोषित है।

क्षेत्र में कुछ विद्युत लाइनें जिनके तार जर्जर हैं उनको बदलवाने का कार्य प्रगति पर है।,

---

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलरामपुर के विकास खएड गैसड़ी कढ़ौवा पुल से प्रेम नगर तिराहे तक रोड मरम्मत कर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में ....

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मैं सदन का ध्यान इस विलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करते हुए जनपद बलरामपुर के वि0ख0 गौसड़ी कढ़ौवा पुल से प्रेम नगर तिराहा तक लगभग 3.0 कि0मी0 की दूरी तक खराब होने के कारण क्षेत्र की जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद बलरामपुर के वि0ख0 गौसड़ी कढ़ौवा पुल से प्रेम नगर तिराहा तक रोड की हालत को ठीक कराने की समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु सदन से वक्तव्य की मांग करता हूं।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अनतर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गौसड़ी में कठौवा पुल से प्रेमनगर तिराहे तक ग्रामीण मार्ग की वास्तविक लम्बाई 2.10 किमी0 है, जो नथईडीह से धंधरा वाया प्रेमनगर सम्पर्क मार्ग कुल लम्बाई 2.80 किमी0 का भाग है, जिसके विशेष मरम्मत हेतु प्रमुख अभियन्ता, यातायात वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक–1264सी/3सी/सामान्य (फैजाबाद खेत्र) आगणन भाग–1/17–18, दिनांक 01–05–2017 द्वारा रु0 30.91 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्य प्रगति में है, जिसे माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।]

जनपद शाहजहांपुर से अलग हुए जनपद पीलीभीत से सम्बद्ध राजस्व गांवों से क्षेत्र पंचायतों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अगयश रामसरन वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा ....

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

खदिनांक 14–07–2017 को नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि ''94 राजस्व गांव जनपद शाहजहांपुर से पृथक कर जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सम्बद्ध किये गये हैं। इस प्रकार जनपद पीलीभीत में तहसील पूरनपुर के अन्तर्गम माधोटांडा एवं गजरौला कलां नामक दो क्षेत्र पंचायतों, तहसील बीसलपुर में दियोरिया कलां नामक एक क्षेत्र पंचायत तथा तहसील पीलीभीत में भमौरा नामक एक क्षेत्र पंचायत घोषित किया जाना जनसुविधा, गांवों की अधिकता के परिसीमन एवं सुगमता की दृष्टिकोण से घोषित करना उपयुक्त ही नहीं अत्यन्त आवश्यक भी है। ज्ञात हो कि तहसील पूरनपुर के अन्तर्गत माधौटांडा नामक एक क्षेत्र पंचायत घोषित की जा चुकी है। इस प्रकार जनपद पीलीभीत में 8 क्षेत्र पंचायतों से बढ़ कर 11 क्षेत्र पंचायत गठित हो जायेंगी और प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में बराबर–बराबर 131–131 राजस्व गांव भी हो सकेंगे। भौगोलिक संरचना, आवागमन की सुविधा एवं विकास की सुलभता की दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र पंचायत की संरचना भी हो सकेगी।''

अतः नियम–51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करते हुए उपर्युक्तानुसार नवीन प्रस्ताव क्षेत्र पंचायतों का गठन सुनिश्चित किया जाय।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशक, पंचायती राज एवं जिलाधिकारी, शाहजहांपुर/पीलभीत से तत्काल सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं। सूचना प्राप्त होने पर मा0 सदन को अवगत कराया जायेगा।,

जनपद फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में यातायात नगर योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में ....

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 14–07–2017 को मा0 सदन में निम्नवत् सूचना दी गयी है :–

''नगर फिरोजाबाद अपने कांच चूड़ी एवं कांच उत्पादों के लिए देश एवं विदेश में प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में बड़े पैमाने पर चलने वाली औद्योगिक उत्पादन विपणन, कच्चे सामान और तैयार सामान का आवागमन करने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में भारी वाहनों (ट्रक, ट्रैक्टर आदि) का आना–जाना एवं लोडिंग/अनलोडिंग की गतिविधियां संचालित होती हैं। उक्त के समाधान के लिए विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा यातायात नगर योजना बनायी गयी एवं भू–अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत धारा–4 का प्रकाशन दिनांक 10–08–2010 एवं धारा–6 का प्रकाशन दिनांक 21–12–2011 को किया जा चुका था और रू0 8,96,76,379.21 (आठ करोड़ छियान्वे लाख छिहत्तर हजार तीन सौ उन्यासी रुपये इक्कीस पैसे मात्र) जमा भी कराये जा चुके हैं। वर्तमान में उक्त भूमि तहसील में विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। बेहद खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि ऐसे प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के कार्यों को राजनैतिक कारणों से अवरुद्ध करते हुए प्राधिकरण की दिनांक 10–04–2015 की बैठक में उक्त योजना को समाप्त करने का निर्णय लेकर पूरे फिरोजाबाद की जनता को धोखा देने का कार्य किया गया । व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त परियोजना में डि–नोटीफिकेशन की कार्यवाही स्थगित करने एवं यातायात नगर योजना को तत्काल आरम्भ कराने की महती आवश्यकता है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।''

उक्त सूचना को स्वीकार कर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 20–07–2017 को केवल वक्तव्य दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में सचिव, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नागऊ तहसील–टूण्डला में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु 26.318 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा–4(1)/17 की कार्यवाही की अधिसूचना सं0–2556(1)/8–3–2010–86 एल0ए0/2010, दिनांक 10–08–2010 को जारी की गयी। उक्त योजना में अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कार्यालय आगरा द्वारा भू–अध्याप्ति निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में धारा–6(1)/17 की विज्ञप्ति जारी करने हेतु 70 प्रतिशत अग्रिम प्रतिकर, वार्षिकी आदि हेतु धनांक रु0 9,47,77,368.00 की मांग प्राधिकरण से की गयी। प्राधिकरण के पास 26.318 हेक्टेयर भूमि हेतु प्रतिकर, वार्षिकी आदि हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल की

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहयुक्त नियोजक एवं गठित समिति द्वारा फिजीविलिटी अध्ययन के पश्चात् प्राधिकरण के पास उपलब्ध धनराशि के आधार पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना के क्षेत्रफल को 26.318 हेक्टेयर से घटा कर 15.559 हेक्टेयर किये जाने पर विचार किया गया तथा 15.559 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु धारा–6 की कार्यवाही दिनांक 21–12–2011 को की गयी, जिसमें कुछ खसराओं पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण दिनांक 15–03–2013 को कुल 13.766 हेक्टेयर भूमि का कब्जा प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया गया जिसके लिए कुल धनांक रु0 8,98,78,379.21 अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) आगरा को दिया जा चुका है। भौतिक कब्जा अभी तक प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है।

भू–अर्जन सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार भू–अर्जन निकाय द्वारा अर्जित की जाने वाली भूमि के किसानों के साथ प्रतिकर (मूल्य) निर्धारण किये जाने हेतु बैठकें की गयीं कृषकों द्वारा सभी बैठकों में सर्किल रेट के छः गुने के बराबर प्रतिकर की मांग की गयी इसी बीच नया भू–अधिग्रहण कानून आ जाने के कारण पूर्व में की गयी अधिग्रहण की कार्यवाही लेप्स हो गयी।

उक्त योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु नये भू–अधिग्रहण कानून के अनुसार सर्किल रेट के चार गुने के आधार पर कुल योजना लागत रुपये 30 करोड़ की धनराशि शासन से प्राप्त करने अथवा योजना को बन्द करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में शासन द्वारा प्राधिकरण को यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण अपने स्रोतों से ही योजना चलाये अन्यथा बोर्ड बैठक से योजना को समाप्त करने हेतु निर्णय अपने स्तर से लें। उक्त के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 10–04–2015 में उक्त योजना को बन्द करने का निर्णय लिया गया तथा अर्जित भूमि को डि–नोटिफिकेशन हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया।

वर्तमान में आमजनमानस की समस्याओं के दृष्टिगत ट्रांसपोर्ट नगर योजना को पुनः पुनर्जीवित किये जाने हेतु आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद की आगामी बोर्ड बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर योजना को पुनर्जीवित किये जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। उक्त योजना के सम्बन्ध में बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होना चाहें।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही स्थगित हुई)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान
सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 20, जुलाई, 2017

पी0एस0यू0पी0–एल0 236 विधान सभा (462)–11–01–2018–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।